

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-५०५/डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
१२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मार्च 1996—चैत्र 3, शके 1918

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक १८ मार्च १९९६

क्र. १९-५३-८७-बारह-२.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) की धारा १५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय एक—प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ है.
(दो) ये नियम माह अप्रैल, १९९६ के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे.
२. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(एक) “अधिनियम” से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७);
(दो) “करार” से अभिप्रेत है ऐसा कोई करार जिसके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक गौण खनिज उत्खनन करने तथा ले जाने का करार;
(तीन) “निर्धारण” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन उद्घाटित निर्धारण जो कि निकाले गये गौण खनिज से संबंधित है;
(चार) “निर्धारिती” से अभिप्रेत है कोई उत्खनन पट्टा (क्वारी लीज) अथवा उत्खनन-अनुज्ञापत्र (क्वारी परमिट) धारक व्यक्ति और उसके अंतर्गत ऐसा अन्य व्यक्ति आता है जो इन नियमों के अधीन प्रदान की गई गौण खनिज खदान, सिवाय उनके जो नियमों द्वारा छूट प्राप्त है, धारण करता है;
(पांच) “निर्धारण वर्ष” से अभिप्रेत है पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए पट्टे के प्रारम्भ होने की तारीख से ३१ दिसम्बर को समाप्त होने वाली वार्षिक अवधि तथा उसके पश्चात् १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक अथवा उसका कोई भाग;
(छ) “अपील प्राधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा इन नियमों के अधीन ऐसे अधिकारों से निहित प्राधिकारी;

- (सात) "गरीबी रेखा के नीचे" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित गरीबी रेखा के नीचे का परिवार;
- (आठ) "सशम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा सशम प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमों के उपबंधों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करे;
- (नी) (क) "कलेक्टर" तथा "अपर कलेक्टर" भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के का वही अर्ब होगा जो क्रमशः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (१९५९ का २०) में परिभाषित किया गया है;
- (ख) मध्यप्रदेश के राजस्व संभाग के "आयुक्त" का वही अर्ब होगा जो उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ में परिभाषित किया गया है (१९५९ का २०);
- (दस) "अनिवार्य भाटक (डेड रेन्ट)" और स्वाभिस्व "(रायल्टी)" का वही अर्ब होगा जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है;
- (ग्यारह) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश;
- (बारह) "संयुक्त संचालक", "उप संचालक", "भूमिकीविद्", "सहायक भूमिकीविद्", "खनि अधिकारी", "सहायक खनि अधिकारी", "खनि निरीक्षक" से अभिप्रेत है क्रमशः संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के अधिकारी या संचालक अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित कोई ऐसा अधिकारी;
- (तेरह) "शिक्षित बेरोजगार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति—
- (क) जो कम से कम हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र धारक है, अर्थात् मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की १०+२ प्रणाली में १०वीं पास;
- (ख) जो मध्यप्रदेश का निवासी हो;
- (ग) जिसकी आयु १८ वर्ष से अधिक परन्तु ३५ वर्ष से कम हो;
- (घ) जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का हो; और
- (ङ) जिसने किसी भी समय शिक्षित बेरोजगारों हेतु किसी अन्य योजना के अधीन कोई सुविधा न ली हो;
- (बीसह) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (पन्द्रह) "ग्राम पंचायत", "जनपद पंचायत", "जिला पंचायत" और "ग्राम सभा" का क्रमशः वही अर्ब होगा जो उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में दिया गया है;
- (सोलह) "पट्टेदार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन उत्खनन पट्टा (क्वारी लीज) या उत्खनन-अनुज्ञा पत्र (क्वारी परमिट) प्रदान किया गया है तथा उसके अंतर्गत ऐसा कोई ठेकेदार, उप-पट्टेदार या अभिकर्ता आता है जिसे चाहे उस रूप में नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं, परन्तु जो पट्टेदार की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने का आशय रखते हुए, खनिज के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, उत्खनन तथा प्रेषण में भाग लेता है;
- (सत्रह) "सहकारी सोसायटी" का वही अर्ब होगा जो उसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में दिया गया है और सहयोजन से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपने सदस्यों के आर्थिक हित के संवर्धन के उद्देश्य से सहयुक्त हुआ है और जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, १९६० के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है;
- (अठारह) "अनुसूचित जाति का सदस्य" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए विनिर्दिष्ट किसी जाति, वंश या जनजाति या ऐसी जाति, वंश या जनजाति के भीतर के किसी भाग या समूह का सदस्य;

(उन्नीस) "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए विनिर्दिष्ट किसी जनजाति, जनजाति समुदाय या ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के किसी भाग या समूह का सदस्य;

(बीस) "अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के वर्ग का सदस्य;

(इक्कीस) "गौण खनिज" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची एक तथा दो में यथा विनिर्दिष्ट खनिज तथा ऐसे अन्य खनिज जिन्हें भारत सरकार अधिनियम की धारा 3(ड) के अंतर्गत, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गौण खनिज के रूप में घोषित करे;

(बाईस) "खनन सक्रिया" और "उत्खनन सक्रिया" से अभिप्रेत है ऐसी सक्रिया जो गौण खनिज प्राप्त करने के लिए की गई हो तथा इसके अंतर्गत आती है मशीनों की स्थापना, रास्ते बनाना एवं उत्खनन के प्रयोजन के लिए अन्य प्रारम्भिक सक्रियाएं करने के साथ ही खनिजों के हस्तान्तरण के स्थान तक ले जाना;

(तेईस) "उत्खनन-अनुज्ञा पत्र (क्वारी परमिट)" से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट कालावधि में किसी गौण खनिज के उत्खनन करने एवं हटाने के लिए इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञा;

(बीबीस) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है रास्ते, सार्वजनिक भवन, जलाशय, सिंचाई नहरें, तालाब, प्राकृतिक नाले, ग्रामीण मार्ग, धार्मिक स्थान, स्मशान आदि;

(पच्चीस) "उत्खनन पट्टा (क्वारी लीज)" से अभिप्रेत है गौण खनिजों हेतु अधिनियम की धारा 14 में यथा उल्लिखित उत्खनन पट्टा;

(छब्बीस) "रेल्वे और रेल्वे प्रशासन" का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन्हें भारतीय रेल अधिनियम, 1929 (सन 1929 का 24) में दिया गया है;

(सत्ताईस) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(अट्ठाईस) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(उन्नीस) अभिव्यक्ति "खान" और "स्वामी" का वही अर्थ होगा जो उन्हें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 34) में क्रमशः दिया गया है;

३. छूट—इन नियमों की कोई भी बात—

(एक) आनुवंशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी सोसायटी द्वारा परंपरागत साधनों से कवैलू, बर्तन या ईंट बनाने के लिए, परन्तु गट्टों में निर्माण किया द्वारा या यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं, ऐसे क्षेत्र से, जो कि ग्राम पंचायतों उनके अपने-अपने क्षेत्र के भीतर विनिश्चित और निर्धारित करें, मिट्टी तथा रेत निकालने के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु कोई भी उत्खनन सार्वजनिक स्थान या ऐसे सार्वजनिक स्थान से 40 मीटर तक नहीं किया जाएगा;

(दो) ऐसी खानों से चाहे वे ग्रायवेट या शासकीय भूमि में स्थित हों, जब कि ऐसी खानें राज्य सरकार के किसी विभाग के उपयोग के लिए विनियोजित न हों और गौण खनिज विक्रय के लिए उत्खनित न हो परन्तु वे कुओं के निर्माण या मरम्मत के लिए या अन्य कृषि कार्यों के लिए या राजस्व या गन ग्रामों में निवास करने वाले कृषकों, ग्रामीण कारीगरों और मजदूरों के निवास गृहों के लिए आवश्यक हो, गौण खनिज निकालने के लिए लागू नहीं होगी;

(तीन) ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिजों को निकालने के लिए लागू नहीं होगी किन्तु शासकीय विभागों को गौण खनिजों के उपयोग करने पर राज्यत्वी का भुगतान संबंधित पंचायत को निर्धारित दर से करना होगा।

(चार) सतह पर गौण खनिजों की खोज, जिसमें सतह पर पर्योप्त गड्ढे खनितियां या अन्यथा खोदने से मिट्टी की सारवान गड्ढाई अंतर्भूत न हो।

सतह पर उपलब्ध खनिजों का भौमिकीय हवाई द्वारा चिप्टी या नमूने लेना सतह की मिट्टी की सारवान गड्ढाई नहीं माननी जावेगी :

परन्तु यह कि उपर्युक्त छूटों से ऐसे किसी कार्य से, जो राज्य या केन्द्रीय शासन के किसी विद्यमान नियमों या अधिनियम के अधीन किसी निजी व्यक्ति द्वारा राज्य शासन या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना गौण खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन के लिए किया जाय, उन्मुक्ति नहीं होगी।

अध्याय दो-खनन संक्रियाएं करने पर सामान्य निबंधन

४. उत्खनन अनुज्ञापत्र या उत्खनन पट्टा के द्वाँर खनन संक्रिया करने के लिए प्रतिषेध—(१) कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में इन नियमों के अधीन प्रदान किये गये उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र के निबंधन तथा शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही खनन कार्य करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु इस उपनियम की कोई भी बात इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रदान की गई ऐसी किसी अनुज्ञा, उत्खनन पट्टा, व्यापारिक खदान या स्वाभिस्य (रायल्टी) खदान जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त थी, की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार किसी क्षेत्र में किये गये किसी खनन या उत्खनन संक्रियाओं को लागू नहीं होगी।

(२) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ही कोई उत्खनन अनुज्ञापत्र या उत्खनन पट्टा प्रदान किया जावेगा, अन्यथा नहीं।

५. उत्खनन अनुज्ञापत्र या उत्खनन पट्टा प्रदान करने के बारे में निबंधन—(१) कोई भी उत्खनन अनुज्ञापत्र या उत्खनन पट्टा किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक न हो या कोई कंपनी न हो जो कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन तथा परिभाषित है और ऐसी शर्तों को पूरी नहीं करता हो, जो इन नियमों द्वारा विहित है।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम के मामले में, कोई भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय केवल तभी समझा जायेगा जब ऐसी फर्म या संगम के समस्त सदस्य भारत के नागरिक हों।

(२) कोई भी उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र ऐसी किसी भूमि के संबंध में—

(क) जो सरकार द्वारा, सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों के उपयोग के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक या विशेष प्रयोजनों के लिए आरक्षित के रूप में घोषित की गई है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही प्रदान किया जाएगा अन्यथा नहीं ;

(ख) जो वन भूमि हो, वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० (१९८० का ६९) में यथाविहित उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति के द्वाँर प्रदान नहीं किया जायेगा;

(ग) जो किसी पुल राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से ७५ मीटर के भीतर या किसी सार्वजनिक स्थान से ५० मीटर के भीतर हो, प्रदान नहीं किया जायेगा,

(घ) जो नदी के किनारों, नालों का छोटा प्रवाह), नहर या कोई प्राकृतिक जल स्रोत, बांध या कोई जल परिवह

करने वाली किसी संरचना से ५० मीटर के भीतर हो, खनिज रेत या बजरी निकालने के सिवाय, प्रदान नहीं किया जायेगा;

(ड) जो ऐसा कोई क्षेत्र हो जो सधन या संलग्न न हो, प्रदान नहीं किया जायेगा.

अध्याय तीन—उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने संबंधी शक्तियां

६. उत्खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति.—अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों के प्रदान करने तथा उसका नवीकरण, नीचे दी गई सारणी के कालम (१) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा, कालम (२) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, कालम (३) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक किया जाएगा :—

सारणी

प्राधिकारी (१)	खनिज (२)	शक्तियों की सीमा (३)
१. राज्य सरकार	अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट अनुक्रमांक १ से ५ तक के खनिज.	सम्पूर्ण शक्तियां
२. संचालक	(एक) अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट अनुक्रमांक ६ और ७ के खनिज	(एक) जहां औद्योगिक उपयोग के लिए आवेदित क्षेत्र ४.०० हेक्टर से अधिक हो.
	(दो) अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो) जहां खदान का वार्षिक भाटक मूल्य रु. १०,००,०००/- (रु. दस लाख)से अधिक हो एवं चिमनी भट्टा में ईट तथा कवेलू बनाने के सभी मिट्टी की खदानें.
३. कलक्टर	(एक) अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट अनुक्रमांक ६ और ७ के खनिज.	(एक) जहां औद्योगिक उपयोग के लिए आवेदित क्षेत्र ४.०० हेक्टर से अधिक न हो.

७. उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने की शक्ति.—(१) अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों से संबंधित खदानें, कशर के लिए पत्थर खदानों एवं चिमनी भट्टा में कवेलू तथा ईट बनाने के लिए मिट्टी की खदानों के सिवाय, जिन खदानों का वार्षिक मूल्य रुपये २,५०,०००/- (रु. दो लाख पचास हजार), रु. २,५०,०००/- (रु. दो लाख पचास हजार) से अधिक किन्तु रु. ५,००,०००/- (रु. पांच लाख) एवं रु. ५,००,०००/- (रु. पांच लाख) से अधिक किन्तु रु. १०,००,०००/- (रु. दस लाख) तक है, के उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने एवं नवीकरण करने, स्वामिस्व वसूली सम्मिलित करते हुए इससे संबंधित सभी प्रयोजनों के विनियमन के लिए क्रमशः संबंधित ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को अंतरित मानी जावेगी. संबंधित पंचायतों द्वारा उस पंचायत की ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान किये जायेगे या उनका नवीकरण किया जायेगा, जिस पंचायत में खदान क्षेत्र स्थित है अथवा खदान का अधिक क्षेत्र पड़ता है.

स्पष्टीकरण.—अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों की खदानों का वार्षिक मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु यदि वह खदान व्यापारिक या स्वामिस्व (रायल्टी) खदान हो, तो वर्ष १९९२-९३, १९९३-९४ और १९९४-९५ की औसत वार्षिक बोली पर विचार किया जायेगा तथा उन खदानों के मामले में जो उत्खनन पट्टा के रूप में प्रदान की गई हैं, वर्ष १९९२, १९९३ और १९९४ की औसत वार्षिक स्वामिस्व पर विचार किया जायेगा. यह मूल्य निर्धारण इन नियमों के प्रवृत्त होने पर खदानों के संबंधित जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण/मंजूरी अधिकारों के प्रयोजन के लिए है.

८. नई खदानों के सीमांकन एवं जहाँ क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों में स्थित हो, वहाँ उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया—(१) यदि किसी ऐसी खदान का क्षेत्र जिसके संबंध में उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने की शक्तियाँ उपरोक्त नियम ७ में विनिर्दिष्ट हैं, एक से अधिक ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, तो ऐसी खदान के लिए उत्खनन अनुज्ञापत्र जिला पंचायत द्वारा अधिकृत ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किये जायेंगे.

(२) संबंधित पंचायतें, संचालक तथा संबंधित जिले के कलक्टर से परामर्श से अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों की नई खदानें सीमांकित तथा घोषित कर सकती हैं.

अध्याय चार—अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों का प्रदान किया जाना

९. उत्खनन पट्टे के लिए आवेदन—अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टा प्रदान करने या उनके नवीकरण करने के लिए आवेदन प्ररूप—एक में तीन प्रतियों में किया जायेगा. आवेदन पत्र पर पाँच रुपये मूल्य का न्यायालय शुल्क स्टाम्प चिपकाया जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरणों के साथ-साथ, उसमें किए गए कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे :—

- (क) यदि आवेदक एक व्यक्ति हो, तो उसका नाम, राष्ट्रीयता, व्यवसाय का जाति, शैक्षणिक अर्हता, उम्र, निवास स्थान, वर्तमान पता तथा वित्तीय स्थिति;
- (ख) यदि आवेदक एक कम्पनी हो, तो उसका नाम, व्यवसाय का स्वरूप तथा स्थान और रजिस्ट्रीकरण या निगमन का स्थान, संचालकों की सूची तथा उनकी राष्ट्रीयता, वित्तीय स्थिति, रजिस्ट्रीकरण/निगमन का प्रमाण-पत्र;
- (ग) यदि आवेदक एक फर्म है, तो उसका नाम, व्यवसाय का स्वरूप तथा स्थान, भागीदारों की सूची एवं उनकी राष्ट्रीयता, भागीदारी विलेख, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति;
- (घ) यदि आवेदक एक सोसायक/सहयोजन है, तो उसका नाम, कार्य का स्वरूप तथा स्थान, सदस्यों की सूची एवं उनकी जाति, शैक्षणिक अर्हता, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उपविधियाँ तथा प्रत्येक सदस्य की वित्तीय स्थिति;
- (ङ) उस क्षेत्र का जिसका उत्खनन पट्टा अपेक्षित है, यथासंभव ठीक स्थिति तथा सीमा स्पष्ट करने वाले नक्शे या मानचित्र के अनुसार विवरण, जहाँ क्षेत्र का सर्वेक्षण न हुआ हो वहाँ क्षेत्र की स्थिति, रास्ते, तालाब इत्यादि कुछ स्थायी प्रकृतिक विशेषताओं से दर्शाई जाएगी;
- (च) नवीनतम खसरा पांचसाला की प्रति;
- (छ) वह खनिज या वे खनिज जिसका/जिनका उत्खनन या खनन आवेदक करना चाहता है;
- (ज) वह कालावधि जिसके लिए उत्खनन पट्टा अपेक्षित है;
- (झ) वह प्रयोजन जिसके लिए उत्खनित खनिज का उपयोग किया जाएगा;
- (ञ) किसी उत्खनन पट्टे के प्रदान किये जाने या नवीकरण के प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ राज्य के प्रत्येक जिले में खनिजवार क्षेत्रों के विवरण दर्शाते हुए एक शपथ पत्र दिया जायेगा जिसके संबंध में आवेदक स्वयं या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से—

(एक) उत्खनन पट्टे के अधीन धारित करता है;

(दो) पूर्व में आवेदन किया गया है किन्तु स्वीकृत नहीं हुआ है; और

(तीन) साथ-साथ आवेदित किया जा रहा है;

(ट) जहां भूमि आवेदक के स्वामित्व की नहीं है, वहां इस आशय का एक शपथ-पत्र कि आवेदक ने भूमि के सतह अधिकार प्राप्त किये हैं या खनन/उत्खनन संक्रिया हेतु भूमि स्वामी/स्वामियों की सहमति प्राप्त कर ली है;

परन्तु जहां भूमि के अधिकार राज्य शासन में निहित हैं, ऐसे शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी;

(ठ) उत्खनन पट्टे के प्रदाय किये जाने या उसके नवीकरण के लिए, प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ऐसे समस्त जिलों से, जहां आवेदक खनि रियायतें धारण करता है या पूर्व में धारण करता था, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन देय खनन-शोध्यों (माइनिंग इयूज) के संबंध में जिले के प्रभारी खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्ररूप दो में प्रदान किया गया एक अशोध्य (नो इयूज) प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

परन्तु आवेदक के लिए अशोध्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने ऐसा शपथ-पत्र और ऐसी अन्य साक्ष्य, जो संबंधित प्राधिकारी के इस बाबत समाधान के लिए अपेक्षित है कि वह (आवेदक) राज्य के किसी भी जिले में कोई खनि रियायत धारण नहीं करता है या उसने पूर्व में कोई खनि रियायत धारण नहीं की थी :

परन्तु यह और कि अशोध्य प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना, ऐसे प्रमाण-पत्र के धारक को उन खनि-शोध्यों का भुगतान करने के दायित्वों से उन्मोचित नहीं करेगा, जहां जो कि अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा बाद में देय पाये जायें।

१०. आवेदन फीस.—(१) उत्खनन पट्टे के प्रदाय किये जाने या नवीकरण के संबंध में प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रु. ५,०००.०० (रु. पांच हजार) तथा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए रु. २५०.०० (रु. दो सौ पचास) आवेदन फीस का भुगतान किया जायेगा।

(२) जहां उत्खनन पट्टे के प्रदाय किये जाने या नवीकरण के आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया जाये या आवेदक नियम ३० के अधीन उससे अधिरोपित विशेष शर्तों के कारण पट्टा स्वीकार करने से इंकार करता है, तो उपनियम (१) के अधीन आवेदक द्वारा भुगतान की गई फीस उसे वापस कर दी जायेगी तथा यदि आवेदक पट्टा स्वीकार करने से इंकार करता है या आवेदन वापस ले लेता है या आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आवेदन फीस राज्य सरकार को समपहृत कर ली जाएगी।

(३) फीस की रकम शासकीय कोषालय में आगम प्राप्ति शीर्ष—

०८५३	—	खान और खनिज
१०२५	—	खनि रियायत फीस, भाटक तथा स्वामित्व
८००	—	अन्य प्राप्तिवां
००२	—	शास्ति तथा समपहरण सहित शेष खनिजों से प्राप्तिवां

में जमा की जायेगी तथा मूल रसीदी चालान आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

११. आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी.—जिले के खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे और उस पर वह दिनांक अंकित करेंगे जिस पर आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया है।

१२. कतिपय क्षेत्रों की उपलब्धता—अनुसूची एक के अनुक्रमिक १ से ४ खनिजों के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए, जो उत्खनन पट्टे के अधीन पूर्व में धारित हो या धारण किया जा रहा क्षेत्र हो या जिसके संबंध में पट्टा प्रदान किये जाने के आदेश हो चुके हैं लेकिन पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने के पूर्व आवेदक की मृत्यु हो गई हो या जिसके संबंध में पट्टा प्रदान किये जाने बाबत आदेश प्रतिसंहत किया गया हो या जिसके संबंध में उत्खनन पट्टा आवेदन-पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया हो कि उस क्षेत्र की किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना हो तब तक कोई आवेदन नहीं किया जायेगा जब तक कि वह तारीख, जिससे कि ऐसा क्षेत्र पट्टा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगा, अग्रिम में कम से कम तीस दिन पूर्व शासकीय राजपत्र में अधिसूचित न कर दी जाए :

परन्तु राज्य सरकार किसी विशेष मामले में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियम के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगी.

१३. सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि के लिए समुपयोजन हेतु क्षेत्रों का आरक्षित किया जाना.—राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को पर्यावरण के संरक्षण, परिरक्षण, राज्य सरकार द्वारा भण्डार का निर्धारण करने के लिए या सरकार केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा ६१७ के अर्थ के अंतर्गत सरकारी कंपनी द्वारा समुपयोजन हेतु आरक्षित कर सकेगा.

१४. आवेदन पत्र की अभिव्यक्ति.—(१) जहां उत्खनन पट्टे को प्रदान किये जाने या उसका नवीकरण करने के लिए कोई आवेदन-पत्र व्यक्तिगत रूप से दिया जाये वहां उसकी अभिव्यक्ति तुरंत दी जायेगी; और

जहां ऐसा आवेदन-पत्र रजिस्ट्री डाक से प्राप्त हो वहां उसकी प्राप्ति की अभिव्यक्ति उसी दिन दी जायेगी; और

अन्य मामलों में, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अभिव्यक्ति उसकी प्राप्ति से तीन दिन के भीतर दी जायेगी.

(२) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र की अभिव्यक्ति प्ररूप तीन में दी जायेगी.

१५. उत्खनन पट्टे के लिए आवेदन-पत्रों का रजिस्टर—(१) उत्खनन पट्टे के आवेदन-पत्रों का रजिस्टर जिले के खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्ररूप-चार में बनाये रखा जायेगा.

(२) उत्खनन पट्टे के आवेदन-पत्रों का रजिस्टर तथा उत्खनन पट्टों का रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित फीस का भुगतान करने पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा :—

रु. १०.०० (रुपये दस) पहले घण्टे या उसके भाग के लिए;

रु. ५.०० (रुपये पांच) पश्चात्तर्वर्ती घण्टे या उसके भाग के लिए.

१६. समयपूर्व आवेदन-पत्र—ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, जिनकी उपलब्धता पट्टा प्रदाय किये जाने के लिए नियम १२ के अधीन अधिसूचित की जाना है, यदि

(क) उस नियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, या

(ख) जहां ऐसी अधिसूचना जारी की गई है किन्तु अधिसूचना में वर्णित कालावधि का अवसान नहीं हुआ है, उत्खनन पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन-पत्र समयपूर्व समझे जायेंगे तथा ग्रहण नहीं किये जायेंगे और उन पर यदि कोई आवेदन फीस जमा की गई हो तो वह वापस कर दी जायेगी.

१७. उत्खनन पट्टे का नवीनीकरण.—उत्खनन पट्टे के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र उस तारीख से जिस पर ऐसे पट्टे का अवसान होना हो, कम से कम एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

१८. उत्खनन पट्टे को प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्रों का निपटारा.—(१) उत्खनन पट्टे को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसका विवरण सर्वप्रथम संबंधित जिले की जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत और संबंधित जिले के जिला कार्यालय (कलक्टरेट) के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु परिचालित किया जायेगा।

(२) मंजूरी प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे तथा संबंधित ग्राम पंचायत की राय प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा या उसे नवीकृत कर सकेगा या उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा।

(३) उप-नियम (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु समस्त लंबित आवेदन-पत्र जिनमें ऐसे आवेदन-पत्र आते हैं, जिनमें करार निष्पादित न हुआ हो, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा इन्कार किये गये समझे जायेंगे। इस निमित्त आवेदन-पत्र इन नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किये जा सकेंगे।

१९. इंकार किये जाने के कारणों का अभिलिखित किया जाना.—(१) जहां मंजूरी प्राधिकारी उत्खनन पट्टे को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने के लिए इंकार करने के बारे में कोई आदेश पारित करता है वहां वह ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाता है, लिखित में ऐसे आदेश के कारणों की संसूचना देगा।

(२) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन-पत्र समस्त सारवान विवरणों के संबंध में पूर्ण नहीं है या अपेक्षित दस्तावेज उसमें संलग्न नहीं हैं वहां कलेक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रजिस्ट्रीकृत डाक से एक लिखित सूचना तामील कर, आवेदक को कमियों की पूर्ति करने या यथास्थिति दस्तावेज, उस सूचना के संसूचना की तिथि से ३० (तीस) दिन के पूर्व न कि उसके पश्चात् प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। उत्खनन पट्टे के मंजूर किये जाने या उसके नवीकरण हेतु नियम ९ के अधीन आवेदन-पत्र मंजूरी प्राधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जावेगा कि आवेदन समस्त सारवान विवरणों के बारे में पूर्ण नहीं है या उससे दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

२०. उत्खनन पट्टों का रजिस्टर.—उत्खनन पट्टों का रजिस्टर खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्ररूप-पांच में संघारित किया जायेगा।

२१. अधिमानी के अधिकार.—(१) अनुसूची एक के अनुक्रमांक १ में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टे केवल मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) को स्वयं या संयुक्त क्षेत्र में प्रस्तावित काटने एवं तराशने की इकाई राज्य में स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जावेंगे।

(२) अनुसूची एक के अनुक्रमांक २ से ७ तक में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिज—

(एक) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी सोसायटियां/सहयोजन जहां पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य एवं अध्यक्ष संबंधित वर्ग का ही हो एवं इनकी कार्यकारिणी में इन संवर्गों के उतने लोग अवश्य हों जितने प्रतिशित इन वर्गों के कुल सदस्य समिति में हैं व सदस्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई गई सूची में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार के हैं, या अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक, उसी क्रम में,

(दो) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई गई सूची में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक,

(तीन) अन्य कोई व्यक्ति, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई गई सूची में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के हैं,

(चार) अन्य कोई आवेदक :

(१)	(२)	(३)	(४)
३.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष
४.	चूना पत्थर जिसका उपयोग भट्टों में भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला चूना बनाने के लिए किया जाता है।	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
५.	फर्शीपत्थर-प्राकृतिक परतदार चट्टान, जिसका उपयोग फर्शी, छत इत्यादि के लिए किया जाता है और जो काटने एवं तराशने के उद्योग में उपयोग किया जाता है।	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
६.	मशीन द्वारा गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु)	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
७.	वेन्टोनाइट/फ्यूलर्स अर्थ	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष
८.	चिमनी भट्टा तथा कवेलू उद्योग के लिए गिट्टी	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
९.	साधारण रेत, बजरी	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१०.	ईट, बर्तन, कवेलू इत्यादि बनाने के लिए साधारण गिट्टी, चिमनी भट्टा के सिवाय।	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
११.	पत्थर, बोल्टर, रोड मेटल, गिट्टी, डोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर, (ड्रेस्ड स्टोन) खल, चिप्स।	नवीकरण खण्ड के बिना तीन वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना तीन वर्ष
१२.	मुरम	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१३.	चूना कंकड़	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१४.	ग्रेवल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१५.	लार्जम शेल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१६.	रेड गिट्टी	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१७.	स्लेट जब भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया गया हो।	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१८.	शेल जब भवन निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया गया हो।	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
१९.	ऊपर विनिर्दिष्ट न किये गये खनिजों के अलावा अन्य कोई भी खनिज।	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष

२३. उत्खनन पट्टे के क्षेत्र पर निबंधन.—(i) कोई भी पट्टेदार स्वयं या किसी के साथ संयुक्त रूप से चूना पत्थर, संगमरमर एवं फर्शीपत्थर के संबंध में साधारणतः कुल मिलाकर १० हेक्टर से अनधिक क्षेत्र पट्टे के अधीन धारण नहीं करेगा।

(ii) पट्टे के नवीकरण के समय पट्टेदार, पट्टा-क्षेत्र का कोई सघन भाग अभ्यर्पण करने का हकदार होगा।

२४. सतह के नीचे सीमाएं.—उत्खनन पट्टे से आच्छादित क्षेत्र की सीमाएं सतह से नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर ऊर्ध्व रूप से जायेंगी।

२५. प्रतिभूमि निक्षेप और प्रतिभू.—(१) उत्खनन पट्टे के लिए आवेदक को नियम २६ में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व आकारीय पत्थर, ग्रेनाइट, डोलेराइट, रायोलाइट, संगमरमर तथा अन्य आग्नेय और परिवर्तित चट्टानों के संबंध में रुपये दस हजार, जिनका उपयोग विशिष्ट आकार के ब्लॉक्स, स्लेब तथा टाइल्स बनाने के लिए काटने तथा तराशने के लिए किया जाता है और चूना पत्थर तथा अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट अन्य खनिजों और अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टे के संबंध में रु. एक हजार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेगा।

(२) आवेदक दो वर्ष के अनिवार्य भाटक के बराबर की राशि का प्रतिभू बंध-पत्र प्ररूप छः में सम्यक् रूप से भरकर या बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा ;

परन्तु यह कि सहकारी सोसायटी सहयोजन के मामले में उपनियम (२) के उपबंध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधित्यक्त किया जा सकेगा।

(३) उपनियम (१) के अधीन जमा राशि, यदि इन नियमों के अधीन समपहृत नहीं हुई है, तो पट्टे के अवसान होने पर या पर्यावसान होने पर जो भी पूर्वतर हो, संचालक के आदेश से पट्टेदार को वापस की जायेगी।

२६. पट्टे का निष्पादन तीन माह में किया जाएगा.—जहां कोई उत्खनन पट्टा प्रदान या नवीकृत किया जाता है, वहां पट्टा मंजूर करने के आदेश के तीन माह के भीतर, प्ररूप-सात में पट्टा विलेख निष्पादित और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और जहां पूर्वोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टा मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा ;

परन्तु जहां मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि पट्टा-विलेख निष्पादित किये जाने में विलंब के लिए आवेदक उत्तरदायी नहीं है, वहां मंजूरी प्राधिकारी पूर्वोक्त तीन माह की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

२७. पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण.—(१) जब किसी क्षेत्र के बारे में कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाता है, तो खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी द्वारा पट्टेदार के खर्च पर नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार संगणित फीस वसूल करने के पश्चात् पट्टे के अधीन प्रदाय किये गये क्षेत्र का रेखांक तैयार करने तथा सीमांकन कराने की व्यवस्था की जाएगी :—

सारणी

(क) २० हेक्टर से अनधिक क्षेत्र

न्यूनतम रु. १००.०० के अध्वधीन रहेत हुए
रु. २५.०० प्रति हेक्टर या उसके किसी भाग के लिए

(ख) २० हेक्टर से अधिक क्षेत्र

रु. ५०.०० प्रति हेक्टर या उसके
किसी भाग के लिए

(२) पट्टेदार अपने खर्च पर पट्टा-विलेख के साथ संलग्न रेखांक में अंकित सीमा रेखा के प्रत्येक कोनों या कोण पर जमीन की सतह से कम से कम एक मीटर ऊंचे सारवान सामग्री के सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा उनका संधारण करेगा।

(३) उपनियम (१) के अधीन फीस नियम १० के उपनियम (३) में विहित रीति में जमा की जायेगी।

२८. पट्टा विलेख आदि का विवरण पंचायतों को संसूचित करना—कलेक्टर प्रत्येक पट्टा विलेख की प्रति रेखांक सहित संबंधित जनपद पंचायत को भेजेगा तथा क्षेत्र का पूर्ण विवरण संबंधित ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा।

२९. भाटक और स्वामिस्व—(१) जब कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाये या उसका नवीकरण किया जाय, तब—

(क) अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जायेगा;

(ख) चूना पत्थर के सिवाय अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्वामिस्व प्रभारित किया जायेगा;

(ग) चूना पत्थर के बारे में स्वामिस्व की दर वही होगी जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची-दो में चूना पत्थर के लिए समय-समय पर नियत की जाय;

(घ) सतह भाटक, पट्टेदार द्वारा दखल में लिये गये या उपयोग किये गये क्षेत्र के बारे में जिले के कलेक्टर द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

(२) इन नियमों के प्रारम्भ होने के दिनांक पर तथा उस दिनांक से उपनियम (१) के उपबंध ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक के पूर्व प्रदान या नवीकृत किये गये तथा ऐसे दिनांक पर विद्यमान पट्टों पर भी लागू होंगे।

(३) यदि पट्टा, एक ही क्षेत्र से एक से अधिक खनिज उत्खनन की अनुमति देता है, तो प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग-अलग अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व जो भी रकम अधिक हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

(४) किसी पट्टा लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार, निकाले गये और/या खपाये गये किसी भी खनिज के संबंध में अनुसूची-तीन तथा चार में समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों से भाटक/स्वामिस्व का भुगतान करेगा।

(५) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-तीन और चार को संशोधित कर सकेगा जिससे कि किसी भी खनिज के संबंध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से देय भाटक/स्वामिस्व की दर में वृद्धि की जा सके या उसे घटाया जा सके :

परन्तु यह कि किसी भी खनिज के संबंध में स्वामिस्व/अनिवार्य भाटक की दर तीन वर्ष की किसी कालावधि के दौरान एक से अधिक बार पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

(६) ग्रेनाइट का कोई भी ब्लॉक, चाहे वह प्रसंस्कारित अथवा कच्चे स्वरूप में हो, या अन्य कोई खनिज, खनि अधिकारी द्वारा जारी किये गये विधिमाम्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र से नहीं भेजा जायेगा, उत्खनित खनिजों में से उस मात्रा के लिए, जिसका परिवहन अभिप्रेत है स्वामिस्व जमा करने के पश्चात् प्ररूप-आठ में आवेदन देने पर, अभिवहन पास जारी किया जायेगा। इस नियम के उल्लंघन का परिणाम ऐसी किसी कार्यवाही पर, जो पट्टेदार के विरुद्ध हो सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण में हो सकेगा;

(७) अभिवहन पास प्ररूप-नौ में होगा।

अध्याय पांच—उत्खनन पट्टा-सामान्य शर्तें

३०. उत्खनन पट्टे की शर्तें.—प्रत्येक उत्खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(१) (क) पट्टेदार, पट्टे के प्रथम वर्ष के सिवाय प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पूरे वर्ष के लिये में अनिवार्य भाटक का अग्रिम भुगतान वर्ष के प्रथम माह की २० तारीख या उससे पूर्व करेगा;

(ख) पट्टेदार प्रत्येक खनिज के लिये अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व का, इनमें से जो भी रकम अधिक हो, भुगतान करेगा परन्तु दोनों नहीं, जैसे ही पट्टेदार द्वारा खपाये गये या परिवहन किये गये खनिज का स्वामिस्व पूर्व में भुगतान किये गये अनिवार्य भाटक की रकम के बराबर हो जाता है, वह पट्टा क्षेत्र से खपाये या परिवहन किये जाने के लिये आशयित खनिज के संबंध में स्वामिस्व का भुगतान करेगा; अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व नियम-१० के उपनियम (३) में विनिर्दिष्ट राजस्व आगम मद में शासकीय कोषालय में जमा करेगा तथा कोषालय का मूल रसीदी चालान आवेदन के साथ, जो प्ररूप-आठ में होगा, प्रस्तुत करेगा;

(ग) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिये उसके द्वारा दखल में लिये गये या उपयोग में लाये गये क्षेत्र के लिये पूरे वर्ष के संबंध में भूतल भाटक का भी भुगतान अग्रिम में वर्ष के प्रथम माह की २० तारीख को या उसके पूर्व करेगा;

(घ) खण्ड (क), (ख), (ग) में विनिर्दिष्ट शोषणों का इन नियमों के अधीन समय के भीतर भुगतान करने में या पट्टे की अन्य शर्तों के अधीन कोई चूक करने में, उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कार्यवाही के होते हुए भी, पट्टेदार, अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व तथा भूतल भाटक के समस्त चूक किये गये समस्त भुगतानों के लिये २४% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा;

(२) यदि पट्टा क्षेत्र में किसी खनिज का पता लगता है, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है तो पट्टेदार इस पता चलने की रिपोर्ट बिना विलम्ब के कलेक्टर को करेगा तथा ऐसे खनिज का पट्टा प्राप्त किये बिना खनन या निपटारा नहीं करेगा, यदि वह ऐसे खनिज का पता चलने से तीन माह के भीतर ऐसे पट्टे के लिये आवेदन नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे खनिज का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसके लिये आवेदन करें, स्वीकृत कर सकेगा;

(३) पट्टेदार, राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११) के अधीन समय-समय पर यथाविहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा;

(४) पट्टेदार, उत्खनन किये गये क्षेत्र या कलेक्टर द्वारा चयनित किसी अन्य क्षेत्र में उत्खनन या खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दुगुने वृक्ष लगाने के अतिरिक्त भूमि के पुनर्नवीकरण तथा समतलीकरण के संबंध में समस्त उपाय करेगा;

(५) पट्टेदार, पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर खनन संक्रिया प्रारंभ करेगा तथा उसके पश्चात् ऐसे संक्रियाओं का उपयुक्तता, निपुणता और कुशलता से संचालन करेगा;

(६) इन नियमों की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जहां पट्टा निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं या ऐसी संक्रियाओं के ऐसे प्रारंभ करने के पश्चात् किसी कलेण्डर वर्ष में छः माह की संचयी कालावधि के लिये बंद कर दी जाती है वहां मंजूरी प्राधिकारी आदेश द्वारा उत्खनन पट्टा व्यपगत हो गया घोषित कर सकेगा तथा इस घोषणा की संसूचना पट्टेदार को देगा;

(७) जहां पट्टेदार उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ रहता है या खनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पश्चात् उसे चालू रखने में असमर्थ रहता है, तो वह ऐसी कालावधि की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पूर्व मंजूरी प्राधिकारी को ऐसे कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा;

(८) उपनियम (७) के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में रु. २००.०० फीस का भुगतान करना होगा, फीस की राशि

नियम-१० के उपनियम (३) में विहित आगम मद में शासकीय कोषालय में जमा की जावेगी.

(९) पट्टा मंजूर करने वाला प्राधिकारी उपनियम (७) के अधीन किया गया आवेदन प्राप्त होने पर खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने या उसके बंद करने के संबंध में कारण की पर्याप्तता और असलियत के बारे में संतुष्ट होने पर मंजूरी प्राधिकारी उस तारीख से पूर्व, जिस पर कि पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाता, पट्टे की कालावधि बढ़ाने या कालावधि बढ़ाने से इंकार करने बाबत आदेश पारित कर सकेगा;

परन्तु यह कि, जहां मंजूरी प्राधिकारी, उपनियम (७) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उस तारीख के पूर्व, जिस पर कि पट्टा अन्यथा व्यपगत हो गया होता, कोई आदेश पारित नहीं करता है वहां पट्टे की कालावधि संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने तक या एक वर्ष की कालावधि के लिये इनमें से जो भी पूर्वतर हो बढ़ाई गई समझी जाएगी.

(१०) जहां पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ न करने का कारण :-

(एक) सतह अधिकारों को अर्जन में, या

(दो) पट्टा-क्षेत्र का कब्जा प्राप्त करने में, या

(तीन) मशीनों के अदतय या उनकी स्थापना में, या

(चार) बैंकों या किसी वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त होने में,

विलंब हो और यदि पट्टेदार सम्यक् रूप से शपथ ग्रहण किये हुए इस आशय के शपथ-पत्र से समबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल हो कि खनन संक्रियाएं प्रारंभ न करने में पर्याप्त कारण है और/या उनके नियंत्रण के परे कारण है, वहां मंजूरी प्राधिकारी ऐसे घोषणा आदेश को, जिसके द्वारा पट्टा व्यपगत हो गया है, प्रतिसंहृत कर सकेगा.

(११) पट्टेदार स्वयं के खर्च पर पट्टे के साथ संलग्न रेखांक में दर्शाए अनुसार सीमांकन को उपदर्शित करने के लिये आवश्यक सीमा चिह्न तथा स्तम्भ स्थापित करेगा तथा उनको हमेशा अच्छी दशा में रखेगा और उनका उचित रख-रखाव करेगा.

(१२) पट्टेदार—

(क) किसी रेलवे लाइन, पुल या राजमार्ग से ७५ मीटर के भीतर सिवाय रेल्वे प्रशासन या संबंधित प्रशासन की लिखित अनुज्ञा के अनुसार;

(ख) तालाब, नदी के किनारे, जलाशय, नहर, रास्ते से ५० मीटर, (ग्रामीण कच्चे रास्ते से १० मीटर के भीतर);

(ग) आबादी, स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों, भवनों तथा आवासीय स्थान से १०० मीटर के भीतर;

(घ) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संवेदनशील क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केन्द्र, प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि से ३०० मीटर के भीतर, सिवाय राज्य या केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के अनुसार;

खनन संक्रियाएं नहीं करेगा और ना ही ऐसी संक्रियाएं अनुज्ञात करेगा.

केन्द्रीय या राज्य सरकार ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

(१३) पट्टेदार खान से प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण पट्टाधृत क्षेत्र से तारीख, निकासी/खपत की मात्रा, ऐसे खनिजों से प्राप्त मूल्य, क्रेता का नाम, प्राप्त धन की रसीदें, वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुए सही लेखा रखेगा और संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म के समस्त अधिकारियों तथा जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी भी समय उसके द्वारा संचारित कोई लेखा और अभिलेख की जांच करने की अनुज्ञा देगा एवं संबंधित जिला/जनपद/ग्राम पंचायत को ऐसी जानकारी तथा विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो उसके/उनके द्वारा अपेक्षित की जाएं.

(१४) पट्टेदार, पट्टा-क्षेत्र से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन के साथ प्रत्येक खेप के लिये प्ररूप-नौ में एक अभिवहन पास जारी करेगा। अभिवहन पास दो प्रतियों में पुस्तक के रूप में तैयार किया जायेगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् मूल प्रति वाहन के चालक को दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा प्ररूप-आठ में आवेदन प्रस्तुत करने पर खनि अधिकारी अभिवहन पास बुक सम्यक् रूप से स्टाम्पित कर तथा उसके द्वारा हस्ताक्षर कर प्रदाय करेगा। पट्टेदार, उपरोक्त उपनियम (१) के खंड (ख) के अधीन स्वामिस्व का भुगतान करने तथा अभिवहन पास जारी करने के पूर्व, उसे जारी किये गये पूर्व के उपयोग किये गये समस्त अभिवहन पास की दूसरी प्रतियों की पुस्तक, उपयोग न किये गये अभिवहन पास की पुस्तिका सहित वापस करेगा। खनि अधिकारी प्रदाय किये गये तथा उपयोग की गई दूसरी प्रतियाँ और उपयोग न किये गये अभिवहन पास की पुस्तक का उचित लेखा रखेगा।

(१५) कोई भी जो खनिज या उसके उत्पाद जैसे—ईट, क्वेलू, चूना, परिष्कृत पत्थर, ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स, चिप्स, पत्थर का चूरा तथा गिट्टी इत्यादि प्ररूप-नौ में विधिमान्य अभिवहन पास के बिना परिवहन करता है या यदि अभिवहन पास अधूरा, विकृत या बिगाड़ा हुआ पाया जाता है तो कलक्टर, अपर कलक्टर, जिला/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम पंचायत उपसंचालक, खनि अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी या खनि निरीक्षक, खनिज या उसके उत्पाद को समस्त औजार और उपस्कर तथा परिवहन के लिए उपयोग में लाये गये वाहन सहित अभिग्रहित कर सकेगा।

(१६) कलक्टर, अपर कलक्टर, जिला/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं ग्राम पंचायत उप संचालक, खनि अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा रुपये दस हजार तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो किसी भी मामले में एक हजार रुपये से कम नहीं होगी।

(१७) जब इस प्रकार अधिरोपित शास्ति अपराधी द्वारा जमा कर दी जाय तब अभिग्रहित खनिज अथवा उसके उत्पाद, औजार, उपस्कर और वाहन छोड़ा जा सकेगा।

(१८) यदि इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का, उसे अधिरोपित करने के आदेश से १५ दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो इस प्रकार अभिग्रहित समस्त खनिज अथवा उसके उत्पाद, औजार, उपस्कर तथा वाहन समपहृत हो जायेंगे और राज्य सरकार की सम्पत्ति हो जायेंगे।

(१९) पट्टेदार, स्वामिस्व निर्धारण के प्रयोजन हेतु अभिलेख तथा लेखा पुस्तकें ३० जून/३१ दिसम्बर से तीस दिन के भीतर एववा संबंधित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लिखित सूचना द्वारा कभी भी मांग करने पर संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल होता है, तो एक हजार रुपये प्रतिमाह शास्ति तब तक अधिरोपित की जायेगी, जब तक कि वह उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं करता है।

(२०) पट्टेदार :—

(क) प्रत्येक माह की १० तारीख तक कलक्टर तथा ग्राम पंचायत को प्ररूप-दस में एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें कलेण्डर मास में उत्खनित, हटाये गये/खपत किये गये खनिज की पूर्ण मात्रा दर्शाई जायेगी;

(ख) जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिये अर्धवार्षिक विवरणी प्ररूप-ग्यारह में जुलाई और जनवरी के पन्द्रहवें दिन के पूर्व कलक्टर को प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्रत्येक वर्ष की ३१ जनवरी तक कलक्टर को प्ररूप-बारह में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें गत कलेण्डर वर्ष के दौरान उत्खनित/हटाये गये/खपत किये गये खनिज की मात्रा और मूल्य, नियोजित मजदूरों की औसत संख्या (स्त्री और पुरुष अलग-अलग), कार्य दिनों की संख्या के बाबत जानकारी दी जायेगी।

(२१) पट्टेदार, यथास्थिति रेलवे प्रशासन या मंजूरी प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त खान के किसी भाग को मजबूत बनायेगा या उसे आलंब लगायेगा यदि उसकी राय में रेलवे, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलाशय, तालाब, नहर या अन्य कोई सार्वजनिक निर्माण या भवनों की सुरक्षा के लिये ऐसे मजबूत किये जाने या आलंब लगाये जाने की आवश्यकता है।

(२२) यदि पट्टेदार या उसका अंतरिती या समनुदेशिती उपनियम (२३) के अधीन प्रवेश या निरीक्षण अनुज्ञात नहीं करता

है तो मंजूरी प्राधिकारी पट्टा निरस्त कर सकेगा तथा नियम (२५) के अधीन पट्टेदार द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप को पूर्णतः या उसके किसी भाग को समपट्टत कर सकेगा।

(२३) (एक) पट्टेदार, पट्टे में समाविष्ट किसी भवन, उत्खनन या भूमि के निरीक्षण के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को और जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसमें प्रवेश करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(दो) खदान का प्रत्येक मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक खनन संक्रियाओं से संबंधित विषयों में अनुसंधान करने या प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करेगा।

(२४) पट्टेदार तुरंत—महानिदेशक, खान सुरक्षा, केन्द्रीय शासन, धनबाद, महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय शासन, नागपुर और उस जिले के जिला दण्डाधिकारी को जिस जिले में खदान है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-त्तरह में तत्काल एक लिखित सूचना देगा, जैसे ही :-

(क) खदान में कार्य उपरिस्थ आधार से नीचे विस्तारित हो जाय;

(ख) किसी विवृत खदान में किया गया उत्खनन, उच्चतम बिन्दु से निम्नतम बिन्दु तक नापने पर छः मीटर से अधिक हो जाये; या

(ग) किसी दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या ५० से अधिक हो जाये; या

(घ) किसी विस्फोटकों का उपयोग किया जाय।

(२५) राज्य सरकार को हमेशा उस क्षेत्र से, जिसके लिये पट्टा स्वीकृत किया गया है, निकाले गये खनिजों का अग्रक्रय करने का अधिकार होगा:

परन्तु यह कि पट्टेदार को अग्रक्रय के समय ऐसे समस्त खनिजों का विद्यमान उचित बाजार मूल्य भुगतान किया जायेगा।

(२६) यदि पट्टेदार या उसके अंतरिती या समनुदेशिती द्वारा इस नियम के उपनियम (१), (३), (४), (११), (१२) या (१३) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी भंग किये जाने पर, कलक्टर/अपर कलक्टर, पट्टेदार या उसके अंतरिती या उसके समनुदेशिती को यह कारण बताते हुए कि भंग के लिये उसे क्यों न दण्डित किया जाय और यह निर्देश देते हुए कि वह सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर भंग का उपचार करे, लिखित में एक सूचना देगा और यदि पट्टेदार या उसका अंतरिती या समनुदेशिती ऐसी कालावधि के भीतर समुचित कारण दर्शाने में असफल रहता है या भंग का उपचार न करे, तो मंजूरी प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा और सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग को समपट्टत कर सकेगा या विकल्प में भंग के लिये पट्टेदार से, उक्त वार्षिक अनिवार्य भाटक की रकम से चार गुने से अनधिक ऐसी शास्ति जो पट्टाकर्ता नियत करे, प्राप्त कर सकेगा।

(२७) पट्टेदार या उसके अंतरिती या समनुदेशिती द्वारा पट्टे की किन्हीं अन्य शर्तों का भंग होने की दशा में, मंजूरी प्राधिकारी पट्टेदार से ऐसी शास्ति का भुगतान करने की, जो वार्षिक अनिवार्य भाटक के रकम के दुगुनी रकम के बराबर से अधिक नहीं हो, अपेक्षा कर सकेगा।

(२८) उत्खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें भी अन्तर्विष्ट हो सकती हैं, जिन्हें मंजूरी प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक समझें, अर्थात् :-

(क) भाटक तथा स्वामिस्व के भुगतान की समय सीमा, रीति तथा स्थान;

(ख) पट्टे द्वारा आवृत्त भूमि के नुकसान के लिये प्रतिकर;

(ग) पेड़ों का गिराया जाना;

- (घ) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्षेत्र में सतह की संक्रियाओं पर निबंधन;
- (ङ) सतह के दखल के लिये पट्टेदार द्वारा सूचना;
- (च) पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र या समीपवर्ती क्षेत्र में अन्य खनिजों के उत्खनन के लिये दी जाने वाली सुविधाएं;
- (छ) आरक्षित या संरक्षित वन में प्रवेश करना या कार्य करना;
- (ज) गड्ढों तथा शाफ्टों को सुरक्षित करना;
- (झ) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना;
- (ट) तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध राज्य सरकार को क्षतिपूरित रखना;
- (ठ) खदान क्षेत्र में स्वच्छता बनाये रखना;
- (ड) पट्टे के समर्पण, अवसान या पर्यवसान पर भूमि तथा खानों का कब्जा देना;
- (ढ) पट्टे के पर्यवसान के पश्चात छोड़ी गई सम्पत्ति का समपहरण;
- (ण) युद्ध या आपात स्थिति में संयंत्र, मशीनरी, परिसर तथा खानों का कब्जा लेने की शक्ति;
- (प) ऐसे प्रकरणों में तृतीय पक्ष के अधिकारों के संरक्षण की रीति (चाहे प्रतिकर के द्वारा या अन्यथा) जहां, खनन संक्रियाओं के कारण ऐसे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो;
- (फ) उत्खनन पट्टे के धारक व्यक्ति द्वारा खनन या उत्खनन की संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए पेड़-पौधे तथा अन्य वनस्पति जैसे कि पेड़, झाड़ियां और उनके सदृश्य के पुनर्वास, उसी क्षेत्र में या राज्य सरकार द्वारा चयनित किसी दूसरे क्षेत्र में करने की रीति (चाहे पुनर्वास के खर्च के प्रतिपूर्ति द्वारा या अन्यथा);
- (ब) खदान में किसी समाविष्ट भूमि या अन्य खनि रियायतों में खनन प्रयोजनों के लिये रास्तों, विद्युत पारेषण लाइनों, ट्रामवेज, रेलपथ, आकाशीय रज्जुमार्ग (एरियल रोपवेज) पाइप लाइन्स का निर्माण, संधारण तथा उपयोग और पानी के लिये मार्ग बनाना।

३१. विशेष शर्तें.—उत्खनन पट्टे में राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई विशेष शर्तें भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगी।

३२. काटने तथा तराशने की इकाई की स्थापना.—(१) नियम ३० के उपनियम (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, काटने तथा तराशने की इकाई स्थापित करने के लिये प्रदाय किये गये ग्रेनाइट के उत्खनन पट्टे के संबंध में, यदि राज्य में इकाई पट्टा/पट्टे निष्पादन किये जाने से एक वर्ष की कालावधि के भीतर स्थापित न की जाये, तो उक्त पट्टा/पट्टे पर्यवसित कर दिये गये समझे जायेंगे;

(२) पट्टेदार, उत्खनन पट्टा प्रदाय किये जाने के प्रथम वर्ष के भीतर अन्तर्राज्यिक संचालन को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात मात्रा के अपरिष्कृत ब्लॉकों का परिवहन या निर्यात कर सकेगा।

३३. पट्टेदार के अधिकार.—नियम ३० में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, पट्टेदार को खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिये उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर निम्नलिखित अधिकार होगा :—

- (एक) खानों में कार्य करना;
- (दो) गड्ढे खोदना तथा भवन और सड़कों का निर्माण करना;
- (तीन) संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करना;
- (चार) उत्खनन करना और भवन या सड़क में लगने वाली सामग्री प्राप्त करना तथा ईंटें बनाना किन्तु विक्रय के लिये नहीं;
- (पांच) पानी का उपयोग करना;

(छः) चट्टा लगाने के लिये भूमि का उपयोग करना;

(सात) पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना.

३४. पट्टा पर्यवसित करने का अधिकार.—पट्टेदार सरकार को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात् मंजूरी प्राधिकारी को किसी भी समय, छः माह से अनूयन लिखित में सूचना देकर पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा.

३५. उत्खनन पट्टे का अंतरण.—(१) कोई भी पट्टेदार अपने पट्टे का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं करेगा या उप-पट्टे पर नहीं देगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कोई ठहराव करेगा, जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे के क्षेत्र के ऊपर कोई अधिकार पास होता हो:

परन्तु यह कि रु. १०००.०० (रुपये एक हजार) का भुगतान करने पर तथा अंतरिती द्वारा ऐसे किसी उत्खनन पट्टे के संबंध में अंतरक के समस्त दायित्वों तथा शर्तों को स्वीकार करने पर, मंजूरी प्राधिकारी पट्टेदार को अंतरण की अनुज्ञा दे सकेगा.

(२) मंजूरी प्राधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टा पर्यवसित कर सकेगा, यदि मंजूरी प्राधिकारी की राय में पट्टेदार ने उपनियम (१) का भंग किया है.

(३) उपनियम (१) के अधीन उत्खनन पट्टे के अंतरण के लिये आवेदन करने पर, जहां मंजूरी प्राधिकारी ने ऐसे पट्टे के अंतरण की सहमति दे दी है, वहां अंतरण पट्टा विलेख प्ररूप-चौदह में अनुज्ञा से तीन माह के भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि मंजूरी प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, किया जायगा.

अध्याय छः—उत्खनन अनुज्ञापत्र का प्रदाय

३६. उत्खनन अनुज्ञापत्र.—नियम ७ एवं नियम ८ में विनिर्दिष्ट अनुसार जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायत द्वारा उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी किये जायेंगे.

३७. उत्खनन अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन.—उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदाय किये जाने तथा उसके नवीकरण हेतु प्ररूप पन्द्रह में आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—

(एक) नाम, वृत्ति, जाति, शैक्षणिक अर्हता, उम्र, निवास स्थान, वित्तीय स्थिति तथा पता सहकारी सोसाइटियों एवं सहयोजन के मामले में उपविधियां (बाई लॉज), सदस्यों की सूची और उनकी जाति, वैयक्तिक सदस्य की वित्तीय स्थिति और उनकी शैक्षणिक अर्हता;

(दो) खनिज का नाम जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है;

(तीन) ग्राम के नक्शे में अंकित क्षेत्र का वर्णन, खसरा पांचसाला सहित, जिससे खनिज निकालना है;

(चार) प्रयोजन जिसके लिए खनिज का उपयोग किया जाना है;

(पांच) यदि भूमि निजी भूमि है तो भूमिस्वामी की सहमति;

(छः) कालावधि जिसेक लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है;

(सात) आवेदन फीस रुपये पच्चीस (रुपये २५.००) ऐसी रीति में, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाय, जमा की जायेगी और उसकी नगद रसीद आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी.

३८. उत्खनन अनुज्ञापत्र के आवेदन का निपटारा.—(१) उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदाय करने या उसके नवीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर उसके ब्यारे सर्वप्रथम जिला पंचायत, जिले की संबंधित जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों और संबंधित जिले के जिला कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु परिचलित किये जायेंगे. आवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर मंजूरी प्राधिकारी द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा. किन्तु आवेदन के अंतिम निराकरण के पूर्व ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करेगी.

(२) मंजूरी प्राधिकारी किसी एक अनुज्ञापत्र के अधीन किसी खनिज का विनिर्दिष्ट खदान से उत्खनन करने तथा हटाने हेतु प्ररूप-सोलह में अनुज्ञा प्रदान करेगा. करार मंजूरी से ३० दिन के भीतर प्ररूप-सत्रह में निष्पादित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और यदि पूर्वोक्त कालावधि में कोई ऐसा करार निष्पादित नहीं किया जाये, तो मंजूरी का आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा. प्रत्येक समय परिवहन किये जाने के लिये आशयित खनिज की मात्रा के लिये स्वामिस्व (रायल्टी) जमा करने के पश्चात् प्ररूप-नी में अभिवहन पास जारी किया जाएगा. स्वामिस्व (रायल्टी) की गणना अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी. करार के ऐसे निष्पादन के पूर्व आवेदक, प्रतिभूति निक्षेप की वह रकम जमा करेगा जो प्राधिकारी द्वारा जमा की जाने के लिये निर्देशित किया जाय. संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम ७ के उपनियम (३) में विनिर्दिष्ट खदानों का स्वामिस्व (रायल्टी) आगम प्राप्ति शीर्ष में नियम १० के उपनियम ३ में विनिर्दिष्ट रूप से जमा की जायेगी.

(३) यदि कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के कारणों को कथित करते हुए सूचना देगा.

(४) अधिमानी अधिकार.—उत्खनन अनुज्ञा-पत्र जहां खदान स्थित है उस ग्राम पंचायत के निवासियों को ही निम्न अधिमानी अधिकारों के अनुसार प्रदान किया जायेगा :—

(एक) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी सोसायटियां/सहयोजन जहां पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य एवं अध्यक्ष संबंधित संवर्ग का हो एवं इनकी कार्यकारिणी में इन संवर्गों के उतने लोग अवश्य हों जितने प्रतिशत इन वर्गों के कुल सदस्य समिति में हैं व ये सदस्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई गई सूची में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार के हैं, या अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक, उसी क्रम में,

(दो) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई गई सूची में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक,

(तीन) अन्य कोई व्यक्ति जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई गई सूची में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार के हैं;

(चार) अन्य कोई आवेदक .

३९. उत्खनन अनुज्ञापत्र की कालावधि.—उत्खनन अनुज्ञापत्र की कालावधि नियम २२ में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी.

४०. उत्खनन अनुज्ञापत्र की शर्तें.—उत्खनन अनुज्ञापत्र की शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :—

(एक) खदान की सतह के नीचे की गहराई छः मीटर से अधिक नहीं होगी;

(दो) अनुज्ञापत्र अंतरणीय नहीं होगा;

(तीन) उस खनिज को छोड़कर जिसके लिये उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है, अन्य खनिज का उत्खनन, उसका हटाया जाना या परिवहन मंजूरी प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा;

(चार) उत्खनन संक्रियाओं के दौरान यदि कोई मुख्य खनिज पाया जाता है, तो अनुज्ञापत्र धारक, तत्काल उसकी रिपोर्ट मंजूरी प्राधिकारी तथा जिले के कलक्टर को करेगा;

(पांच) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक, क्षेत्र में उत्खनित एवं हटाये गये खनिज की मात्रा के पूर्ण तथा सही लेखे रखेगा;

(छः) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक समस्त दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मंजूरी प्राधिकारी तथा जिले के कलक्टर को तुरंत करेगा;

(सात) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक को अनुज्ञापत्र के अवसान होने के पश्चात् अनुज्ञात क्षेत्र में पड़ी हुई उत्खनित सामग्री तथा अन्य सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा.

(आठ) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक किन्हीं सार्वजनिक रास्तों, सार्वजनिक भवनों, मंदिरों, जलाशयों, बांधों, कब्रिस्तान तथा रेलपथ इत्यादि से प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर उत्खनन संक्रिया नहीं करेगा और किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा;

(नौ) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक मंजूरी प्राधिकारी या उनमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उत्खनन संक्रियाओं का निरीक्षण तथा लेखों की जांच करने और प्रेषित किये गये खनिज के व्यौरों का उसके (अनुज्ञापत्र धारक) द्वारा संघास्ति रजिस्ट्रों से सत्यापन करने की अनुज्ञा देगा; और

(दस) अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र के अवसान होने पर उसे जारी किये गये अभिवहन पासों की द्वितीय प्रतियां, बिना उपयोग किये गये अभिवहन पासों के साथ "मंजूरी प्राधिकारी को अर्पित करेगा और हटाये गये खनिज की मात्रा दर्शाने वाले ऐसे पूरे विवरण तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जैसे कि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जायें.

४१. उत्खनन अनुज्ञापत्रों का रजिस्टर.—मंजूरी प्राधिकारी, उत्खनन अनुज्ञापत्रों का रजिस्टर प्ररूप अठारह में रखेगा.

अध्याय सात—उत्खनन संक्रियाएं

४२. विवृत्त खुदाई.—(१) विवृत्त खुदाई में बनाई गई पेड़ियों (बैचों) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा ताकि खनिज और अधिभार में पेड़ियां पृथक् रहें जिससे कि अपशिष्ट सामग्री का खनिज से मिश्रण को रोका जा सके.

(२) (एक) जलोद मिट्टी, मुरुम, बजरी, चिकनी मिट्टी या इसी प्रकार की अन्य जमीन में किनारों का ढाल ऐसे सुरक्षित कोण पर रखा जायेगा जो कि क्षितिज से ४५ डिग्री से अधिक नहीं होगा या ऐसा कोई अन्य कोण रखा जायेगा जिसकी कि उप संचालक लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञा दे.

(दो) किनारों को पैड़ीदार रखा जाएगा और किसी भी पेड़ी की ऊंचाई १.५ मीटर से अधिक नहीं होगी तथा उनकी चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी.

(तीन) अधिभार (ओवर बर्डन) की पैड़ियों को पर्याप्त रूप से पूर्व में ही तैयार रखा जायेगा जिससे कि उनमें की जाने वाली खुदाई से खनिज की खुदाई में कोई बाधा न हो.

(चार) खनन संक्रियाओं के दौरान प्राप्त अधिभार और अपशिष्ट सामग्री को विक्रय के अयोग्य अथवा निम्न श्रेणी (सब ग्रेड) खनिजों के साथ मिलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा. उनके अलग से ढेर तथा चट्टे बना कर रखे जाएंगे.

(पांच) खनन संक्रियाओं का संचालन कुशलता से और राज्य और केन्द्रीय अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार, जहां कहीं भी लागू हों, किया जायेगा.

(छ) संबंधित जिले का कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, यदि उसकी राय में उपबंधों का पालन करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है, एक लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए जो कि वह उसमें (आदेश में) विनिर्दिष्ट करें, उन मामलों में, जिनमें विशेष कठिनाई विद्यमान है, खुदाई के किसी कार्य के लिए इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ;

परन्तु यह कि समस्त रेत खदानों और अनुसूचित जनजाति/जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की सहकारी सोसाइटियों/सहयोजन और अनुसूचित जाति/जनजाति/शिक्षित बेरोजगार तथा पिछड़ा वर्ग के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा चलाई जा रही खदानों को इन नियमों के पालन से इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए छूट दी जायेगी कि अलग पड़े हुए पत्थर तथा मलवा उत्खनन के किनारे से तीन मीटर के भीतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और किसी अग्र भाग या पार्श्व की ऐसी अधोकाट अनुज्ञात नहीं की जाएगी कि जिससे कोई प्रलंबी (ओवर हेंगिंग) न हो.

४३. छूट का खान अधिनियम, १९५२ और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अध्वधीन होना.—उन छूटों के अध्वधीन रहते हुए जो खान अधिनियम, १९५२ और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिये गये हैं, पट्टेदार उक्त अधिनियम तथा नियमों के अध्वधीन रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

अध्याय आठ—पर्यावरण का संरक्षण

४४. पर्यावरण का संरक्षण—(१) उत्खनन पट्टा/अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक, उत्खनन संक्रियाएं करते समय, पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण का निबंधन करने के लिए यथासंभव पूर्वविधानियां निम्नलिखित रीति से बरतेगा :-

- (क) जहां कहीं भी ऊपरी मिट्टी विद्यमान है और उत्खनन संक्रियाओं के लिए उसका उत्खनन किया जाना है, वहां उसे पृथक् से हटाया जायेगा;
- (ख) इस प्रकार से हटाई गई ऊपरी मिट्टी का भविष्य के उपयोग के लिए भण्डारण किया जायेगा;
- (ग) ढेरों को, उनसे सामग्री के बहकर निकलने को रोकने के लिए समुचित रूप से सुरक्षित रखा जायेगा जिससे कि भूमि का ग्रेड घटने या कृषि क्षेत्र का नुकसान, भू-पृष्ठ जलसंग्रह का प्रदूषण या बाढ़ कारित न हो;
- (घ) भण्डारण के लिए पट्टा क्षेत्र के भीतर यथासंभव अभेद्य खनिज रहित स्थान चुना जायेगा;
- (ङ) ऊपरी मिट्टी के ढेरों का यथोचित रूप से चबूतरा बना दिया जायेगा और ऊपर वनस्पति से या अन्यथा उन्हें स्थिर किया जायेगा.

(२) इस प्रकार हटाई गई ऊपरी मिट्टी का उपयोग उस भूमि के, जिसकी उत्खनन संक्रियाओं के लिए आगे आवश्यकता नहीं हो प्रत्यावर्तन या पुनरुद्धार करने के लिए किया जायेगा.

(३) अधिभार (ओवर बर्डन) इत्यादि का हटाया जाना, भण्डारण और उपयोग :-

- (क) उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक उत्खनन के दौरान या आकारीकरण के दौरान उत्पन्न अधिभार, अनुपयोगी चट्टानें, कूड़ा करकट और सूक्ष्म कणों का अलग-अलग ढेरों में भण्डारण किया जायेगा.
- (ख) ढेरों को समुचित रूप से सुरक्षित किया जायेगा और उनके यथोचित रूप से चबूतरे बना दिये जायेंगे और ऊपर वनस्पति से या अन्यथा उन्हें स्थिर किया जायेगा;
- (ग) जहां कहीं संभव हो, अनुपयोगी चट्टानें, अधिभार इत्यादि को खदान के खुदे क्षेत्र में इस दृष्टि से पुनः भर दिया जायेगा ताकि भूमि को यथासंभव उसके मूल रूप में उपयोग में लाया जा सके;
- (घ) सूक्ष्म कणों को इस प्रकार जमा तथा व्ययन किया जायेगा जिससे कि उनका बहाव न हो तथा उससे भूमि का ग्रेड घटने या कृषि क्षेत्र को नुकसान, भू-पृष्ठ जल संग्रह का प्रदूषण या बाढ़ कारित न हो.

४५. भूमि को ठीक करना तथा उसका पुनरुद्धार—उत्खनन पट्टे का प्रत्येक धारक—

- (एक) उत्खनन संक्रियाओं से प्रभावित भूमियों के क्रमिक प्रत्यावर्तन, उसके ठीक किये जाने और उसका पुनरोद्धार का भार अपने ऊपर लेगा और इस कार्य को, ऐसी संक्रियाओं के पूर्ण किये जाने और खदान का परित्याग किये जाने के पूर्व, खत्म करेगा;
- (दो) उत्खनन संक्रियाएं ऐसी रीति से करेगा जिससे कि पट्टे के अधीन धारित तथा समीपस्थ क्षेत्र के पेड़ पौधों को कम से कम नुकसान पहुंचे;

(तीन) उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक—

- (क) उसी क्षेत्र में या कलक्टर द्वारा चुने गये किसी अन्य क्षेत्र में, उत्खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के

कम से कम दुगुने पीये लगाने का तत्काल उपाय करेगा;

(ख) पट्टे के अस्तित्व के दौरान उनकी देखभाल करेगा तथाथात् इन वृक्षों को जिस क्षेत्र में खदान अवस्थित है, उस ग्राम पंचायत को सौंप देगा; और

(ग) उत्खनन संक्रियाओं द्वारा विनिष्ट अन्य पेड़ पीछों की यथासंभव प्रत्यावर्तित करेगा।

(घ) राज्य सरकार ऐसी दरें विहित कर सकेगी जिस पर कि उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक से, उसके द्वारा इन नियमों का पालन करने में असफल रहने पर, पुनरुद्धार तथा सुधार का खर्च वसूल कर सकेगी।

४६. सार्वजनिक स्थानों की क्षति, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के लिए पूर्वावधानियां इत्यादि.—उत्खनन पट्टा का इत्येक धारक—

धारक—

(एक) पट्टा क्षेत्र के भीतर अथवा पट्टा क्षेत्र के निकट सार्वजनिक भवनों या स्मारकों, सड़कों, धार्मिक स्थलों की क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा;

(दो) सूखे कणों, धूल इत्यादि के कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (१९८१ का १४) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमा में रहेगा;

(तीन) उत्खनन संक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को स्रोत पर ही कम किया जायेगा अथवा उसका इस प्रकार उपशमन या नियंत्रण किया जायेगा कि जिससे उसे अनुज्ञेय सीमा में रखा जा सके।

४७. शास्ति—कोई भी जो इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से और लगातार उल्लंघन किये जाने पर ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन जारी रहे, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो पांच सौ रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डित होगा।

४८. विवरणियां—(१) उत्खनन पट्टा का प्रत्येक धारक प्ररूप-उन्नीस में संबंधित जिले के कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खदान करार के निष्पादन के दिनांक से ६० दिन की कालावधि के भीतर पर्यावरण प्रबंधन की एक स्कीम, ऐसे प्रस्तावों को समाविष्ट करते हुए जिनमें उत्खनन संक्रियाओं द्वारा अस्तबस्त भूमि के अनुक्रमिक सुधार तथा पुनरुद्धार तथा वृक्षारोपण के लिए एक स्कीम, वायु और पानी के प्रदूषण और नियंत्रण की एक स्कीम होगी, प्रस्तुत करेगा।

(२) उपनियम (१) के अधीन स्कीम, उप संचालक से परामर्श कर बनाई जायेगी।

(३) कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी पर्यावरण पर उत्खनन संक्रियाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करने के लिए अन्य उपाय किये जाने हेतु निदेशित कर सकेगा।

(४) उपनियम (१) के अधीन बनाई गई पर्यावरण स्कीम उत्खनन पट्टा के धारक द्वारा, संचालक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए सूचानिक कारणों पर किसी भी समय परिवर्तित की जा सकेगी।

(५) उत्खनन पट्टा का प्रत्येक धारक, कलक्टर को प्ररूप-बीस में एक त्रैमासिक रिपोर्ट क्रमशः मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमासों के लिए इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कि जिससे वह रिपोर्ट उसे १५ अप्रैल, १५ जुलाई, १५ अक्टूबर तथा १५ जनवरी तक पहुंच जाये। कलक्टर ऐसी रिपोर्ट अपनी टिप्पणियों सहित पंचायतों को भेजेगा जिससे कि वे पर्यावरण के संरक्षण वरू मुचित नियंत्रण कर सकें।

४९. पर्यावरण संरक्षण से क्षिणिलीकरण—(१) इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम ४४, ४५, ४६, ४७ और ४८ के उपबन्ध रेत तथा बजरी उत्खनन पर लागू नहीं होंगे।

(२) संचालक द्वारा विशेष कारणों पर उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र के किसी धारक को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समस्त या कुछ उपबंधों से शिथिलीकरण दिया जा सकेगा।

५०. विद्यमान पट्टेदारों द्वारा स्कीम प्रस्तुत की जायेगी.—जहां इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व उत्खनन सक्रियाएं, पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में अनुमोदित स्कीम के बिना चालू कर दी गई हैं वहां उत्खनन पट्टे जिनके अंतर्गत नीलामी खदानें भी आती हैं, के समस्त धारक इन नियमों के प्रारंभ होने से ९० दिन की कालावधि के भीतर संबंधित जिले के कलक्टर को एक स्कीम प्रस्तुत करेंगे।

५१. स्कीम का अनुमोदन.—(१) कलक्टर, नियम ४८ तथा ५० के अधीन स्कीम प्राप्त होने से ९० दिन के भीतर कारणों सहित अपना अनुमोदन या अननुमोदन पट्टेदार या अनुज्ञापत्र धारक को संप्रेषित करेगा।

(२) यदि उप नियम (१) के अधीन नियत कालावधि के भीतर कोई विनिश्चय संप्रेषित नहीं किया जाता है, तो अंतिम अनुमोदन के अन्वय में रहते हुए, जब भी वह संसूचित किया जाय, वह (स्कीम) अनन्तिम रूप से अनुमोदित समझी जायेगी।

अध्याय नौ—स्वामिस्व का निर्धारण

५२. स्वामिस्व का निर्धारण तथा विनिश्चय.—(१) किसी निर्धारण वर्ष में या यथा अपेक्षित किसी निर्धारिती से शोध स्वामिस्व का निर्धारण तथा अवधारण, पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख/अनुज्ञापत्र के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन यथा अपेक्षित उस वर्ष के संबंध में अपेक्षित विवरणियां प्रस्तुत कर दी जाने के पश्चात् या उत्पादन, प्रेषण या खपाये जाने के बारे में पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक द्वारा विवरण प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात्, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा :

परन्तु यह कि निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट कालावधि के लिए, उस कालावधि के संबंध में विवरणियां प्राप्त होने के पश्चात् अनन्तिम निर्धारण कर सकेगा।

(२) उपनियम (१) में वर्णित स्वामिस्व के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारिती प्ररूप-दस में आगामी मास की १० तारीख तक मासिक विवरणी तथा प्ररूप-बारह में वार्षिक विवरणी निर्धारण वर्ष के अवसान होने से एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(३) यदि निर्धारिती उपनियम (२) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा फाइल की गई विवरणियां गलत प्रतीत होती हैं, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी जांच-पड़ताल, जो वह उचित समझे, कर सकेगा और निर्धारण वर्ष के लिए स्वामिस्व का निर्धारण कर सकेगा :

परन्तु यह कि निर्धारण प्राधिकारी इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(४) उपनियम (३) के प्रयोजनों के लिए निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारिती से वैयक्तिक रूप से या किसी ऐसे अभिकर्ता द्वारा, जो लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, उपस्थित होने की अपेक्षा करे, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर उपसंज्ञात होने और ऐसी किसी साध्य को, जिसे निर्धारिती उसके द्वारा दी गई विवरणियों, विवरणों तथा अभिलेखों की शुद्धता के संबंध में विश्वास करे, पेश करने और निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे लेखे, जैसे कि निर्धारण प्राधिकारी अपेक्षित करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए पन्द्रह दिन की एक सूचना तामील कर सकेगा।

(५) उपनियम (४) में दी गई विनिर्दिष्ट सूचना के दिवस पर या उसके पश्चात् किसी अन्य दिवस पर, जैसा कि निर्धारण प्राधिकारी नियत करे, निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी साध्य, जैसी कि निर्धारिती द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत की जाय, सुनने तथा उस पर विचार करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा देय स्वामिस्व के बारे में लिखित में एक आदेश देगा।

(६) इन नियमों में अथवा उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्धारित उपनियम (२), (४) तथा (५) के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है अथवा यदि उसने किसी नियमित लेखा रखने का ऐसा ढंग जिसके आधार पर निर्धारण सही तरीके से किया जा सके, नहीं अपनाया है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर स्वामिस्व का निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक उल्लंघन के लिए वार्षिक अनिवार्य भाटक के २० प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(७) यदि कोई निर्धारित, उपनियम (२) के अधीन प्ररूप-दस में किसी माह का मासिक विवरण विहित कालावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहता है और यदि निर्धारण प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारित ने स्वामिस्व के भुगतान का अपवंचन या परिवर्जन किया है तो निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उस कालावधि के लिए स्वामिस्व का निर्धारण करेगा। ऐसे निर्धारण की रकम का निर्धारित द्वारा तत्काल भुगतान किया जायेगा।

अध्याय दस—अनधिकृत उत्खनन तथा परिवहन के लिए शास्ति

५३. अनधिकृत उत्खनन तथा परिवहन के लिए शास्ति—(१) जब भी कोई व्यक्ति इन नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा खनिजों का उत्खनन अथवा परिवहन करता पाया जाय अथवा जिसकी ओर से ऐसा उत्खनन अथवा परिवहन किया जाय, उसे खनिजों के अवैध उत्खनन के लिए एक पक्षकार उपधारित किया जायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सादे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है, अथवा ऐसे जुर्माने से जो रुपये पांच हजार तक हो सकता है, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(२) जब कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए खनिजों का उत्खनन करते या परिवहन करते हुए पाया जाय तो कलक्टर/अपर कलक्टर/उपसंचालक/खनिज अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक अथवा जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी गौण खनिज और उनके उत्पाद के साथ-साथ ऐसे अपराध में प्रयुक्त समस्त औजार, उपस्कर और वाहनों को अभिग्रहीत कर सकेगा।

(३) अवैध रूप से उत्खनित या परिवहन किये गये खनिज या उनके उत्पाद, औजार, उपस्कर और वाहनों को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से ऐसी वस्तुएं इस प्रकार अधिग्रहीत की गई हैं उसकी एक रसीद देगा तथा उस मजिस्ट्रेट को, जिसे ऐसे अपराध को विचारण करने की अधिकारिता है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(४) उपनियम (२) के अधीन अभिग्रहीत ऐसी संपत्ति, उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके कब्जे से वह अभिग्रहीत की गई थी, उसे अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी के समाधान पर्यन्त एक बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर उसे उसके द्वारा छोड़ दी जा सकेगी। जब ऐसे अधिकारी द्वारा उसे पेश करने की अपेक्षा की जाये तो वह अपेक्षित स्थान तथा समय पर पेश की जायेगी :

परन्तु यह कि जहां उपनियम (३) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वहां अभिग्रहीत संपत्ति मजिस्ट्रेट के आदेश से ही छोड़ी जायेगी।

(५) कलक्टर/अपर कलक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी या जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी उपनियम (१) के अधीन किये गये ऐसे अपराध के संबंध में, अभियोजन संस्थापन के पहले या उसके पश्चात् ऐसे जुर्माने के, जो उत्खनित खनिज के बाजारमूल्य से दुगने तक हो सकता है, किन्तु किसी भी मामले में रुपये एक हजार से कम नहीं होगा अथवा ऐसे उत्खनित खनिज के स्वामिस्व के दस गुने से, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के पश्चात् प्रशमन कर सकेगा :

परन्तु यह कि निरंतर उल्लंघन के मामले में कलक्टर/अपर कलक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी अधिरोपित जुर्माने के अतिरिक्त ऐसे प्रतिदिन के लिए जब तक कि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, रुपये पांच सौ भी वसूल कर सकेगा।

(६) ऐसा कोई व्यक्ति जो इन नियमों के उल्लंघन में किसी भूमि पर अतिचार करता है तो कलक्टर/अपर कलक्टर द्वारा ऐसे अतिचारी पर इसकी बेदखली किये जाने का आदेश तामील किया जा सकेगा।

(७) उपनियम (२) के अधीन अभिग्रहीत की गई समस्त संपत्ति, यदि अधिरोपित जुर्माना और अन्य रकम का आदेश की

तारीख से एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उस मजिस्ट्रेट के, जो इस अपराध का विचारण कर रहा है, आदेश से अधिहरित किये जाने के दायित्वाधीन होगी :

परन्तु यह कि आदेश से एक माह के भीतर ऐसी रकम का भुगतान किये जाने पर अभिग्रहीत ऐसी समस्त संपत्ति, सिवाय खनिज या उसके उत्पाद के, छोड़ दी जायेगी और उपनियम (२) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहीत खनिज या उसके उत्पादन अधिहारित किये जायेंगे तथा वे राज्य सरकार को सम्पत्ति होंगे.

(८) इस नियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशक्त प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे, तो पुलिस सहायता के लिए पुलिस प्राधिकारी को लिखित में निवेदन करेंगे तथा पुलिस प्राधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जैसी कि खनिज के अवैध उत्खनन तथा परिवहन को रोकने हेतु उस अधिकारी को इस नियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने हेतु आवश्यक हो.

(९) (एक) ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए जैसा कि विनिर्दिष्ट की जायें, कलक्टर/अपर कलक्टर या तो सामान्यतः या विशेष मामले या मामलों के किसी वर्ग के लिए, जो इस नियम के अधीन दण्डनीय है, समस्त या किसी अपराध का अन्वेषण करने हेतु किसी अधिकारी को, जो सहायक खनि अधिकारी की पक्ति से नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकेगा.

(दो) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी ऐसे अन्वेषण का संचालन करने में संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस बल के प्रभारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(तीन) अन्वेषण अधिकारी, इस नियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करेगा :-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण;

(ख) अभिलेख पेश करने के लिए बाध्य करना.

अध्याय ग्यारह-गौण खनिज अपराध निवारण पुरस्कार

५४. पुरस्कार- (१) संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के किसी अधिकारी को, अवैध खनन और उत्खनन तथा परिवहन या अधिनियम तथा नियमों के विरुद्ध अन्यथा किये गये अपराधों के संबंध में ऐसी सूचना देने या अन्यथा ऐसा योगदान करने पर, जिसकी परिणति अपराध के बारे में अभियोजन में हो, पुरस्कार प्रदान किये जा सकते हैं.

(२) पुरस्कार उसी स्थिति में दिया जा सकेगा जबकि दी गई सूचना नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपयोगी हो.

(३) पुरस्कार की शर्तें तथा सीमा.-इन नियमों के अधीन दिये जाने वाले पुरस्कार, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए होंगे-

(एक) जहां खनिजों को अभिग्रहीत किया गया है-पुरस्कार की अधिकतम रकम अभिग्रहीत खनिज के विक्रय मूल्य की वसूली के पश्चात् उसका पांच प्रतिशत अथवा रुपये पांच सौ, इनमें से जो भी कम हो, होगी;

(दो) जहां कोई खनिज अभिग्रहीत नहीं किया गया है-पुरस्कार की अधिकतम रकम वसूल की गई शास्ति की रकम का पांच प्रतिशत होगी;

(४) पुरस्कार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जायेगा-

(एक) इन नियमों के अधीन पुरस्कार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जायेगा;

(दो) इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये पुरस्कार के विरुद्ध किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं होगी.

५५. प्राधिकारी तथा पुरस्कार का प्रकार.—(१) पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार संचालक में निहित होगा.

(२) पुरस्कार प्रदान करने बाबत मामले अथवा प्रस्ताव का परीक्षण और पुरस्कार देने का निर्णय ऐसी समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें संचालक तथा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट विभाग के दो अन्य अधिकारी होंगे.

(३) पुरस्कार मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड के जिल्द दो के प्ररूप-३४ में उस आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा जो कि संबंधित शासकीय सेवक के वेतन तथा भत्तों का संवितरण करता है.

अध्याय बारह—गौण खनिजों से राजस्व का जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच संवितरण

५६. राजस्व का मध्यप्रदेश पंचायत राज निधि/पंचायत निधि में जमा किया जाना.—(१) इन नियमों के उपबंधों के अधीन पंचायतों के नियंत्रण के अधीन खदानों के सिवाय, गौण खनिजों से राजस्व जैसे अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व, भूतल भाटक और अन्य कोई शास्तियां इत्यादि प्रथमतः राज्य की संचित निधि में ऐसी रीति से जमा किये जायेंगे जो नियमों में विहित है, राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर यदि विधान सभा द्वारा विनियोग से ऐसा उपबंध किया गया है तो राज्य की संचित निधि से ऐसी समस्त रकम निकाल सकेगी, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों के राजस्व से प्राप्त हुई हो, और जिसका संवितरण किया जाना है, ऐसी रकम एक पृथक् निधि में जो मध्यप्रदेश पंचायत राज निधि कहलायेगी, जैसा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में उपबंधित है, जमा की जावेगी.

(२) पंचायतों के नियंत्रण के अधीन खदानों का गौण खनिजों से राजस्व संबंधित पंचायत की निधि में जमा किया जायेगा.

(३) प्रतिवर्ष उक्त निधि का नियंत्रण करने वाले नियमों के अनुसार, राज्य सरकार, संबंधित जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच अनुदान का निम्नलिखित रीति से वितरण करेगी :—

(एक) अनुसूची एक के क्रमांक १ पर वर्णित गौण खनिजों से राजस्व का ३३.३३ प्रतिशत संबंधित उस ग्राम पंचायत को, जिसके अंतर्गत उत्खनन पट्टा का क्षेत्र स्थित है :

परन्तु यदि पट्टा क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों के अधीन आता है, तो संबंधित ग्राम पंचायतों में आने वाले पट्टा क्षेत्र के अनुपात में संवितरण किया जायेगा.

(दो) इस नियम के उपनियम (३) के खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट के सिवाय गौण खनिज की खदानों का राजस्व का वितरण संबंधित जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के बीच १:४ में किया जायेगा.

अध्याय तेरह—अपील, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण

५७. अपील तथा पुनर्विलोकन.—(१) जहां, इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को और उस रीति में होगी जो कि मध्यप्रदेश पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, १९९५ में विहित है.

(२) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, कलक्टर/अपर कलक्टर द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील संचालक को होगी.

(३) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में संचालक द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए

कोई आदेश पारित किया गया है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी।

(४) इन नियमों द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उसे आदेश संचूचित किये जाने की तारीख से ६० दिन के भीतर, आदेश के पुनर्विलोकन के लिए, राज्य सरकार को आवेदन करेगा।

(५) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर, उसके संबंध में जैसा ठीक समझे आदेश पारित कर सकेगा।

५८. पुनरीक्षण—(१) राज्य सरकार तथा संचालक, किसी भी समय स्वप्रेरणा से उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या की गई कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकेगी/सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगी/सकेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी/सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई आदेश किसी हितवद्ध व्यक्ति के विरुद्ध तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(२) उपनियम (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कभी किसी भी विषय में राज्य सरकार के समक्ष कोई पुनर्विलोकन लंबित हो, तब उसके अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

५९. अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन की परिसीमा—इन नियमों के अधीन कोई भी अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन, आदेश की संसूचना की तारीख से ६० दिन के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा :

परन्तु अपीली या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा उक्त कालावधि के पश्चात् भी ऐसी कोई अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक उसका यह समाधान कर दे कि आवेदन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

६०. अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन के लिए आवेदन—(१) आवेदन प्ररूप-इक्कीस में तीन प्रतियों में किया जायेगा। अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन आवेदन के साथ शासकीय कोषालय में एक सौ रुपये के कोषालय चालान की एक रसीद यह दर्शाते हुए कि शासकीय कोषालय में लेखा शीर्ष—

०८५३ — खान और खनिज

१०२-ग — खनि रिवायत फीस, भाटक तथा स्वामिस्य

८०० — अन्य प्राप्तियां

००२ — शास्तियों तथा समपहरणों को सम्मिलित करते हुए गौण खनिजों से प्राप्तियां

में भुगतान कर दिया गया है, संलग्न की जानी चाहिए।

(२) अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन के आवेदन पर रु. ५.०० (पांच रुपये) मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जायेगा।

(३) उपनियम (१) के अधीन ऐसे प्रत्येक आवेदन में, किसी व्यक्ति को उत्खनन-पट्टा प्रदान करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसको उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है उसको पक्षकार बनाया जायेगा।

(४) उपनियम (१) के अधीन आवेदन के साथ आवेदक आवेदन की उतनी प्रतियां, जितने कि उपनियम (३) के अधीन पक्षकार बनाये गये हैं, प्रस्तुत की जायेगी।

६१. अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन आवेदन की प्रतिलिपियां संबंधित पक्षकारों को भेजा जाना—आवेदन तथा

उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर अपीली अथवा पुनर्विलोकन प्राधिकारी, आवेदन की प्रतिलिपि नियम ६० के उपनियम (३) के अधीन बनाये गये पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगा, जिस तारीख को या उसके पूर्व यह पुनर्विलोकन/अपील के आवेदन के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन कर सकेगा।

६२. अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन आवेदन पर आदेश—जहां इन नियमों के अधीन अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन आवेदन किया गया है, वहां प्राधिकारी उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायोचित और समुचित समझे।

६३. स्थगन प्रदान करना—अपीली अथवा पुनर्विलोकन प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का निष्पादन जिसके कि विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन लंबित है, ऐसे समय के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, स्थगित किया जाय :

परन्तु यह कि खनन शोछों की वसूली के लिए कोई स्थगन तब तक प्रदान नहीं किया जावेगा, जब तक कि स्थगन चाहने वाले पक्षकार ने भाटकों, स्वामिस्वों तथा उन पर देय ब्याज की विवाद रहित रकम का भुगतान कर दिया हो और ऐसे भाटकों, स्वामिस्व तथा ब्याज की विवादित रकम के लिए बैंक गारंटी नहीं दी है।

६४. सुनवाई का अवसर—नियम ६२ के अधीन कोई आदेश किसी हितग्राही व्यक्ति के विरुद्ध तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे अपना मामला प्रतिपादित करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

अध्याय चौदह—विविध

६५. प्रकट मूलों का परिशोधन करने की शक्ति—सक्षम प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश की तारीख से छ महीने के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से अभिलेख को देखते ही प्रकट किसी भूल या गलती को ठीक कर सकेगा और उसी प्रकार की कालावधि के भीतर खदान को प्रदाय करने के लिए आवेदन करने वाले द्वारा उसके ध्यान में लाई गई ऐसी किसी भूल या गलती को परिशोधित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी परिशोधन जो उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुशापत्र को प्रदान करने हेतु किसी दूसरे आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या ऐसा प्रभाव डालना तात्पर्यित हो, तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना ऐसे आवेदक को नहीं दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया हो।

६६. विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण—किसी मामले या मामलों के वर्ग में जिसमें राज्य सरकार को यह राय हो कि लोकहित की ऐसी अपेक्षा है, तो वह इन नियमों में विहित नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुशापत्र प्रदान कर सकेगी।

६७. खदान का कब्जा वापस करना—(१) जहां, उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुशापत्र रद्द कर दिया जाता है या पर्यवसित कर दिया जाता है या अग्रकदाधिकार का प्रयोग किया जाता है या वह कालावधि का, जिसके लिए पट्टा प्रदान किया गया है, अवसान हो जाता है, तो पट्टेदार, पट्टे के रद्द किये जाने या पट्टे के पर्यवसित किये जाने या अप्रकदाधिकार के प्रयोग किये जाने से १५ (पंद्रह) दिन की कालावधि के भीतर या पट्टे के अवसान होने के ठीक पश्चात् आने वाली तारीख को, जैसी भी दशा हो, उस जिले के कलक्टर/अपर कलक्टर को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को या जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खदान का कब्जा सौंप देगा।

(२) जहां पट्टेदार उपनियम (१) के अनुसार खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर/अपर कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिला/जनपद/ग्राम पंचायत, पट्टेदार पर एक सूचना या तो डाक द्वारा या उसकी एक प्रति पट्टेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी सदस्य पर या उसके नौकरों में से किसी नौकर को निविदात करते हुए या परिदत्त करते हुए या करते हुए या उसके निवास स्थान के सहज दृश्य स्थान के किसी भाग पर

चस्मा करते हुए या उसे कम से कम ऐसे समाचार पत्र में जिसका उस परिक्षेत्र में जहाँ पट्टेदार निवास करता है, परिचालन है, प्रकाशित करा कर तामील करेगा.

(३) उपनियम (२) के अधीन सूचना में वह विवरण अंतर्निहित रहेगा कि सूचना की तामील की तारीख से १५ (पन्द्रह) दिन की कालावधि के भीतर पट्टेदार नियम ६७ के उपनियम (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को खदान का कब्जा सौंप देगा. जहाँ पट्टेदार उपनियम (२) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर खदान का कब्जा नियम ६७ के उपनियम (१) में प्राधिकृत अधिकारी को सौंपने में असफल रहता है, वहाँ वह पट्टेदार से खदान का कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे.

६८. राज्य सरकार के कार्यों के लिए गौण खनिज हटाने हेतु अनुज्ञा.—(१) ग्राम पंचायत किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से, कोई भी गौण खनिज जिनको राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कार्यों के लिए आवश्यकता हो, उत्खनन करने, हटाने तथा परिवहन करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा. ऐसी अनुज्ञा या तो संबंधित विभागीय प्राधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत ठेकेदार को, ठेका दिये जाने बाबत सबूत देने पर, दी जायेगी.

(२) एक बार में ऐसी अनुज्ञा ३० दिन की अवधि से और ५०० धनमीटर मात्रा से अधिक की नहीं होगी.

(३) ऐसी अनुज्ञा केवल तब ही दी जायेगी जब कि अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित स्वामित्व का अग्रिम में भुगतान कर दिया हो, तब प्ररूप-नी में अभिवहन पास जारी किया जायेगा.

(४) ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों से शासित होगी :—

(एक) अनुज्ञापत्र धारक, उस क्षेत्र से हटाये तथा परिवहन किये गये खनिज का पूर्ण तथा सही लेखा रखेगा;

(दो) वह जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को उत्खनन सक्रियाओं का निरीक्षण करने तथा लेखाओं का सत्यापन करना अनुज्ञात करेगा;

(तीन) जैसे ही अनुज्ञात मात्रा का परिवहन तीस दिन की कालावधि के भीतर या उससे पहले किया जाता है, वैसे ही अभिवहन पासों की द्वितीय प्रति, या उपयोग में न लाये हुए ऐसे समस्त अभिवहन पासों सहित, परिवहन की गई मात्रा का पूर्ण विवरण, जो कि संबंधित विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रामाणित हो, मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा.

६९. शक्तियों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन.—राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी कोई शक्ति या ऐसा कोई कृत्य जो इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकती है या पालन किये जा सकते हैं, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए, जैसी कि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी या उनका पालन किया जा सकेगा जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें.

७०. निरस्तन.—इन नियमों के तत्स्थानी वे समस्त नियम या कार्यकारी अनुदेश जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरस्तित नियमों या अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, जहाँ तक कि वे इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या की गई कार्यवाही समझी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. लक्ष्मीनारायणन, प्रमुख सचिव.

अनुसूची-एक
(देखिए नियम ६)

विनिर्दिष्ट खनिज

१. आकारीय पत्थर-ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काट कर और तराश कर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.
२. संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.
३. अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर.
४. भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूनापत्थर.
५. फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिए तथा काटने और तराशने के उद्योग में उपयोग किया जाता है.
६. यांत्रिक क्रिया द्वारा मिट्टी बनाने के लिए पत्थर (अर्थात् कशर के उपयोग हेतु).
७. बेन्टोनाइट/फुलर्स अर्थ.

अनुसूची-दो
(देखिए नियम ६ तथा ७)

अन्य खनिज

१. साधारण रेत, बजरी
२. ईंट, बर्तन, कवेलू, आदि बनाने के लिए साधारण मिट्टी.
३. पत्थर, बोल्टर, रोडमेटल, मिट्टी, डोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर, रबल, चिप्स.
४. मुरुम.

५. लाइम कंकर भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में जलाकर उपयोग के लिए,

६. ग्रेवल

७. लाइम शेल भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में जलाकर उपयोग के लिए,

८. रेह मिट्टी

९. स्लेट, जब भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग की जावे,

१०. शेल, जब भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग की जावे,

११. क्वार्टजाइट तथा क्वार्ट्जिटिक सेन्ड जब भवन अथवा रोड मेटल या घरेलू बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जावे,

१२. सान्ट पीटर,

अनुसूची-तीन
(दिए गए नियम २९)

रायल्टी की दरें

अनुक्रमांक (१)	खनिज (२)	दरें (३)
१.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लॉक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है :-	
	(क) काला रंग	रु. ७५० प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रु. ४०० प्रति घनमीटर

(१)	(२)	(३)
२. संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.		रु. १५० प्रति घनमीटर
३. अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर		रु. ५० प्रति घनमीटर
४. फ्लेगस्टोन—प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.		रु. ४० प्रति घनमीटर
५. साधारण रेत, बजरी		रु. १५ प्रति घनमीटर
६. मुरुम		रु. १० प्रति घनमीटर
७. पत्थर—		
(क) बोल्टर		रु. १५ प्रति घनमीटर
(ख) गिट्टी, रोड मेटल		रु. १६ प्रति घनमीटर
(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, डोका		रु. २५ प्रति घनमीटर
८. अन्य गौण खनिज		रु. १० प्रति घनमीटर

अनुसूची—चार

(दिखिए नियम २९)

अनिवार्य भाटक की दरें
रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष

अनु- क्रमांक	खनिज की श्रेणी	उत्खनन पट्टे का प्रथम वर्ष	उत्खनन पट्टे के द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष (४)	उत्खनन पट्टे के चतुर्थ वर्ष और आगे (५)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१. आकारीय पत्थर—ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.		निल	१०,०००	१५,०००
२. संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है तथा अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर.		निल	३,०००	५,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३. चूना पत्थर भट्टी में जला कर चूना का विनिर्माण कर भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग के लिए,		निल	३,०००	५,०००
४. फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिए किया जाता है,		निल	५,०००	७,५००
५. क़शर के लिए पत्थर		निल	५,०००	७,५००
६. साधारण रेत, बजरी		निल	५,०००	७,५००
७. मुरुम		निल	२,०००	३,०००
८. भवन प्रयोजन के लिए पत्थर तथा अन्य गौण खनिज,		निल	२,०००	३,०००

प्ररूप-एक
(देखिए नियम ९)

उत्खनन पट्टा प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन

दिनांक १९ .. को स्थान ..

में प्राप्त किया गया.

(यहां न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाएं)

की ओर से—

प्रति,

श्रीमान्

द्वारा

श्रीमान्

दिनांक १९ ..

१. मैं/हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हेक्टर भूमि में वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा दिये जाने/उत्खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन करते हैं.

२. नियमों के अधीन देय रु. ५,००० (रुपये पांच हजार) या रु. २५० (दो सौ पचास रुपये) की राशि आवेदन शुल्क के रूप में चालान क्र., दिनांक स्थान में जमा कर दी गई है.

३. अवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

- (एक) आवेदक का नाम
- (दो) आवेदक की राष्ट्रीयता
(भागीदार, संचालक, सदस्य)
- (तीन) रजिस्ट्रीकरण अथवा निगमन का स्थान
(फर्म, कंपनी अथवा सोसायटी/सहयोजन)
- (चार) व्यक्ति की उपजीविका (वृत्ति) फर्म या कंपनी या सोसायटी
या सहयोजन के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय
का स्थान.
- (पांच) व्यक्ति/फर्म, कम्पनी अथवा सोसायटी या सहयोजन का
पता.
- (छः) जाति (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों
की).
- (सात) शैक्षणिक अर्हता (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन
के सदस्यों की).
- (आठ) आयु (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के
सदस्यों की).
- (नौ) निवास (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के
सदस्यों का).
- (दस) संचालकों/भागीदारों/सदस्यों की सूची.
- (ग्यारह) रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रमाण-पत्र
- (बारह) आर्थिक प्राप्ति
- (तेरह) आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेण्डम/भागीदारी विलेख/उपविधि
- (चौदह) क्या आवेदन नये पट्टे हेतु है अथवा पूर्व में स्वीकृत
पट्टे के नवीकरण हेतु है. पूर्व स्वीकृत पट्टे के ब्यारे दें.
- (पन्द्रह) खनिज/खनिजों जो आवेदक उत्खनन करने का आशय
रखता है.

- (सोलह) वह कालावधि जिसके लिए उत्खनन पट्टा/उत्खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है.
- (सत्रह) प्रथम तीन वर्ष के दौरान उठाए जाने वाले खनिज की अनुमानित मात्रा.
- (अठारह) वह रीति जिसमें उठाये गये खनिज का उपयोग किया जाना है—
 (क) विनिर्माण हेतु
 (ख) बिक्री हेतु
 (ग) अन्य कोई उद्देश्य

विनिर्माण के मामले में, उद्योगों जिसके लिए इसकी आवश्यकता है, विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, प्लॉट/प्लॉटों का स्वामित्व, लगाया जाना प्रस्तावित है, के ब्यौरे दें.

४. (क) प्लान की (ख) प्रतियों) अवस्थिति तथा क्षेत्र/क्षेत्रों की सीमाएं दर्शाते हुए जिसके लिए आवेदन किया गया है तथा रियायतें, यदि हों, समीपस्थ संलग्न है/हैं (यदि यह प्लान/ये प्लान अपर्याप्त समझे जाएं, मैं/हम प्रार्थना करते हैं कि आवश्यक क्षेत्र/क्षेत्रों का प्लान दो प्रतियों में आपके कार्यालय में मेरे/हमारे खर्चे पर तैयार किये जा सकते हैं).

(ख) खसरा पांचसाला.

५. राज्य के प्रत्येक जिले में खनिजवार समस्त क्षेत्र दर्शाते हुए विवरण सहित शपथ पत्र :—

(एक) मेरे/हमारे द्वारा पहले ही धारित मेरे/हमारे नाम/नामों पर (तथा अन्यो के साथ संयुक्त रूप से) उत्खनन पट्टों के अधीन धारित गौण खनिजों के नामों को विनिर्दिष्ट करते हुए,

(दो) पहले ही आवेदन किया गया परन्तु अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया, और

(तीन) राज्य के अन्य जिलों में साथ-साथ आवेदन करते हुए, संलग्न है.

६. सतह अधिकार प्राप्त करने का शपथ पत्र.

७. प्ररूप—दो में अदेय (नो—ड्यूज) प्रमाण-पत्र.

८. प्लान में महत्वपूर्ण विशेषताएं दर्शाई जाना चाहिए, जैसे—

(एक) यदि रेल्वे है, तो उसके पूर्ण ब्यौरे अर्थात् क्या पूर्वी रेल्वे या मध्य रेल्वे, ब्रांच लाइन या मुख्य लाईन या कोयला खान, ट्रामवे.

(दो) यदि सड़क है तो क्या ग्राम या लोक निर्माण विभाग या गाड़ी रास्ता

(तीन) कुएं.

(चार) मंदिर या मस्जिद.

(पांच) मरघट या कब्रिस्तान आदि.

९. उस दशा में, जब आवेदित नवीकरण केवल धारित पट्टे के भाग के लिए है—

(क) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र

(ख) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र का विवरण.

(ग) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र की विशिष्टियों को चिह्नित करते हुए, धारित पट्टा की विशिष्टियां (संलग्न हैं).

१०. वे साधन, जिनके द्वारा खनिज उठाया जाना है, अर्थात् मानव श्रमिकों द्वारा, मशीनी यंत्र या विद्युत् शक्ति द्वारा.

११. कोई अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है.

अनुसूची

आवेदित क्षेत्र का विवरण

(एक) ग्राम तथा पंचायत का नाम

(दो) प्रत्येक क्षेत्र अथवा उसके भाग का खसरा क्रमांक तथा क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
--------------	------------------------

(तीन) जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है उसका पूरा विवरण प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए—

(चार) तहसील एवं पटवारी हलका नंबर

(पांच) जिला

स्थान

दिनांक

भवदीय,

(नाम तथा पद)

टिप्पणी.—यदि आवेदन पत्र आवेदक के प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तो अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न करना चाहिए. यदि सभी खसरा क्रमांक इस प्ररूप में दर्ज नहीं किये जा सकें तो उसे पृथक् शीट पर दर्ज करते जाना चाहिए तथा संलग्न कर हस्ताक्षरित करें जहां किसी खसरा क्रमांक का केवल कोई हिस्सा अपेक्षित हो तो उस भाग का अनुमानित क्षेत्रफल पर्याप्त होगा.

प्रारूप—दो
[देखिए नियम ९(ठ)]

अदेय (नो-इयूज) प्रमाण-पत्र

जारी करने वाला कार्यालय

क्रमांक जिला दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला में नीचे बताये गये उत्खनन पट्टे/खनन पट्टे श्री/सर्वश्री के द्वारा धारित है :—

ग्राम	तहसील	खनिज	खेजफल	कुल देय धन का निर्धारण (रुपयों में)				कालावधि
			हेक्टेयर में	सरफेस रेंट	अनिवार्य भाटक	(स्वामित्व) (रायल्टी)	अन्य	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)

. कालावधि के दौरान भुगतान की गई धनराशि रुपयों में

सरफेस रेंट	अनिवार्य भाटक	स्वामित्व (रायल्टी)	अन्य	योग
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

बकाया देय धन :—

- १.
- २.
- ३.

१. यदि किसी वर्ष में निर्धारण नहीं हुआ है तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए.
२. यह दर्शाना चाहिए कि क्या इस पट्टे के संबंध में कोई कुर्की अथवा आर. आर. सी. लंबित है.
३. यह जारी करने की तारीख से केवल छः माह के लिए विधिमान्य है.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम, पद मुद्रा सहित.

प्ररूप-तीन
[देखिये नियम १४(२)]

उत्खनन पट्टा प्रदान करने या नवीकरण के आवेदन की पावती-रसीद

अनुक्रमांक दिनांक

श्री/सर्वश्री द्वारा ग्राम में
पंचायत तहसील जिले में
स्थित लगभग हेक्टेयर में खनिजों के बारे में उत्खनन
पट्टा प्रदान करने/नवीकरण हेतु दिया गया आवेदन निम्नलिखित सहपत्रों सहित आज दिनांक १९.....
को प्राप्त किया।

संलग्न :-

स्थान
दिनांक

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

प्ररूप-चार
[देखिये नियम १५(१)]

उत्खनन पट्टों के लिए आवेदन का रजिस्टर

१. अनुक्रमांक
२. आवेदक का नाम
३. आवेदक का निवास स्थान
४. प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति का दिनांक
५. खनिजों की विशिष्टियां, जो आवेदक लेना चाहता है
६. ग्राम का नाम
७. पंचायत का नाम
८. तहसील
९. खसरा क्रमांक
१०. क्षेत्रफल हेक्टेयर में (खसरा अनुसार)
११. कालावधि जिसके लिए आवेदन किया गया

१२. टिप्पणियां (प्राथमिकता जो मांगी गई है)
१३. आवेदनों का अंतिम निराकरण, आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित
१४. अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप—पांच
(देखिये नियम २०)

उत्खनन पट्टों का रजिस्टर

१. अनुक्रमांक
२. पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित
३. आवेदन का दिनांक एवं आवेदन रजिस्टर का अनुक्रमांक
४. खनिज, जिसके लिए पट्टा दिया गया है
५. (क) पट्टा दिये जाने के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक प्राधिकार सहित
- (ख) उत्खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक
६. कालावधि, जिसके लिए प्रदान/नवीकरण किया गया
७. ग्राम, पंचायत एवं तहसील, जहां स्थित है
८. खसरा क्रमांक तथा क्षेत्रफल
९. क्षेत्रफल हेक्टर में जिसके लिए पट्टा प्रदान किया है
१०. कार्य करने के लिए खसरा क्रमांक प्रत्येक क्रमांक का क्षेत्रफल सहित तथा दिनांक जिसमें ऐसे कार्य लिए गए
११. कालम (९) में बताए क्षेत्र के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि, भुगतान के दिनांक सहित तथा क्या शासन के माध्यम से अथवा निजी वार्ता द्वारा, भूमि अर्जन अथवा पट्टा अंतरण का क्रमांक आदेश सहित.
१२. निर्धारित सतही भाटक की राशि तथा निर्धारण का दिनांक.
१३. पट्टे की समाप्ति या त्याग देने अथवा उसके रद्दकरण का दिनांक.

१४. टिप्पणियां, विवरण सहित नवीकरण, वास्तविक समाप्ति या त्यागने के दिनांक सहित.
१५. दिनांक जब से क्षेत्र प्रदाय हेतु उपलब्ध है (अधिसूचना क्रमांक एवं उपलब्धता का दिनांक)
१६. पट्टे के समनुदेशन अथवा अंतरण दिनांक, यदि कोई है तथा समनुदेशिनी या अंतरिती का नाम तथा पता.
१७. उत्खनन पट्टे के पट्टाधारी का नाम, राष्ट्रीयता अथवा अन्य विवरण में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का दिनांक तथा परिवर्तन के विवरण सहित.
१८. अधिकारी के हस्ताक्षर
१९. टिप्पणियां

प्ररूप-छः

[नियम २५(२) देखिये]

प्रतिभू-बंधपत्र

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की धारा १-क की मद में यथा-विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क

इस विलेख के द्वारा सबको यह ज्ञात हो कि—

मैं आत्मज जिला
(इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है), तहसील
का निवासी हूं, मध्यप्रदेश के राज्यपाल को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है), उनके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी या उनके अटर्नी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को रुपये केवल की रकम का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं, जिसका भुगतान पूर्णतः और सही रूप से किया जाएगा, मैं, एतद्वारा, स्वयं को अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं;

इसके साक्ष्य स्वरूप आज तारीख मास सन् एक हजार नौ सौ को इस पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये;

यतः श्री आत्मज जिले की तहसील में का निवासी है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहा गया है) को ग्राम तहसील जिला में हेक्टर क्षेत्र पर (खनिज) के लिए कालावधि के लिए उत्खनन पट्टा उसके स्वयं के अनुरोध पर आदेश क्रमांक दिनांक के द्वारा स्वीकृत किया गया है;

और यतः पट्टेदार राज्य सरकार के साथ विहित करार को निष्पादित करने के लिए सहमत है;

और यतः राज्यपाल (पट्टाकर्ता) तथा पट्टेदार के बीच निष्पादित किये जाने वाले करार के आधार पर, उक्त पट्टेदार से

पट्टे से उद्भूत होने वाले अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व (रायल्टी), भूतल भाटक और अन्य शोध्यों का नियमित तथा समय पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है;

और यतः राज्य सरकार ने श्री आत्मज को रुपये की सीमा तक (रुपये केवल) प्रतिभूति देने के लिए कहा है, मैं, उपरोक्त रकम के लिए उसका प्रतिभू होता हूँ तथा यह बंधपत्र निष्पादित करता हूँ और मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं निम्नलिखित स्थावर संपत्ति का स्वामी हूँ तथा जिसका कि मैं अत्यांतिक स्वामी हूँ और यह कि वह संपत्ति बंधक अथवा दान की हुई नहीं है और समस्त विलगम से मुक्त है;

और बंधपत्र की शर्तें ऐसी हैं कि यदि पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या किसी भी समय उक्त पट्टे से उद्भूत होने वाले अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व भूतल भाटक या अन्य शोध्यों का भुगतान नहीं करता है, तो इस पट्टे के अधीन इस लेखे ऐसे कोई शोध्य राज्यपाल को तुरंत शोध्य और संदेय हो जायेगा और उसकी वसूली इस बंधपत्र के आधार पर मेरी ऊपर उल्लिखित संपत्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति एक किश्त में की जावेगी;

आगे मैं और यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त संपत्ति को इस बंधपत्र के प्रवृत्त रहने तक, विक्रय, बंधक, दान नहीं करूंगा अथवा किसी अन्य रीति से इसका अन्तरण नहीं करूंगा और किसी भी रूप में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे व्ययन हो;

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त ने आज तारीख मास सन् एक हजार नौ सौ को हस्ताक्षर किये.

साक्षियों के हस्ताक्षर,

उनका पूरा नाम, पता तथा उपजीविका सहित.

प्रतिभू के हस्ताक्षर,

१.

सत्यापित किया जाता है कि यह बंधपत्र आज मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया और ठीक पाया गया.

२.

कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

तारीख

प्ररूप—सात

उत्खनन पट्टा विलेख

(नियम २६ देखिए)

यह करार एक पक्षकार के रूप में के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार श्री आत्मज (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी हैं)

अथवा

(सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित)

तथा (व्यक्ति का नाम पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके क्रमशः वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी हैं);

अथवा

..... (भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज
निवासी समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का ९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय में पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उक्त समस्त भागीदार, उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, विविध प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी हैं);

अथवा

..... कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी (कंपनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर है (पता) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशी भी हैं);

के बीच आज तारीख को किया गया.

पट्टेदार/पट्टेदारों ने, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में के हेतु उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये की राशि जमा की है;

इस बात का साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट भाटकों तथा स्वामिस्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने के और उसके/उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसंविदाओं तथा करारों के प्रति फलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टा प्रदान और अंतरित करता है;

..... की ऐसी समस्त खदानें (यहां खनिज या खनिजों का विवरण दें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित हैं और उनमें तथा उसके नीचे हैं, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-दो में वर्णित है, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित हैं, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है, परिसर दिनांक से आगामी वर्ष की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को, एतद्वारा, प्रदान किये जाते हैं, पट्टे पर दिये जाते हैं, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामिस्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित हैं, क्रमशः ऐसे समयों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गई है;

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे हैं, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किय जाता है.

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

भाग एक—इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र :-

..... ग्राम में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो तहसील में ग्राम पंचायत में है और जो खसरा कमांक जिसमें या उसके लगभग का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

उत्तर में द्वारा

दक्षिण में द्वारा

पूर्व में द्वारा

और

पश्चिम में द्वारा

जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है.

भाग दो—उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो भाग-तीन में दिये गये हैं, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

१. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, तथा कार्य करना इत्यादि.—एतद्वारा द्वारा किये गये पट्टाअंतरण की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर प्रवेश करने और उक्त खनिज/खनिजों, को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करने, उनकी दरेसी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

२. मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना.—इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, संयंत्र, दरेसी-फर्शों, ईंट-भट्टा, कर्मशाला, भण्डारगृह, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

३. रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग.—इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई ट्राम पथ, रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने और छोड़ों, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका (या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान ट्रामपथों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी शर्तों पर, जैसी कि सहमत हों, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

४. भवन तथा रास्ते की सामग्री इत्यादि.—इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्ते के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईंटें या कवेलू विनिर्मित करने और ऐसे ईंटों तथा कवेलुओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी किसी सामग्री, ईंटों या कवेलुओं का विक्रय करने के लिए नहीं.

५. जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि.—इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अध्वधीन रहते हुए तथा कलक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बांध बनाने और ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरुद्ध करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियों या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिए और उस

संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृष्य भूमियों, ग्रामों, भवनों या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित करेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदूषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किसी नाष् जलधारा में नीचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी जलधारा को नहीं मोड़ेगा।

६. चट्टे लगाने, ढेर लगाने, जमा करने के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग—उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर, उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई कार्य और किन्हीं औजारों, उपकरणों, मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के, जो इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोदे गये हों, या निकाले गये हों, चट्टे लगाने, ढेर लगाने, भण्डारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिए, प्रवेश करने और उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।

भाग तीन—भाग दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें

१. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा—किसी सार्वजनिक विहार भूमि, श्मशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ष द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करे, कोई भवन या तदवृथ्व कोई सरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जाएगी और कोई भी भूतल सक्रियाएं नहीं की जाएंगी जिससे किन्हीं भवनों, कार्यों संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को, कोई हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल सक्रियाओं के लिए ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो, उपयोग नहीं किया जाएगा पट्टेदार किसी मार्ग, कुएं या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा/नहीं करेगा।

२. ऐसी भूमि में जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल सक्रियाओं के लिए अनुज्ञा—ऐसी भूमि का, जो भूतल सक्रियाओं के लिए पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है, उस बाबत उपयोग करने के पूर्व, पट्टेदार, जिले के कलक्टर को दो कलण्डर मास पूर्व की एक लिखित सूचना देगा/दिने जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन तथा इस प्रकार उपयोग किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलक्टर, उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करे, तब तक इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार की की गई आपत्ति, राज्य सरकार को निर्देश किये जाने पर, निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभिव्यक्त नहीं कर दी जाती।

३. प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर कोई खनन सक्रियाएं नहीं की जाएंगी—पट्टेदार नियम ३० के उपनियम (१२) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन सक्रियाएं नहीं करेगा/करेगा या उन्हें करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

४. लगी हुई शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टों के लिए सुविधाएं—पट्टेदार, ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने बाबत अनुज्ञा देगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की सक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय

भाग चार—राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

१. अन्य खनिजों के बारे में कार्य करना—राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने, खोदने, पाने, उत्खनन करने, देखी करने, प्रसंस्कारित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिए, खनने, सुरंग बनाने, तैयार करने, स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और

ऐसे गढ़बों, कूपकों, आनतियों, अनुसुरंगों, समतालिकाओं तथा अन्य लाइनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इन्जनों, मशीनरियों, संयंत्र, भवनों, नहरों, ट्रामपथों, रेलपथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों, और ऐसी सुविधाओं का जैसा कि आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाए, उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति :

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति या प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय.

२. रेलपथ तथा रास्ते बनाना—राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथों, ट्रामपथों तथा सड़क मार्गों को बनाने, संधारित करने और उनकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, ट्रामपथों, सड़क मार्गों, पाइप लाईनों, तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिए और जैसा कि किसी अवसर पर अपेक्षित हो, घोड़ों, पशुओं या अन्य पशुगाड़ियों, वेगनों, वाहनों, लोकमोटरों या अन्य वाहनों सलित या रक्षित, पुनः पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति :

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय.

भाग पांच—इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व, अनिवार्य भाटक, (डेडरेट) या स्वामिस्व, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना

१. पट्टेदार पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खण्ड २ में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा:

परन्तु इन नियमों के नियम ३० के अधीन जहां ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टा-क्षेत्र से हटाये गये या हथपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी हो गया है, वहां वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करने का दायी होगा.

२. भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान का ढंग—इस भाग के खण्ड १ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार पट्टान्तरित और इस अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के लिए, इन नियमों की अनुसूची-चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ऐसी रीति में, जैसा कि नियम ३०(१)(क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे.

३. स्वामिस्व के भुगतान की दरें तथा ढंग—इस भाग के खण्ड १ के उपबंध के अधीन रहते हुए, पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके/उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम ३० (१) (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामिस्व का, इन नियमों की अनुसूची-तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे.

४. सतही भाटक का भुगतान—पट्टेदार, उक्त भूमियों के जो समय-समय पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई है या उपयोग की गई है, समस्त भागों के सतह के संबंध में, क्रमशः प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर या उसके किसी भाग के लिए रु. की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंग होने की कालावधि के दौरान दखल किये गये या उपयोग किए हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाय, भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे और इस प्रकार उपयोग की गई सतह भूमि को क्यासंभव उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा/करेंगे. सतह भाटक का भुगतान नियम ३० (१) (ग) में दिये गये बीरे के अनुसार किया जाएगा.

भाग-छः—भाटक और स्वाभिस्व संबंधी उपबंध

1. भाटक और स्वाभिस्व कटीती आदि से मुक्त होंगे—इस अनुसूची के भाग-पांच में उल्लेखित भाटक और स्वाभिस्व का, नियम ३०(१) में यथाविनिर्दिष्ट, राज्य सरकार को किसी भी कटीती से मुक्त भुगतान किया जाएगा।
2. स्वाभिस्व के संगणना के ढंग—उक्त स्वाभिस्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, पट्टादार/पट्टेदार खपत किये गये तथा प्रेषण किये गये खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा। साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का, जो कि स्टॉक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल की जा सकेगी।
3. यदि भाटकों और स्वाभिस्वों का समय पर भुगतान नहीं होता है, तो कार्यवाई—इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शीघ्र कोई भाटक, स्वाभिस्व या अन्य रकम का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शीघ्र चीबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, साधारण ब्याज के साथ, खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

भाग सात—पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रसंविदाएं

1. पट्टेदार भाटकों तथा स्वाभिस्वों, कर्तों इत्यादि का भुगतान करेगा—पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वाभिस्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में, जो इस विलेख के भाग-पांच तथा छ. उपबंधित है, भुगतान करेगा/करेगी और ऐसे समस्त कर्तों, रेंटों, निर्धारणों तथा अधिरोपणों का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जो सार्वजनिक भाग के स्वरूप के हों और जो पट्टेदार/पट्टेदारों के उन परिसरों तथा संकायों के, जो तत्सदृश्य अन्य परिसरों तथा संकायों के सामिलता हो, सिवाय भू-राजस्वों की भांति के, पर या उनके संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रभारित किये जाएं, निर्धारित किये जाये या अधिरोपित किये जायें, का भी भुगतान करेगा/करेगी तथा उनका उन्मोचन करेगा/करेगी।
2. सीमाचिह्नों का अच्छी हालत में संधारण करना तथा रखना—पट्टेदार अपने/उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में द्योति जाने वाले सीमांकन के अनुसार सीमा चिह्नों तथा स्तंभों को स्थापित करेगा और समस्त समयों पर उन्हें संधारित तथा बरम्मत में रखेगा। ऐसे चिह्न तथा स्तंभ झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें।
3. सक्रियाएं एक वर्ष के भीतर प्रारंभ की जाएंगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा—पट्टेदार, पट्टा निर्धारित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सक्रिया प्रारंभ करेगा/करेगी और उसके पश्चात् इस पट्टे के चालू रहने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खस्त्रियों को, स्वेच्छापूर्वक अवरोध के बिना निपुणता से तथा कुशलता से और इसमें इसके पश्चात् खण्ड १२ में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त भूमियों के भूतल या उस पर की फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य संपत्ति को अनावश्यक या परिहार्य नुकसान किये बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिये बिना, प्राप्त करेगा/करेगी, उनके संबंध में कार्य करेगा/करेगी तथा विकास करेगा/करेगी। इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सक्रियाओं में खान के संबंध में भूनीचरी स्थापित करना, दृमपथ दिखाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित है।
4. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रखा जाएगा—पट्टेदार, ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये, जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके/उनके द्वारा किये गये हों, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हरजाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनको भुगतान करेगा/करेगी जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरुद्ध, ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के संबंध में जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी और पूर्णरूप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूर्ति रखेगा/रखेगी।
5. गड्डे इत्यादि को सुरक्षित करना तथा अच्छी हालत में रखना—पट्टेदार, इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गड्डों तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जायें, या उपयोग में लाये जायें, इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/रखेगी और ऐसे प्रत्येक गड्डे या खदान के चाहे वह परित्यक्त हो अथवा न हो, इर्दगिर्द, कलक्टर के समाधान पर्यंत बाड़ लगाएगा/लगाएगी तथा उसे संधारित करेगा/करेगी और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के जो परित्यक्त कर दी गई हैं, यथासंभव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा/रखेगी।

६. खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा संभालना.—पट्टेदार, यथास्थिति, संबंधित रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधानपर्यन्त खान के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते, तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना की सुरक्षा के लिए ऐसा मजबूतीकरण या संभाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा/करेंगे तथा संभाल करेगा/करेंगे।

७. खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना.—पट्टेदार, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को परिसर में, जिसमें कोई भवन, उत्खनन, या पट्टे में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा/करेंगे और पट्टेदार उसके/उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित हैं, ऐसे अधिकारी, अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा/करेंगे और खदानों के कार्यकरण के संबंध में ऐसी समस्त सुविधाएं, जानकारी देगा/देगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे कि केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, समय-समय पर अधिरोपित करना उचित समझे, के अनुरूप अनिवार्य रूप से कार्य करेगा/करेंगे तथा उनका अनुपालन करेगा/करेंगे।

८. दुर्घटना की रिपोर्ट की जाना.—पट्टेदार, बिना विलंब के कलक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा/भेजेंगे जो इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गई हो या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।

९. अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जाना.—पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज को, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्ध के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलक्टर को अविलंब देगा/देगे। यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है, तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा/करेंगे और उसका निपटारा नहीं करेगा/करेंगे जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाय या उसके लिए एक पृथक् पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाय।

१०. उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं का रखा जाना.—पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हो, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा/रखेंगे या रखवाएगा/रखवाएंगे, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर सही प्रविष्टियां अंतर्विष्ट होंगी :—

- (१) उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा प्रकार।
- (२) उन खनिज/खनिजों को, जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार, पृथक्-पृथक् रूप से।
- (३) अन्यथा निपाटाये गये विभिन्न प्रकारों के उक्त खनिज/खनिजों की मात्राएं और ऐसे निपटारे की रीति तथा प्रयोजन।
- (४) उक्त खनिज/खनिजों के समस्त विक्रयों की कीमतें तथा अन्य समस्त विवरण।
- (५) उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में नियोजित व्यक्तियों, की संख्या तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हताएं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए।
- (६) ऐसे अन्य तथ्य, विविधियों तथा परिस्थितियां, जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करें और ऐसे अधिकारियों को ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार नियत करें, ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियां, जैसा कि राज्य सरकार विहित करें, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करें, उक्त लेखा-पुस्तकों, रेखांकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अब्राध पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

११. रेखांक इत्यादि संधारित करना.—पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों



द्वारा की गई समस्त सक्रियाएँ तथा खुदाई और उसके/उनके द्वारा की गई सक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त खाइयाँ, गड्ढे तथा भू-वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक, उस प्रयोजन के लिए किये जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके द्वारा, जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अंत में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, संशोधित किये जायेंगे तथा भरे जाएंगे और पट्टेदार, राज्य सरकार को जब कभी अपेक्षित किये जाएँ, ऐसे रेखांकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियाँ निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे. समस्त खाइयों, गड्ढों के शुद्ध अभिलेखों में—

- (क) वह अवमृदा तथा स्तर (स्ट्राटा) जिसमें वे हैं;
- (ख) कोई खनिज जो मिला है;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आंकड़े

दर्शाए जायेंगे.

पट्टेदार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा/करेंगे. जब कभी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, उस क्षेत्र का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेंगे जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ-साथ भण्डार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी.

१२. तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान.—पट्टेदार इस विलेख द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या बिघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकर देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेंगे और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या बिघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये जाएँ, राज्य सरकार को हानिरहित रूप से बचाएगा और क्षतिपूरित रखेगा. शासकीय भूमि की दशा में क्रमशः १० तथा २० वर्षीय पट्टों के मामले में, पट्टेदार भू-राजस्व के ३० तथा ६० गुना के बराबर प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे.

१३. अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुँचाई जाएगी.—पट्टेदार, एतद्द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा/करेंगे कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रूप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध न हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति, उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्हीं खनिजों के संबंध में, केन्द्र और राज्य सरकार तथा पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों या उल्लेखन पट्टों के धारकों को ऐसे खनिजों को प्राप्त करने, खुदाई करने, विकास करने तथा उनको ले जाने के प्रयोजन के लिए उन तक उक्त भूमियों के ऊपर तथा उसके आरपार युक्तियुक्त पहुँच मार्ग तथा सुरक्षित और सुविधाजनक पथ प्रदान करेगा/करेंगे.

परन्तु यह कि पट्टेदार, ऐसे पट्टेदारों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा ऐसे पथ के उपयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे/उन्हें किसी नुकसान या क्षति के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा/करेंगे.

१४. पट्टे का अंतरण.—पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना—

- (क) उल्लेखन पट्टा या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, उप-पट्टे पर नहीं देगा/देंगे, बंधक नहीं करेगा/करेंगे या किसी भी रीति से अंतरित नहीं करेगा/करेंगे, या
- (ख) ऐसा कोई ठहराव, संविदा या समझौता नहीं करेगा/करेंगे जिसके द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों का सारवान सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से वित्त पोषण होगा जिसके द्वारा या जिसके अधीन पट्टेदार की सक्रियाएँ या कारबार सारवान रूप से पट्टेदार/पट्टेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय द्वारा नियंत्रित की जाय.
- (ग) मंजूरी प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा यदि उसकी राय में पट्टेदार/पट्टेदारों ने ऊपर दिये गये उपबंधों से किसी भी उपबंध का भंग किया है या नियम ३५ में दिये गये अनुसार के सिवाय पट्टे या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित का अंतरण किया है परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश पट्टेदार/पट्टेदारों को उसका/उनका कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा.

१५. पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा.—जब कभी रुपये का प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या प्रतिभूति निक्षेप की पुनः पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास इसमें इसके पश्चात् जमा की गई और रकम समपद्धत

की जाय या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाय, तब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिभूति रकम के अविनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा रकम को रुपये तक लाने के लिए पर्याप्त हो.

१६. पट्टे का पर्यवसान किये जाने पर अच्छी हालत में खदान की राज्य सरकार को सुपुर्दगी.—पट्टेदार उक्त अवधि या उसके नवीकरण का अवसान होने पर या ऐसी अवधि के पहले उसका पर्यवसान कर दिये जाने पर, राज्य सरकार को समस्त खानें, गड्ढे, जलमार्ग और अन्य कार्य जो अब विद्यमान हैं या जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि पर खोदे जाने वाले हैं या उस पर या उसके अधीन बनाये जाने वाले हैं, सिवाय उनके जिनका राज्य सरकार की मंजूरी से परित्याग कर दिया गया है और किसी सामान्य या उचित कार्यकरण वाले समस्त इंजिनों, मशीनरी, संयंत्र, भवनों, संरचनाएं, अन्य कार्य तथा सुविधाएं, जो कि उक्त अवधि के प्रारंभ होने के समय उक्त भूमि पर या उसके नीचे थे, तथा पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा स्थापित ऐसी समस्त मशीनरी जो कि खानों को क्षति पहुंचाये बिना निकाली नहीं जा सकती या उक्त भूमि के नीचे के खुदाई कार्य (सिवाय उसमें से ऐसे जो राज्य सरकार की मंजूरी से काम में न लाने वाले हो गये हैं) और पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भूतल के ऊपर ईंटों या पत्थर से बनाये गये समस्त भवन तथा संरचनाएं, अच्छी मरम्मत की हालत में तथा दशा में और उक्त खानों का तथा उक्त खनिजों की और खुदाई के लिए समस्त दृष्टि से उपयुक्त हों, सुपुर्द करेगा/करेंगे.

१७. अग्रक्रम का अधिकार—(क) राज्य सरकार को, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर एतद्द्वारा अंतरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार/पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अग्रक्रम करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन, राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, सुपुर्द करेगा/करेंगे.

(ख) राज्य सरकार द्वारा, एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अग्रक्रम में लिये गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रक्रम के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो :

परन्तु यह कि उक्त उचित बाजार कीमत की संगणना करने में सहायता करने की दृष्टि से पट्टेदार, यदि ऐसी अपेक्षा की जाय, राज्य सरकार को, उसकी गोपनीय जानकारी के लिए अन्य ग्राहकों को, बेचे गये उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्राओं, वर्णों तथा कीमतों के और मालभाड़े के लिए, उसका वहन करने के लिए किये गये भाटक-पत्र (चार्टर) के विवरण प्रस्तुत करेगा/करेंगे और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जाय, ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या मालभाड़े के लिए पक्षकारों द्वारा की गई संविदाओं तथा भाटक-पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा/करेंगे :

(ग) युद्ध स्थिति या आपात-काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिस के विद्यमान रहने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सवृत होगी) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियंत्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को एक लिखित सूचना द्वारा किया जाएगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों, संयंत्रों, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन तथा पालन करेगा/करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसे उचित प्रतिकर का, जो कि राज्य सरकार द्वारा करार करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जाय, पट्टेदार/पट्टेदारों को, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उसके परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुए समस्त हानि या नुकसान का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद्द्वारा, प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबंधनों तथा उपबंधों को, इस खण्ड के उपबंधों को प्रभावशाली करने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा.

१८. राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली.—यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें इसके

पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किये जाने हैं या उनका पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार, मांग की जाने पर, राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्यर्थों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किये जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये गये हों तथा ऐसे व्यर्थों के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

१९. अन्य बाध्यताएं—(क) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे;

(ख) पट्टेदार, खान अधिनियम, १९५२ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(ग) पट्टेदार स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे जैसे कि कलक्टर द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें;

(घ) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे;

(ङ) पट्टेदार, नियोजन के विषय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देंगे;

(च) पट्टेदार नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा/करेंगे.

भाग आठ—राज्य सरकार की प्रसंविदाएं

१. पट्टेदार अधिकारों को निर्बाध रूप से धारण कर सकेगा/सकेंगे तथा उनका उपभोग कर सकेगा/सकेंगे.—पट्टेदार, एतद्वारा आरक्षित भाटकों तथा स्वामिस्वों का भुगतान करने पर और इसमें अंतर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं तथा करारों का पालन तथा संपादन करने पर या पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से पालन तथा संपादन किये जाने पर, ऐसे अधिकारों तथा परिसरों का, जो एतद्वारा, पट्टान्तरित किये गये हैं तथा ऐसी अवधि के दौरान, जो कि, एतद्वारा, प्रदान की जाती है, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसके अधीन दावा करे, बिना किसी अवैध विघ्न के धारण करेगा/करेंगे या धारण कर सकेगा/कर सकेंगे और उनका उपभोग करेगा/करेंगे या उपभोग कर सकेगा/कर सकेंगे.

२. तृतीय पक्षों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर—यदि, इस अनुसूची के भाग-सात के खण्ड ४ के उपबंध के अनुसार, पट्टेदार, उक्त भूमियों के किसी भाग की सतह के दखलकार को किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रस्तावित संक्रियाओं के कारण उद्भूत हों, प्रतिकर देने की प्रस्थापना करे और उक्त दखलकार राज्य सरकार की आरक्षित तथा इस विलेख द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टान्तरित किये गये हैं अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इंकार करे तो पट्टेदार इस विषय की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा/करेंगे और उसके पास वह रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित की थी और यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिकर की प्रस्थापित रकम उचित तथा युक्तियुक्त है या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है और पट्टेदार/पट्टेदारों ने उसके पास ऐसी और रकम, जैसी कि राज्य सरकार उचित तथा युक्तियुक्त समझे, तो राज्य सरकार दखलकार को यह आदेश देगी कि वह पट्टेदार/पट्टेदारों को उस भूमि में प्रवेश करना और ऐसी संक्रियाएं करना अनुज्ञात करे, जैसी कि इस पट्टे के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों. ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में राज्य सरकार, भूमि-अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी.

३. नवीकरण किया जाना.—नियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा नवीकरण किये जाने योग्य है.

४. पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता.—(१) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/कर सकेंगे और ऐसी सूचना का अवसान होने पर, यदि पट्टेदार ऐसा अवसान होने पर समस्त भाटकों, स्वामिस्वों, नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देंगे और उसका भुगतान

करेगा/करेंगे जो कि उस समय शोध्य हो तथा इस विलेख के अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य सरकार को परिदत्त करेगा, तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि और एतद्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार अत्यंतिक रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा पर्यवसित हो जाएंगे किन्तु वे, इस विलेख में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रसविदाओं या करार के किसी भंग के संबंध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

(२) मंजूरी प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किये गये आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जो कि खनिजों के समूह के लिए है, एक या अधिक खनिजों का इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उस खनिज के भण्डार अब इस सीमा तक निःशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक हास हो गया है कि उस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे संभव नहीं है, अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा देगा, कि पट्टेदार—

(क) ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और

(ख) यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नहीं करेगा।

५. प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय—इस पट्टे या उसके किसी नवीकरण का पर्यावसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलक्टर चयन करे, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोग इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जाएगी। प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

भाग नौ—सामान्य उपबंध

१. निरीक्षण में बाधाएं—इस मामले में, जहां पट्टेदार या उसका/उनके अंतरिती, समनुदेशिती उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देगा तथा उससे/उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में निर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बतलाए कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाय तथा उसका/उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहृत कर लिये जाएं, और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को समाधानपर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है/रहते हैं तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा।

२. स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने तथा प्रसविदाओं का भंग करने के मामले में शास्ति—यदि पट्टेदार या उसका/उनके अंतरिती या समनुदेशिती नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है/करते हैं या शर्तों में से किसी शर्त तथा प्रसविदा का, उन शर्तों को छोड़कर, जो कि ऊपर प्रसविदा १ में निर्दिष्ट है, भंग करता है/करते हैं, तो कलक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना देगा कि वह/वे यथास्थिति, भाटक, स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर करे/करें और यदि ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो मंजूरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि उसके/उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपहृत कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शास्ति अधिकारोपित कर सकेगा।

३. अपरिहार्य घटना के कारण पट्टे की शर्तों की पूर्ति करने में असफलता—पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रहने पर राज्य सरकार पट्टेदार/पट्टेदारों के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगी या ऐसी असफलता को इस पट्टे का भंग नहीं समझा जाएगा, जहां तक कि ऐसी असफलता को उस सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण उद्भूत होने वाली समझा जाता है और यदि अपरिहार्य घटना के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों तथा निबंधनों में से किसी शर्त तथा निबंधन की पूर्ति में विलम्ब होता है, तो ऐसे विलम्ब की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत की गई कालावधि में जोड़ दिया जाएगा। इस खण्ड में अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से अभिप्रेत है, दैवीकृत, युद्ध,

विप्लव, बलवा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकम्प, ज्वार भाटा, तूफान, ज्वारिया लहर, बाढ़, तड़ित (लाइटनिंग) विस्फोट, आग या अन्य कोई ऐसी घटना जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से निवारित या नियंत्रित नहीं कर सकता था/कर सकते थे।

४. पट्टे का अवसान होने पर पट्टेदार उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेंगे—पट्टेदार, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा उन्हें उन्मोचित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वतर पर्यावसान किये जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन कलण्डर माह के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड १ तथा २ के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाए और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कलण्डर माह के भीतर) उसके/उनके फायदे के लिए समस्त या किसी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचना, ट्रामपथ तथा अन्य किसी कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं को, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं है/नहीं है, उठाए जा सकेंगे तथा हटाये जा सकेंगे।

५. पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन मास से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गई सम्पत्ति का समपहरण—यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-आठ के खण्ड ४ में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वतर पर्यावसान के प्रभावी होने से तीन कलण्डर माह के अंत में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनाएं, ट्रामपथ तथा अन्य कार्य, परिनिर्माण तथा सुविधाएं या अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा, उत्खनन पट्टे के अधीन उसके द्वारा/उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किये जाने वाले संकायों के संबंध में अपेक्षित नहीं है, तो वे उन्हें हटाया जाने की अपेक्षा करते हुए कलक्टर द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दी गई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कलण्डर माह के भीतर न हटाये जायें, तो वे उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई प्रतिकर देने या उस बाबत उन्हें कैफियत देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझे जायेंगे तथा वे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किये जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा।

६. यह पट्टा में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के अध्याधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद्वारा, यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन क्षेत्र, पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूलीय शोध्यों के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, बाद (या अपीलें) स्थित (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा यह स्पष्ट करार किया जाता है कि ऊपरनामित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने या कोई कार्रवाई करने या कोई बाधिका फाइल करने के लिए पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार सक्षम नहीं होगा।

७. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रुपये प्रतिवर्ष है।

जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

साक्षी :-	राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से
(१)
(२)	द्वारा हस्ताक्षरित
	तारीख
साक्षी :-	पट्टेदार
(१)	तारीख
(२)	(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

प्ररूप—आठ
[देखिए नियम २९(६)]

खनिज प्रेषण के लिए अभिवहन पास/अभिवहन पास-बुक जारी करने के लिए आवेदन

१. पट्टेदार का नाम
२. पता
३. खनिज का स्रोत—
 - (एक) खदान का स्थान
 - (दो) तहसील
 - (तीन) पंचायत
 - (चार) जिला
४. खनिज का नाम
५. स्टॉक में खनिज की मात्रा एवं प्रेषण/परिवहन किये जाने की प्रस्तावित मात्रा
६. उस मात्रा के परिवहन का मार्ग तथा ढंग
७. प्रेषण का प्रयोजन—
 - (स्वयं उपभोग/विक्रय)
 - (विक्रय के मामले में, खरीददार का नाम व पता दिया जाना चाहिए)
८. रेल परिवहन के मामले में—
 - (१) लदान का स्टेशन
 - (२) माल का गंतव्य, माल पाने वाले का नाम एवं पते के साथ
९. खनिज का विक्रय मूल्य
१०. कालावधि, जिसके भीतर आवेदक उक्त मात्रा का प्रेषण/परिवहन करना चाहता है
११. अन्य विशिष्टियाँ, जो आवेदक दर्शाना चाहता है

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरे/हमारे अधिकतम जानकारी एवं विश्वास अनुसार सही हैं।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—नौ
[देखिए नियम २९(७)]

अभिवहन पास

	जिला
पास बुक क्रमांक	
अभिवहन पास क्रमांक	
पट्टेदार/अनुज्ञा पत्र धारक का नाम	
खनिज का नाम	
खदान तथा ग्राम का नाम	
खदान का क्षेत्र	
उत्खनन पट्टा/अनुज्ञा-पत्र की अवधि—	
१. खदान से भेजने की तारीख	
२. खदान से भेजने का समय	
३. ले जाई जाने वाली खनिज की मात्रा (घन मीटर में)	
४. खनिज-पट्टेदार का नाम व गंतव्य स्थान	
५. ले जाने वाले खनिज का मूल्य	
६. ट्रक/ट्रैक्टर का क्रमांक या बैलगाड़ी वाले का नाम	
वाहन के ड्रायवर के हस्ताक्षर	खदान के पट्टेदार/ठिकेदार/मुशी/अधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी :—

- (१) किसी भी प्रकार का ऊपरी लेखन नहीं होना चाहिए तथा स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना चाहिए।
- (२) मूल प्रति गाड़ी के वाहक ड्रायवर (चालक) को दी जानी चाहिए और कार्बन कापी दूसरी पास बुक जारी करने के लिए प्राधिकारी के पास जमा करने हेतु इसी किताब में रखी जावे।
- (३) तारीख तथा समय का न लिखना तथा ऊपरी लेखन करना दण्डनीय होगा।
- (४) एक वाहन को प्रत्येक ट्रिप के परिवहन के लिए केवल एक ही अभिवहन पास जारी किया जावेगा।

प्ररूप—दस
[देखिए नियम ३०(२०)(क)]

मासिक विवरणी

माह के लिए

(आगामी माह की १० तारीख तक प्रस्तुत की जाने वाली सारणी)

(१) पट्टेदार का नाम

(२) पता

(३) खदान की अवस्थिति

प्रति,

(१) कलेक्टर,

(क) ग्राम —

(ख) तहसील —

(ग) पंचायत —

(घ) पट्टे के चारे —

(क) खसरा नं. क्षेत्रफल

(ख) पट्टे की अवधि

(२) ग्राम पंचायत,

नोट—सभी आंकड़े घनमीटर में दिये जायें

१. प्रारम्भिक स्टॉक
२. खनिज का उत्पादन
३. योग
४. खनिज की खपत
५. खनिज का प्रेषण
६. योग उपनोग प्रेषण (४+५)
७. अंत में स्टॉक (३-६)
८. उपयोग में लाये गये अभिवहन बुक क्रमांक तथा अनुक्रमीक
९. खपत किये गये खनिज से उत्पाद
- (क) प्रारम्भिक स्टॉक
- (ख) उत्पादन
- (ग) योग
- (घ) प्रेषण
- (ङ) अंत में स्टॉक

१०. योग्य देय स्वामिस्व का बकाया
११. इस माह के लिए स्वामिस्व
१२. कुल स्वामिस्व (१० + ११)
१३. मुगतान की गई स्वामिस्व

चालान क्रमांक दिनांक स्थान

१४. शेष बकाया (१२-१३)

१५. टिप्पणियां

स्थान

दिनांक

पट्टेदार अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर.

प्ररूप—ग्यारह

[देखिए नियम ३०(२०)(ख)]

१-१-१९ से ३०-६-१९

१-७-१९ से ३१-१२-१९

तक की कालावधि के लिए अर्धवार्षिक विवरणी

(१५ जुलाई / १५ जनवरी तक प्रस्तुत किया जाय)

प्रति,

कलेक्टर,

.....

(१) पट्टेदार का नाम

(२) पता

(३) खदान की अवस्थिति

(क) ग्राम :-

(ख) तहसील :-

(ग) पंचायत :-

(४) पट्टे का विवरण :-

(क) खसरा नं. क्षेत्रफल

(ख) पट्टे की अवधि

नोट.—सभी आंकड़े धनमीटर तथा रुपयों में दिये जायें.

१. अर्धवर्ष में कुल उत्पादन

२. उपयोग

३. प्रेषण
४. योग
५. स्वामिस्व
६. भुगतान किया गया अनिवार्य भाटक
७. भुगतान योग्य स्वामिस्व (५-६)
८. भुगतान किया गया स्वामिस्व
चालान क्रमांक दिनांक स्थान

कृपया

- (१) गह्वा मुख मूल्य
- (२) विक्रय मूल्य
- (३) प्रतिदिन कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का औसत
- (४) खदान की गहराई
- (५) विस्फोटक का उपयोग, यदि कोई है,

के बारे में

स्थान
दिनांक

पट्टेदार अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर.

प्ररूप—बारह

[देखिए नियम ३०(२०)(ग)]

वार्षिक विवरणी

(प्रतिवर्ष ३१ जनवरी तक प्रस्तुत की जाय)

प्रति,

कलेक्टर,

भाग एक—साधारण

१. पट्टेदार का नाम तथा पता
२. खान/खदान का नाम
३. खनिज
४. पट्टा क्षेत्र के विवरण—
(एक) कुल क्षेत्रफल खसरा नंबरों सहित

- (दो) निष्पादन की दिनांक
- (तीन) कब्जे का दिनांक
- (चार) पट्टे की कालावधि
- (पांच) ग्राम पंचायत
- (छ) थाना
- (सात) पोस्ट आफिस
- (आठ) जिला
५. अंतरक अथवा पूर्व पट्टेदार यदि कोई हो तथा अंतरण का दिनांक.
६. स्वामित्व :— (कृपया सही का चिह्न लगाइये)
- (एक) अनुसूचित जनजाति सोसायटी
- (दो) अनुसूचित जाति सोसायटी
- (तीन) शिक्षित बेरोजगार सोसायटी
- (चार) व्यक्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आदि दर्शाएं)
- (पांच) कोई अन्य

भाग दो—क्षेत्र का उपयोग

७. वर्ष के अंत में पट्टा क्षेत्र का उपयोग :—
- (एक) क्षेत्र जिसका पहले से ही उपयोग किया जा चुका था तथा त्यागा जा चुका है.
- (दो) वर्तमान संक्रियाओं के अधीन आने वाला क्षेत्र
- (तीन) अवशिष्ट व्यय के उपयोग में लगाया गया क्षेत्र
- (चार) किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया क्षेत्र (बोरा दें).

भाग तीन—भाटक (रेन्ट्स) तथा स्वामिस्व (रायल्टीज)

८. वर्ष के दौरान भुगतान किया गया स्वामिस्व (रायल्टी)
- (क) वर्ष के दौरान स्वामिस्व
- (ख) पिछले बकाया की राशि यदि कोई हो जो इस वर्ष के दौरान भुगतान की है.
९. इस वर्ष के दौरान भुगतान किये गये अनिवार्य भाटक की राशि.

१०. सतही भाटक (सरफेस रेंट) —

(एक) क्षेत्र जिसके लिए सतही भाटक भुगतान योग्य है

(दो) वर्ष के लिए भुगतान की गई राशि

(तीन) पिछले बकाया, यदि कोई हो, की राशि जो भुगतान की गई है :—

भाग—चार

११. उत्पादन एवं प्रेषण—

प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	प्रेषण	अंतिम स्टॉक

भाग—पांच
उत्पादन लागत

लागत प्रति टन

(एक) प्रत्यक्ष लागत

(दो) ऊपरी लागत

(तीन) ब्याज

(चार) मूल्य ह्रास

(पांच) कर स्वामिस्व आदि

१२. उपयोग किये गये विस्फोटक तथा मशीनें
(विशिष्ट विवरण दें)

स्थान

दिनांक

पट्टेदार अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर

प्ररूप—तेरह

[देखिए नियम ३०(२४)]

सूचना पत्र

१. (क) खान का नाम

- (ख) उत्खनन किय गये खनिज का नाम
- (ग) खान की स्थिति (ग्राम, थाना, उपसंभाग, जिला, राज्य)
- (घ) दिनांक जब प्रथम बार कार्य प्रारंभ किया गया था
२. (क) वर्तमान मालिक/मलिकों का नाम एवं डाक का पता
- (ख) अभिकर्ता (एजेन्ट) का नाम एवं डाक का पता, यदि कोई हो.
३. (क) प्रबंधक का नाम एवं डाक का पता, यदि कोई हो.
- (ख) उसकी आयु
- (ग) उसकी अर्हताएं
- (घ) खनन के कार्य में उसका अनुभव
४. क्या खनन क्रियाओं का भूमितल के नीचे विस्तार किये जाने की संभावना है.
५. (क) सबसे ऊपरी बिन्दु से नीचे तक परिमापित खुली खदान में की गई खुदाई की अधिकतम गहराई.
- (ख) दिनांक जब प्रथम बार गहराई ६ मीटर से अधिक हुई है.
६. (क) उपयोग किये गये विस्फोटकों का स्वरूप, मात्रा एवं प्रकार, यदि कोई हो.
- (ख) दिनांक जब प्रथम बार विस्फोटकों का उपयोग किया गया.

मालिक/अभिकर्ता/प्रबंधक के हस्ताक्षर

दिनांक

१. महानिदेशक, खान सुरक्षा, भारत शासन, धनबाद.
२. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, भारत शासन, नागपुर.
३. उस जिले का जिला दण्डाधिकारी जहां खान स्थित है.
४. खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी को भेजा जाये.

प्ररूप—चौदह

उत्खनन पट्टा के अंतरण के लिये माडल प्ररूप

[नियम ३५ (३) देखिए]

जब अंतरक एक व्यक्ति है यह विलेख एक पक्षकार के रूप में (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें पश्चात् अंतरक कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

अथवा

जब अंतरक एक सोसाइटी/सहयोजन है (सोसाइटी/सहयोजन का नाम, पता और उपजीविका) और (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो इसके अंतर्गत उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

अथवा

जब अंतरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है (सभी भागीदारों का नाम और पता सहित) जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का सं. ९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है और जो (एक फर्म का नाम) नाम तथा अभिधान के अधीन भागीदारी में कारबार चला रही है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उक्त सभी भागीदार, क्रमशः उनके वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

अथवा

जब अंतरक रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है (कंपनी का नाम) जो (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पता) में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

और

जब अंतरिती एक व्यक्ति है द्वितीय पक्षकार के रूप में (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

अथवा

जब अंतरिती एक सोसाइटी/सहयोजन है (सोसाइटी/सहयोजन का नाम, पता और उपजीविका) और (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उसके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

अथवा

जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है (सभी भागीदारों का नाम और पता सहित) (जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का सं. ९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म है (जो फर्म का नाम) नाम तथा अभिनाम के अधीन भागीदारी में कारबार चला रही है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है (जिसे इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां उसके अंतर्गत उक्त सभी भागीदार, उसके क्रमशः वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है (कंपनी का नाम) जो (अधिनियम जिसके अधीन निर्गमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पता) में है (जिसे इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे).

और

तृतीय पक्षकार के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसके पश्चात् "राज्य सरकार" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख माह सन् को किया गया.

यतः तारीख के पट्टा विलेख के आधार पर, जो (स्थान) के उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में तारीख को क्रमांक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है (जिसे इसके पश्चात् "पट्टा" कहा गया है) और जिसकी मूल प्रति को, उस पर "क" चिह्नकित कर इसके साथ संलग्न किया गया है, जो राज्य सरकार (जिसे इसमें "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और अन्तरक (जिसे इसमें "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच किया गया है, अन्तरक उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमियों में वर्णित उस अवधि के लिये तथा उन भाटकों और स्वामिस्वों (रायल्टी) का भुगतान करने पर पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख में आरक्षित और अन्तर्विष्ट है, पालन और अनुपालन करने पर (खनिज/खनिजों का नाम) ढूंढने के संबंध में, प्राप्त करने और खान और खनिजों से संबंधित कार्य करने का हकदार है तथा जिसके अंतर्गत ऐसी प्रसंविदा भी है कि वह, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, पट्टा या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा.

और यतः अन्तरक अब अन्तरिती को पट्टे का अन्तरण और समनुदेशन करना चाहता है और सक्षम प्राधिकारी के अन्तरक की प्रार्थना पर आदेश क्रमांक दिनांक अन्तरक को पट्टे का ऐसा अन्तरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे दी है, कि अन्तरिती एक ऐसा करार करेगा जिसमें इसमें इसके पश्चात् वर्णित निबंधन और शर्तें होंगी. अब यह विलेख निम्नानुसार इस बात का साक्षी है कि :—

१. अन्तरिती एतद्वारा राज्य सरकार से प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन से और उसके बाद, अन्तरिती इसमें इसके पूर्व कथित किए गए पट्टों में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से पालन और अनुपालन करने के लिए और उसके अनुरूप कार्य करने के लिये उसी प्रकार से आबद्ध और दायी होगा मानो कि वह पट्टा अन्तरिती को पट्टेदार के रूप में इस प्रकार प्रदान किया गया था और उसने उसे मूल रूप में निष्पादित किया है.

२. एक पक्षकार के रूप में अन्तरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती के बीच एतद्वारा यह और करार किया जाता है और उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि—

(एक) अन्तरक और अन्तरिती यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिस क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टा अन्तरित किया जा रहा है उस पर खनिज संबंधी अधिकार राज्य सरकार में निहित है.

(दो) अन्तरक एतद्वारा यह घोषणा करता है कि उसने उत्खनन पट्टे का, जो अब अन्तरित किया जा रहा है, उसने समनुदेशन नहीं किया है, उप-पट्टे पर नहीं दिया है, बंधक नहीं किया है या किसी अन्य रीति में अन्तरित नहीं किया है और कि अन्तरित किये जा रहे वर्तमान उत्खनन पट्टे में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है.

(तीन) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारवान सीमा तक किया गया था या किया जा रहा है और या जिसके द्वारा या जिसके अधीन अन्तरक की संक्रिया या समझौते का सारभूत रूप में नियंत्रण, अन्तरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है.

(चार) अन्तरिती, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता है कि उसने वे सभी शर्तें और दायित्व स्वीकार कर लिये हैं जो ऐसे उत्खनन पट्टे के संबंध में अन्तरक के पास थे.

(पांच) अन्तरिती, एतद्द्वारा, यह भी घोषणा करता है कि यह खनन संक्रिया के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे स्वयं करेगा.

(छह) अन्तरक ने अन्तरिती को क्षेत्र में के और उसके चारों ओर ६५ मीटर के दायरे में के सभी परित्यक्त कार्यों के सभी मानचित्रों की मूल या अधिप्रमाणित प्रतियां दे दी हैं.

(सात) अन्तरिती, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता है कि इस अन्तरण के परिणामस्वरूप, उसके द्वारा उत्खनन पट्टे के अधीन धारित कुल क्षेत्र, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ के उल्लंघन में नहीं है.

(आठ) अन्तरक ने, इस पट्टे के संबंध में, आज दिनांक तक सरकार को शोध्य सभी भाटक, स्वामिस्व (रायल्टी) और अन्य शोध्यों का भुगतान कर दिया है.

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखे दिनांक को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं.

अनुसूची

पट्टे की अवस्थिति और उसका क्षेत्र (क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण) ग्राम तहसील
 जिला में स्थित भूमियों के वे सभी भूखंड जिनका खसरा नं. है और जिनका क्षेत्रफल या
 उसके लगभग है और जिसे इससे संलग्न नक्शे में रंग से दर्शाया गया है और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :—

उत्तर में

दक्षिण में

पूर्व में और

पश्चिम में

राज्य सरकार के लिये और उसकी ओर से ने

१.

२.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए.

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरक ने हस्ताक्षर किए

१.

२.

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरिती ने हस्ताक्षर किए

१.

२.

उत्खनन अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन का प्ररूप

दिनांक १९ .. को स्थान में प्राप्त किया
प्राधिकृत अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

दिनांक

प्रति,

.....

.....

.....

श्रीमान्,

मैं/हम निवेदन करते हैं कि मुझे/हमें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ के अधीन उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाये.

इस आवेदन के संबंध में फीस के रूप में रु. २५/- की राशि जमा कर दी गई है तथा उसकी मूल नगदी रसीद संलग्न है.

निम्नलिखित विशिष्टियां संलग्न हैं :—

१. आवेदक का नाम
२. आवेदक का पता
३. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और सोसाइटी सहयोजन की उपविधि
४. वृत्ति/कारोबार की प्रकृति तथा कार्य का स्थान
५. जाति (व्यक्ति या सोसाइटी या सहयोजन के सदस्य)
६. शैक्षणिक अर्हता (व्यक्ति या सोसाइटी या सहयोजन के सदस्य)
७. आयु (व्यक्ति या सोसाइटी या सहयोजन के सदस्य)
८. आर्थिक स्थिति (व्यक्ति या सोसाइटी या सहयोजन के सदस्य).
९. आवेदित गौण खनिज का नाम
१०. अपेक्षित मात्रा घनमीटर में
११. समय, जिसके भीतर समस्त मात्रा हटाई तथा परिवहन की जावेगी.
१२. गौण खनिज का किस प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाएगा.
१३. निजी भूमि की दशा में भूमिस्वामी/भूमि स्वामियों की सहमति.

१४. खनन के बकाया के भुगतान यदि कोई हो का प्ररूप-दो में विधिमान्य और अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र.
१५. उस क्षेत्र को दर्शाते हुये जहां से गौण खनिज हटाया तथा परिवहन किया जाना है खसरा पंचसाला सहित ग्राम का प्रमाणित नक्शों की प्रति.

मैं/हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि प्रस्तुत की गई विशिष्टियां सही हैं तथा मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने को तैयार हूँ/हैं. मैं/हम एतद्वारा यह और भी घोषित करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञापत्र तथा म. प्र. गौण खनिज नियम, १९९६ के नियमों में दर्शाये गये अनुसार निबंधन तथा शर्तों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किन्हीं अन्य शर्तों का अनुसरण करेंगे.

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर.

प्ररूप—सोलह

[देखिये नियम ३८ (२) ।

उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये प्ररूप

उत्खनन अनुज्ञापत्र क्रमांक
दिनांक

चूंकि श्री ने ग्राम पंचायत
तहसील में खसरा नंबर से (गौण खनिज) हटाने तथा परिवहन करने के लिये उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये म. प्र. गौण खनिज नियम, १९९६ के नियम के अधीन आवेदन किया है तथा आवेदन फीस रु. २५/- जमा कर दी है.

..... (खनिज) उत्खनन, एकत्रीकरण, हटाने तथा परिवहन की उपर्युक्त दर्शाये क्षेत्र/क्षेत्रों, जिनका प्लान यहां संलग्न है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :—

१. उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी करने की दिनांक से तक विधिमान्य होगा.
२. उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक म. प्र. गौण खनिज नियम, १९९६ में उपबंधित शर्तों का पालन करेगा.

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित

प्रति,

श्री

प्रतिलिपि :—

१. जिले का खनन अधिकारी/सहायक खनन अधिकारी
२. जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित

प्ररूप—सत्रह

उत्खनन अनुज्ञा पत्र करार

[नियम ३८ (२) देखिये]

यह विलेख एक पक्षकार के रूप में जिला/जनपद/ग्राम पंचायत (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी है), के बीच आज तारीख को किया गया है.

यतः पट्टेदार को उसके आवेदन पर (खनिज का नाम) के उत्खनन के प्रयोजन के लिये ग्राम पंचायत में ग्राम तहसील जिला के खसरा क्रमांक की भूमि के हेक्टर क्षेत्र पर उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया है और पट्टेदार ने उसकी ओर से इसमें इसके पश्चात् यथा उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के सम्यक् और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये आवेदन फीस रुपये २५/- (रुपये पच्चीस) तथा प्रतिभूति के रूप में रुपये (.....) जमा किये हैं.

और यतः जिला/जनपद/ग्राम पंचायत कालावधि के लिये यथार्णित और पट्टान्तरित भूमि के संबंध में और इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित प्रसंविदाओं तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए यह विलेख निम्नानुसार साक्षात्कृत करता है :

१. पट्टाकर्ता, एतद्वारा, पट्टेदार को इसमें इसके अधीन दी गई अनुसूची में वर्णित ऐसी समस्त भूमियां, जो इससे संलग्न रेखांक में अंकित की गई हैं और उसमें रंग से दर्शाई गई हैं, पट्टान्तरित करता है.

२. उक्त पट्टान्तरण में और उसमें उल्लिखित प्रयोजन के लिये निम्नलिखित स्वतंत्रताएं समाविष्ट की जाती हैं :—

(एक) पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि में से, इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत खनिज प्राप्त करना;

(दो) सामान्यतः ऐसे समस्त कार्य जो खनिज प्राप्त करने और उसे हटाने तथा उसका निपटारा करने के लिये सुविधाजनक और आवश्यक हों, करना;

(तीन) पट्टेदार, एतद्वारा, इस बात के लिये राजी है कि उक्त कालावधि के दौरान अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट स्वामिस्व का भुगतान करेगा;

(चार) पट्टान्तरित भूमि पर या उसके उत्पादनों पर विद्यमान और भविष्य में अधिरोपित या प्रभारित किन्हीं उपकरणों, निर्धारण को बहन करना, उनको भुगतान करना और उनका उन्मोचन करना;

(पांच) पट्टान्तरित भूमि को समनुदेशित न करना, उप पट्टे पर न देना या उसके कब्जे से विलग नहीं होना;

(छह) यह कि पट्टेदार, उक्त भूमि में से उसके द्वारा प्राप्त किये गये उक्त खनिज की मात्रा और अन्य विशिष्टियां दर्शाते हुए ऐसे प्ररूप में, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किया जाय तथा निदेशित किया जाय, सही लेखा रखेगा;

(सात) यदि उत्खनन के दौरान अन्य खनिज का, जो इस करार में विनिर्दिष्ट नहीं है, पता चलता है, तो पट्टेदार तत्काल ऐसे पता चलने की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को देगा और उसकी खुदाई के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करेगा;

(आठ) पट्टाकर्ता या उनके प्राधिकृत अधिकारी, पट्टेदार द्वारा की गई खुदाई का युक्तियुक्त समस्त समय पर निरीक्षण और परीक्षण करने के लिये स्वतंत्र रहेगा और ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप ऐसे आदेश तथा विनियम जारी कर सकेंगे जो भूमि को सुव्यवस्थित और अच्छी हालत में रखने या जनहित तथा सुरक्षा के हित में आवश्यक हों;

(नौ) पट्टेदार किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को नहीं काटेगा और क्षति नहीं पहुंचाएगा;

(दस) पट्टेदार, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पट्टान्तरित भूमि की सतह को या उसमें उगने वाली या उसमें स्थित किसी भी वनस्पति को उसके द्वारा पहुंचाये गयी क्षति या हानि के लिये प्रतिकर का भुगतान करेगा. पट्टेदार किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी भी ऐसे दावों से, जो पट्टेदार द्वारा या उसे या उसकी संपत्ति को पहुंचाई गई हानि या क्षति के संबंध में किया जाय, पट्टाकर्ता को और आगे तथा सदैव क्षतिपूर्ति रखेगा. प्राधिकारी इस हेतु पट्टेदार के द्वारा भुगतान योग्य ऐसे किसी भी प्रतिकर का निर्धारण करने तथा नियत करने हेतु सक्षम होगा;

(ग्यारह) पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर इससे संलग्न रेखांक में दर्शाये अनुसार सीमा पर सारवान सामग्री के सीमा स्तम्भ स्थापित करेगा और उन्हें बनाये रखेगा;

(बारह) यह कि उन संपूर्ण या उन भूमियों के किसी भाग के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की लिखित सूचना द्वारा यह पट्टा समाप्त किया जा सकेगा परन्तु यह कि ऐसी सूचना देने के पूर्व पट्टेदार द्वारा समस्त शोध्यों का भुगतान कर दिया गया है;

(तेरह) यह कि ऐसे पर्यावसान पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार के प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा;

(चौदह) पट्टेदार समस्त दुर्घटनाओं की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी तथा जिले के कलक्टर को तत्काल देगा;

(पन्द्रह) पट्टेदार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-नौ में जारी किये गये विधिमान्य अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा. अनुज्ञा की कालावधि का अवसान होने पर वह उपयोग किये गये अभिवहन पास की दूसरी प्रतियां और उपयोग न किये गये अभिवहन पास समर्पित करेगा.

३. पट्टाकर्ता, एतद्द्वारा पट्टेदार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ में उपबंधित विभिन्न प्रसंविदाओं और इसमें के अनुबंधों का पालन करने तथा संपादन करने पर, पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि को शांतिपूर्वक धारण करेगा तथा उसका उपभोग करेगा और एतद्द्वारा पट्टान्तरित तथा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं का उक्त कालावधि के दौरान पट्टाकर्ता या उसके अधीन अधिकार पूर्ण दावा करने वाले किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना, उपभोग करेगा.

४. उक्त पट्टान्तरित भूमि, पट्टेदार द्वारा तारीख माह वर्ष १९.....
से तारीख माह वर्ष १९..... तक
वर्ष की कालावधि के लिये धारित की जायगी.

इसके साक्ष्य स्वरूप जिला/जनपद/ग्राम पंचायत/कि लिये और उनकी ओर से तथा उसके आदेश और निदेश से और

उक्त पट्टेदार ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

अनुसूची

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में	सीमायें
--------------	--------------	----------------------	---------

उपरि नामिते द्वारा हस्ताक्षरित
और परिदत्त

साक्षी—

१.
२.

पट्टाकर्ता

साक्षी—

१.
२.

पट्टेदार

प्ररूप—अठारह

(देखिए नियम ४१)

उत्खनन अनुज्ञापत्र का रजिस्टर

१. अनुज्ञापत्र धारक का नाम व पता
२. आवेदन का दिनांक
३. खनिज, जिसके लिये अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है
४. आदेश का क्रमांक व दिनांक
५. कालावधि
६. ग्राम
७. तहसील
८. खसरा क्रमांक तथा क्षेत्रफल
९. अधिकारी के हस्ताक्षर
१०. टिप्पणियाँ

प्ररूप—उन्नीस

(देखिये नियम ४८(१)।)

पर्यावरण प्रबंध की स्कीम

१. उत्खननपट्टा धारक का नाम और पता
२. क्षेत्र की विशिष्टियाँ
(एक) करारनामा के निष्पादन का दिनांक
(दो) कालावधि
(तीन) क्षेत्र की सीमा
(चार) खनिज
(पांच) खसरा क्रमांक

(छह) पंचायत एवं तहसील

(सात) जिला

३. उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों की विशिष्टियां
४. पहले से ही बनाये गये सभी गड्ढों तथा पट्टे की सीमा से ५०० मीटर तक के सभी क्षेत्रों के बोरों को दर्शाते हुये क्षेत्र का नक्शा.
५. किये गये उत्खनन संक्रियाओं के बोर
६. वृक्षारोपण की स्कीम
७. क्षति पहुँची भूमि की निरंतर कृष्यकरण तथा पुनर्वास की स्कीम.
८. वायु एवं पानी से प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण की स्कीम.
९. कोई अन्य मामले जो पट्टेदार प्रस्तुत करना चाहता है.

स्थान :

दिनांक :

पट्टेदार के हस्ताक्षर

पूरा नाम

प्ररूप—बीस

[देखिए नियम ४८ (५)]

पर्यावरण की त्रैमासिक रिपोर्ट

प्रति,

कलक्टर

पिन

१. पट्टाधारक का नाम व पता
२. पट्टे की विशिष्टियां
३. वृक्षारोपण
(एक) इस कालावधि के दौरान लगाये गये वृक्षों की संख्या
(दो) वृक्षारोपण का क्षेत्रफल
४. क्षेत्र जिसमें कार्य समाप्त हो गया है
५. कृष्यकरण किये गये क्षेत्रफल
६. ऊपरी, मिट्टी, ओवरबर्डन के ढेर आदि—
आकार, प्रकार
७. स्थिरीकरण के लिये सावधानियां
८. कोई अन्य मामला जो पट्टेदार प्रस्तुत करना चाहता है

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

प्ररूप—इक्कीस

(देखिये नियम ६० (१)।

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण के लिए आवेदन का आदर्श प्ररूप

१. आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों, सोसाइटी, फर्म या कंपनी का नाम और पता.
२. वृत्ति
३. प्राधिकारी का नाम आदेश का क्रमांक और दिनांक जिसके विरुद्ध अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण के लिये आवेदन दायर किया गया है (प्रति संलग्न है)
४. गौण खनिज जिसके लिये अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण के लिये आवेदन दायर किया गया है.
५. उस क्षेत्र के बारे में जिसकी बाबत अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है.

जिला	तहसील	ग्राम	पंचायत	खसरा क्रमांक तथा कुल क्षेत्रफल जिसका दावा किया गया है
------	-------	-------	--------	---

(क्षेत्र/क्षेत्रों का नक्शा या मानचित्र संलग्न किया जाय)

६. क्या आवेदन फीस विहित रीति से जमा की गई है.
मूल रसीद संलग्न की जाय.
७. क्या अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण के लिये आवेदन विनिर्दिष्ट समय में दायर किया गया है, यदि नहीं तो जैसा कि नियमों में उपबंधित है विहित सीमा में पेश न किए जाने का कारण.
८. पक्षकार जो बनाये गये हैं, का नाम व पूरा पता
९. संलग्न की गई प्रतियों की संख्या
१०. अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण के आधार
११. यदि अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण आवेदन मुस्तारनामा धारण करने वाले द्वारा दायर किया गया है तो मुस्तारनामा संलग्न किया जाय.

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

- (b) who is a resident of Madhya Pradesh;
- (c) who is above 18 years but below 35 years of age;
- (d) who belongs to a family of below poverty line;
- (e) who has not availed of any facility under any other scheme, for Educated Unemployed at any time.
- (xiv) "Form" means a form appended to these rules;
- (xv) "Gram Panchayat", "Janpad Panchayat", "Zila Panchayat" and "Gram Sabha" have the same meanings respectively assigned to them in the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);
- (xvi) "Lessee" means a person who has been granted a quarry lease or quarry permit under these rules and include any contractor, sub-lessee, and agent whether appointed as such or not who acting or purporting to act on behalf of the lessee takes part in the management, supervision, extraction and dispatch of mineral;
- (xvii) "Co-operative Society" has the same meaning assigned to it under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), and "Association" means a body of persons associated for its objects the promotion of the economic interest of its members and is so registered under the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960;
- (xviii) "Member of Scheduled Castes" means a member of any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (xix) "Member of Scheduled Tribes" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India.
- (xx) "Member of other Backward Classes" means a person belonging to other backward classes as notified by the State Government from time to time;
- (xxi) "Minor Minerals" means the minerals as specified in Schedule I and II appended to these rules and any other mineral which the Government of India may, by notification in the official gazette, declare to be a minor mineral under Section 3(e) of the Act;
- (xxii) "Mining Operation" and "Quarrying operation" means any operation undertaken for the purpose of winning any minor mineral and shall include erection of Machinery, construction of roads and other preliminary operations for the purpose of quarrying and concomitant operation of handling and transport of minerals up to the point of dispatch;
- (xxiii) "Quarry permit" means a permission granted under these rules to extract and remove any minor mineral in any specified period;
- (xxiv) "Public Place" means roads, public buildings, reservoirs, irrigation canals, Tanks, Natural Water Courses, Village paths, religious places, Burial ground etc;
- (xxv) "Quarry Lease" means a mining lease for minor minerals as mentioned in section 15 of the Act;
- (xxvi) "Railway" and "Railway Administration" have the meanings respectively assigned to them in the Indian Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989);
- (xxvii) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (xxviii) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(xxix) the expressions "Mine" and "Owner" have the meanings respectively assigned to them in the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

3. Exemptions—Nothing in these rules shall apply to,—

(i) the extraction of clay or sand, by hereditary kumhar, a member of Scheduled Caste or a member of a Scheduled Tribe or a Co-operative Society of such kumhars or members of Scheduled Castes or members of Scheduled Tribe for preparing tiles, pots or bricks by traditional means, but not by process of manufacture in kilns or by any mechanical means from the area that the Gram Panchayats may decide and earmark within their respective Panchayat area for extraction of clay and sand;

Provided that no extraction shall be made from any public place or 50 meter from such public place.

(ii) the removal of minor minerals from mines, whether situated in private or Government land, when such mines have not been appropriated to the use of a department of the State Government and the minor minerals are not quarried for sale but are required for the construction or repairs of wells, or other agricultural works or for the construction or improvement of the dwelling houses of agriculturists, Village artisans and labourers residing in revenue or forest villages;

(iii) the minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Panchayats for work undertaken by respective Panchayats. However, the Government Departments shall be required to pay the royalty at the prescribed rate on consumption of minor minerals by them to the concerned Panchayats.

(iv) the search for minor minerals at the surface not involving any substantial disturbance of the soil by digging up pits, trenches or otherwise.

The chipping of outcrops with a geological hammer for the purposes of taking samples shall not be deemed to be a substantial disturbance of the soil :

Provided that the aforesaid exemptions do not afford immunity from any action which might be taken under any existing rules or any Act of the State or Central Government for unauthorised removal of minor minerals from any land by private person, without the permission of the State Government or any officer or Authority authorised by it in this behalf.

CHAPTER II—GENERAL RESTRICTIONS ON UNDERTAKING MINING OPERATIONS

4. Prohibition of mining operation without a quarry permit or quarry lease :—(1) No person shall undertake any mining operation in any area except under and in accordance with the terms and conditions of a quarry permit or quarry lease granted under these rules :

Provided that nothing in this sub-rule shall affect any mining or quarrying operation undertaken in any area in accordance with the terms and conditions of permit, a quarry lease, trade quarry or royalty quarry granted before the commencement of these rules which is in force at the time of such commencement.

(2) No quarry permit or quarry lease shall be granted other than in accordance with the provisions of these rules.

5. Restrictions on the grant of quarry permit or quarry lease :—(1) No quarry lease, or quarry permit shall be granted to any person unless such person is an Indian National or a company as defined in sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and satisfies such conditions prescribed in these rules.

Explanation.—In case of a firm or any other association of individuals, for the purpose of this sub-rule, a person shall be deemed to be an Indian National only, if all the members of the firm or association are citizens of India.

- (2) No quarry lease, or quarry permit shall be granted in respect of an area :—
- notified by the Government as reserved for the use of the Government, Local Authorities or for any other public or for special purposes except with the previous approval of the State Government ;
 - in forest land without the permission of appropriate authority as prescribed in the Forest (Conservation) Act, 1980 (No. 69 of 1980) ;
 - within a distance of 75 metre from any bridge, National or State Highways, Railway line or 50 metre from any public place etc.;
 - except for the mineral sand or bajri in respect of land within a distance of 50 metre from river banks, nala (small water course) canal or any natural water course, dams or any water impounding structure;
 - which is not compact and contiguous.

CHAPTER III—POWERS TO GRANT QUARRY LEASES AND QUARRY PERMITS

6. Power to grant quarry lease.—Quarry lease in respect of minerals specified in Schedule I and Schedule II shall be granted and renewed by the authority mentioned in column (1) for the minerals specified in column (2) subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (3) thereof of the Table below :—

Table

Authority (1)	Minerals (2)	Extent of Powers (3)
1. State Government	Minerals specified at S. No. 1 to 5 of Schedule I.	Full powers.
2. Director	(i) Minerals specified at S. No. 6 and 7 of Schedule I. (ii) Minerals specified in Schedule II.	(i) where the area applied for exceeds 4.00 hectares for Industrial use. (ii) where the annual letting value of the quarry exceeds Rs. 1000000/- (Rs. Ten Lakh) and all clay quarries, for tiles and bricks in chimney bhatta.
3. Collector	Minerals specified in S. No. 6 and 7 of Schedule I.	where the area applied for does not exceed 4.00 hectares for Industrial use.

7. Power to grant quarry permit.— Quarries of annual value upto Rs. 2,50,000/- (Rs. Two Lakh fifty thousand); above Rs. 2,50,000/- (Rs. Two Lakh fifty thousand) but upto Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Lakh) and above Rs. 5,00,000/- upto Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakh) in respect of minerals specified in Schedule II except stone quarries for crusher and clay quarries for tiles and bricks in chimney bhatta, shall for regulating the grant and renewal of quarry permit and all purposes connected therewith including collection of royalty, stand transferred to the respective Gram Panchayats/Janpad Panchayats and Zila Panchayats respectively. Quarry permits shall be granted and renewed by the respective Panchayat, after obtaining prior approval of the Gram Sabha of the Panchayat in which the quarry area is situated..

Explanation.—For purpose of assessing the annual value of any quarry of mineral specified in Schedule II, if the quarry is a trade or royalty quarry, the average annual bid amount of the years 1992-93, 1993-94 and 1994-95 shall be taken into consideration and in cases of quarries granted as quarry leases average annual royalty for the years 1992, 1993 and 1994 shall be taken into consideration. This assessment of value is for the purpose of transfer/sanctioning power of quarries to respective Zila, Janpad and Gram Panchayats at the commencement of these Rules.

8. Procedure for demarcation of new quarries and grant of quarry permits when the area falls under different Gram Panchayats/Janpad Panchayats.—(1) If the area of any quarry, in respect of which powers to grant quarry permits, as specified in rule 7 above, covers more than one Gram Panchayat or Janpad Panchayat, quarry permit for such quarry shall be granted by that Gram Panchayat which is authorised by Zila Panchayat.

(2) Concerning Panchayat may demarcate and declare new quarry in respect of mineral specified in Schedule II in consultation with the Director and the Collector of the district concern.

CHAPTER IV—GRANT OF QUARRY LEASE IN RESPECT OF MINERALS SPECIFIED IN SCHEDULE I AND SCHEDULE II

9. Application for quarry lease.—An application for the grant or renewal of a quarry lease shall be made in Form I in triplicate for the minerals specified in Schedule I and II. The application shall be affixed with a court fee stamp of the value of five rupees and shall contain the following particulars together with documents in support of the statements made therein :—

- (a) If the applicant is an individual, his name, nationality, profession, caste, educational qualification, age, residence, present address and financial status;
- (b) If the applicant is a company, its name, nature and place of business and place of registration or incorporation, list of directors and their nationality, financial status, registration/incorporation certificate;
- (c) If the applicant is a firm, its name, nature and place of business, list of partners and their nationality, partnership deed, registration certificate, financial status;
- (d) If the applicant is a society/association, its name, nature and place of working, list of members and their caste, educational qualification, nationality, registration certificate, bye-laws and financial status of individual member;
- (e) A description illustrated by a map or plan showing as accurately as possible the situation and boundaries of the land in respect of which the quarry lease is required where the area is unsurveyed the location of the area should be shown by some permanent physical feature, roads, tank, etc;
- (f) Copy of latest Khasra Panchsala;
- (g) The minerals or mineral which the applicant intends to quarry or mine;
- (h) The period for which the quarry lease is required;
- (i) The purpose for which the extracted mineral is to be used;
- (j) Every application for the grant or renewal of a quarry lease shall be accompanied by an affidavit showing particulars of the areas mineral-wise in each district of the State, which the applicant or persons jointly with him :—
 - (i) already holds under quarry lease;
 - (ii) has already applied for, but not granted; and
 - (iii) being applied for simultaneously;
- (k) An affidavit to the effect that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner/owners for conducting mining/quarrying operations:

Provided that no such affidavit shall be necessary where the Land-rights vest with the State Government;

- (1) Every application for the grant or renewal of a quarry lease shall be accompanied by a no dues certificate in Form II granted by the Mining Officer or Assistant Mining Officer, incharge of the district in respect of payment of mining dues payable under the Act or rules made thereunder from all the districts where the applicant holds or held mineral concessions;

Provided that it shall not be necessary for the applicant to produce the no dues certificate if he has furnished an affidavit and such other evidence as may be required to the satisfaction of the concerned authority that he does not hold and has never held any mineral concession in any district of the State;

Provided further that the grant of no dues certificate shall not discharge a holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may be subsequently found to be payable by him under the Act or Rules made thereunder.

10. Application Fee.—(1) There shall be paid in respect of every application for grant or renewal of a quarry lease in respect of a mineral specified in Schedule I, an application fee of Rs. 5000/- (Rs. Five thousand) and Rs. 250/- (Rs. Two Hundred Fifty) in respect of a mineral specified in Schedule II.

(2) Where an application for the grant or renewal of a quarry lease is refused or the applicant refuses to accept the lease on account of any special conditions imposed therein under Rule 30 the fee paid by the applicant under sub-rule (1) shall be refunded to him and if the applicant refuses to accept the lease or withdraws the application or fails to furnish the requisite information the application fee shall be forfeited to the State Government.

(3) The amount of fee shall be deposited in the Government treasury under the revenue receipt head—

'0853	Mines and Minerals
102-c	Mineral concession fees, rent and royalties.
800	other receipts
002	receipt from minor minerals including fines and forfeitures'

and the original treasury receipted Challan shall be attached to the application.

11. Officer authorised to receive applications.—The Mining Officer or Assistant Mining Officer of the District shall receive the applications and shall enter on it the date on which the application was received by him.

12. Availability of certain areas.—No application for quarry lease of minerals at serial No. 1 to 4 of Schedule I shall lie for areas previously held or which are being held under a quarry lease or in respect of which an order had been made for the grant thereof but the applicant has died before the execution of lease deed or in respect of which the order granting a lease has been revoked or in respect of which an application for quarry lease has been rejected on the ground that the area should be reserved for any purpose unless the date from which the area shall be available for grant is notified in the Official Gazette at least thirty days in advance ;

Provided that the State Government may by notification and for reasons to be recorded in writing relax the provisions of this rule in any special case.

13. Reservation of areas for exploitation in the public sector, etc.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, reserve any area for conservation, Protection of environment, assessment of reserve by the State Government or for Exploitation by the Government, a Corporation established by Central or State Government or a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956).

14. Acknowledgement of application.—(1) Where an application for the grant or renewal of a Quarry lease is delivered personally its receipt shall be acknowledged forthwith; and where such application is received by registered post, its receipt shall be acknowledged on the same day; and in other cases, the receipt shall be acknowledged within three days of the receipt.

(2) The receipt of every of such application shall be acknowledged in Form III.

15. Register of applications for quarry lease.—(1) A register of applications for quarry lease shall be maintained by the mining officer or Assistant Mining Officer of the district in Form IV.

(2) The Register of application for quarry leases and the register of quarry leases shall be open to inspection by any person on payment of the following fee:—

Rs. 10.00 (Rupees Ten) for first hour or part thereof;

Rs. 5.00 (Rupees Five) for next subsequent hour or part thereof.

16. Premature applications.—Applications for the grant of a quarry lease in respect of areas whose availability for grant is required to be notified under rule 12 shall if:—

(a) no notification has been issued under that rule; or

(b) where any such notification has been issued, the period specified in notification has not expired;

shall be deemed to be premature and shall not be entertained and the application fee thereon, if any paid, shall be refunded.

17. Renewal of quarry lease.—Every application for the renewal of a quarry lease shall be made at least one year before the date on which the lease is due to expire.

18. Disposal of applications for the grant or renewal of quarry lease.—(1) On receipt of an application for the grant or renewal of a quarry lease, its details shall be first circulated for display on the notice board of the Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat concerned of the district and Collectorate of the district concerned.

(2) The Sanctioning Authority, after making such inquiries as he may deem fit and after obtaining opinion of the respective Gram Panchayat, may sanction the grant or renewal of a quarry lease to the applicant or refuse to sanction it.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), all pending applications for the grant inclusive of such applications on which agreements have not been executed on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been refused by the Sanctioning Authority. Fresh applications in this behalf may be made according to the procedure laid down under these rules.

19. Reasons for refusal to be recorded.—(1) Where the Sanctioning Authority passes any order refusing to grant or renew a quarry lease, it shall communicate in writing the reasons for such order to the person against whom such order is passed.

(2) Where it appears that the application is not complete in all material particular is not accompanied by the required documents, the Collector or any other Officer authorised by him in his behalf shall by a notice served by registered post in writing, requiring the applicant to make good the omission or as the case may be, to furnish the documents, not later than 30 (Thirty) days from the date of communication of the said notice. An application for the grant or renewal of a quarry lease made under rule 9 shall not be refused by the Sanctioning Authority only on the ground that application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the documents.

20. Register of quarry leases.—A register of quarry leases shall be maintained by the Mining Officer/Assistant Mining Officer in Form V.

21. Preferential Rights.—(1) A quarry lease for minerals specified in S. No. 1 of Schedule I shall be granted only to the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (A Government of Madhya Pradesh Undertaking) for establishing cutting and polishing unit in the State by itself or as a Joint Venture.

(2) Minerals specified at S. No. 2 to 7 of Schedule I and minerals specified in Schedule II—

(i) Co-operative Society/Association of Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Backward Classes, Co-operative Society/Association of educated unemployed youths or individuals where more than fifty per cent. of

the members belong to the concerned category and also where the Chairman of the Society is of the concerned category and also where the executive committee have the representation in the ratio of the members of the concerned category and hail from below Poverty Line families listed in the District Rural Development Agency or educated unemployed youth belonging to Scheduled Tribe/Schedule Caste/Backward Classes in that order.

- (ii) An educated unemployed youth belonging to below poverty Line families listed in the District Rural Development Agency;
- (iii) Any other person belonging to below Poverty Line families listed in the district Rural Development Agency;
- (iv) Any other applicant;

Provided that the above priorities shall hold good only if the applications are received within one month from the date of first application.

(3) Whenever more than one application in any particular category are received for minerals of Schedule I for an area, the Sanctioning Authority shall while sanctioning a quarry lease take into consideration the following matters in respect of the applicants—

- (i) Any special knowledge or experience of mining and export;
- (ii) Technical and special management experience of establishing, running and maintaining cutting polishing industry; and
- (iii) The nature and quality of the technical staff and the plant and machinery deployed or to be deployed by the applicant;
- (iv) The financial resources of the applicant;
- (v) The proposed phased programme of establishing the industry;

Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (2), it shall be competent for the Sanctioning Authority for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the State Government to grant a lease in variance with the order of priority specified in sub-rule (1) and (2):

Provided that in cases falling under category (i) to (iv) in sub-rule (2), the grant of lease shall be subject to the condition that lessee shall work the quarry directly and shall not hand it over to any other party for working:

Provided further that the Sanctioning Authority may refuse to accord preference to the application of a Co-operative Society/Association if he finds that the particular society does not work properly in the interest of the workers concerned;

The lessee shall give priority in employment to the resident of the village in which the quarry lease is granted.

22. Period of quarry lease/quarry permit.—The period for which a quarry lease/quarry permit may be granted or renewed shall be as shown in the table below :—

S. No. (1)	Name of the Minerals (2)	Period	
		In case of individual (3)	In case of cooperative Society (4)
1.	Dimensional stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Twenty years with renewal clause.	Twenty years with renewal clause.
2.	Marble used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Ten years with renewal clause	Ten years with renewal clause

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Marble stone for other purpose	Five years with renewal clause	Five years with renewal clause
4.	Limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material.	Ten years with renewal clause	Ten years with renewal clause
5.	Flagstone-Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc. and used in cutting and polishing industry.	Ten years with renewal clause	Ten years with renewal clause
6.	Stone for making gitti by machanical crushing (i. e. use for crusher).	Ten years with renewal clause	Ten years with renewal clause
7.	Bentonite/Fuller's earth	Five years with renewal clause	Five years with renewal clause
8.	Clay for chimney Bhatta and tiles Industry.	Ten years with renewal clause	Ten years with renewal clause
9.	Ordinary Sand, Bajri	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
10.	Ordinary clay for making bricks, pots tiles etc. except chimney Bhatta.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
11.	Stone, Boulder, Road metal, Gitti, Dhoka, Khanda, Dressed stones, Rubble, Chips.	Three years without renewal clause.	Three years without renewal clause.
12.	Murum	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
13.	Lime Kankar	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
14.	Gravel	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
15.	Lime shell	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
16.	Reh mitti	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
17.	Slate when used for building material	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
18.	Shale when used for building material	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
19.	Any other minor mineral not specified above.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.

23. Restrictions on area of quarry lease.—(i) No lessee by himself or with any person joint in interest with him shall ordinarily hold in the aggregate more than 10 hectares of area under lease in respect of limestone, marble and flagstone.

(ii) At the time of renewal of the lease, the lessee shall be entitled to surrender any compact part of the leased area.

24. Boundaries below the Surface.—The boundaries of the area covered by a quarry lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

25. Security deposit and surety.—(1) An applicant for quarry lease shall before the deed referred to in rule 26, is executed, deposit as security, a sum of rupees Ten thousand in respect of quarry lease for dimensional stones—Granite, dolerite, rhyolite, marble and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions and Rs. One thousand in respect of quarry leases of limestone and other minerals specified in Schedule I and minerals specified in Schedule II;

(2) The applicant shall also submit the surety bond duly filled in Form VI or a bank guarantee for an amount equal to two years of dead rent:

Provided in case of a Co-operative Society/Association the provision of sub-rule (2) may be waived by the Competent Authority;

(3) Any deposit made under sub-rule (1) if not forfeited under these rules shall be refunded to the lessee on order of Director on the expiry of the lease or its determination whichever is earlier.

26. Lease to be executed within three months.—Where a quarry lease is granted or renewed, the lease deed in Form VII shall be executed and registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) within three months of the order of sanction of the lease and if no such lease is executed within the aforesaid period, the order sanctioning the lease shall be deemed to have been revoked:

Provided that where the Sanctioning Authority is satisfied that the applicant is not responsible for the delay in the execution of the lease deed, the Sanctioning Authority may permit the execution of the lease deed after the expiry of the aforesaid period of three months.

27. Survey of the area leased.—(1) When a quarry lease is granted over any area, arrangement shall be made by the Mining Officer or Assistant Mining Officer at the expense of the lessee for the preparation of a plan and the demarcation of the area granted under the lease, after collecting a fee calculated according to the rates specified in the table below :—

(a) Area not exceeding 20 hectares	Rs. 25 per hectare or part thereof subject to a minimum of Rs. 100/-
(b) Area exceeding 20 hectares	Rs. 50/- per hecter or part thereof.

(2) The lessee shall, erect and maintain at his own expense, boundary pillars of substantial material; standing not less than one metre above the surface of the ground at each corner or angle in the line of the boundary, delineated in the plan attached to the lease deed;

(3) The fee under sub-rule (1) shall be deposited in the same manner as prescribed in sub rule (3) of Rule 10.

28. Information of agreements etc. to Panchayats.—The Collector shall send copy of every lease deed with plan to the respective Janpad Panchayat and shall intimate the full details of area to the respective Panchayat.

29. Rent and Royalty.—(1) When a quarry lease is granted or renewed—

(a) dead rent shall be charged at the rates specified in Schedule IV;

(b) royalty except for limestone shall be charged at the rates specified in Schedule III.

(c) rate of royalty on limestone shall be the same as fixed by the Government of India from time to time for limestone in Schedule II of the Act;

(d) surface rent shall be charged at the rates specified by the collector of the district from time to time for the area occupied or used by the lessee.

(2) On and from the date of commencement of these rules, the provisions of sub rule (1) shall also apply to the leases granted or renewed prior to the date of such commencement and subsisting on such date;

(3) If the lease permits the working of more than one mineral in the same area separate dead rent in respect of each mineral may be charged:

Provided that the lessee shall be liable to pay the dead rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher in amount;

(4) Notwithstanding anything contained in any instrument of the lease, the lessee shall pay rent/royalty in respect of any mineral removed and/or consumed at the rate specified from time to time in Schedule III and IV;

(5) The State Government may, by notification in the Official Gazette amend the Schedules III and IV so as to enhance or reduce the rate at which rents/royalties shall be payable in respect of any mineral with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette:

Provided that the rate of royalty/dead rent in respect of any mineral shall not be revised more than once during any period of three years;

(6) No granite block either processed or in the raw form or any other mineral shall be dispatched from any of the leased areas without a valid transit pass issued by Mining Officer. The transit pass shall be issued on an application in Form VIII after depositing royalty for the quantity intended to be transported out of the minerals extracted. Contravention of this rule may result in forfeiture of the security deposit by the Collector without prejudice to any other action that might lie against the lessee;

(7) The Transit Pass shall be in Form IX.

CHAPTER V—QUARRY LEASE—GENERAL CONDITIONS

30. **Conditions of quarry lease.**—Every quarry lease shall be subject to the following conditions:—

- (a) The lessee shall pay, for every year except for the first year of the lease, yearly dead rent at the rates specified in the Schedule IV in advance for the whole year, on or before the 20th day of the first month of the year;
- (b) The lessee shall pay the dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher in amount but not both. The lessee shall pay royalty in respect of quantities of mineral intended to be consumed or transported from the leased area no sooner the amount of dead rent already paid equals the royalty on mineral consumed or transported by him. The dead rent or royalty shall be deposited in the Government treasury under the revenue receipt head specified in sub-rule (3) of rule 10, and original Treasury receipted challan submitted alongwith application in Form VIII;
- (c) The lessee shall also pay for the surface area occupied or used by him for the purposes of mining operations, surface rent in advance for the whole year on or before the 20th day of the first month every year;
- (d) Notwithstanding any other action that may be taken for default in the payment of dues as specified in clause (a), (b), (c) within time under these rules or under any other condition of the lease, the lessee shall pay interest at the rate of 24% per annum for all defaulted payments of dead rent, royalty and surface rent.

(2) If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee shall report discovery without delay to the Collector and shall not win or dispose of such mineral without obtaining a lease therefor. If he fails to apply for such a lease within three months of the discovery of the mineral, the Competent Authority may sanction lease of such mineral, to any other person, who applied for it.

(3) The lessee shall not pay wages less than the minimum wages as prescribed by the State or the Central Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 48).

(4) The lessee shall take all measures for planting trees in quarried area or any other area selected by the Collector not less than twice the number of trees destroyed by reasons of mining or quarrying operation in addition to restoring and levelling the land.

(5) the lessee shall commence mining operation within one year from the date of execution of the lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skillful and workman-like manner.

(6) Subject to the other conditions of these rules, where mining operations have not commenced within a period of one year from the date of execution of the lease or discontinued for a cumulative period of six months during any calendar year after commencement of such operation, the Sanctioning Authority may, by an order, declare the quarry lease as lapsed and communicate the declaration to the lessee.

(7) Where the lessee is unable to commence mining operation for a period exceeding one year or unable to continue mining after commencement for the reasons beyond his control, he may submit an application to Sanctioning Authority explaining the reasons at least ninety days before the expiry of such period.

(8) There shall be paid, in respect of every application under sub-rule (7), a fee of Rs. 200/- (Rupees Two Hundred) The amount of fee shall be deposited in the Government treasury under the receipt head prescribed in sub-rule (3) of rule 10.

(9) The Sanctioning Authority of the lease may, on receipt of an application made under sub-rule (7) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reason for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, pass an order before the date on which the lease would have otherwise lapsed; extending or refusing to extend the period of the lease:

Provided that where the Sanctioning Authority on receipt of application under sub-rule (7) does not pass any order before the expiry of the date on which the lease would have otherwise lapsed, the lease shall be deemed to have been extended until the order is passed by the concerned authority or for a period of one year whichever is earlier.

(10) Where non-commencement of the mining operation within a period of one year from the date of execution of the lease deed is on account of delay in:

- (i) acquisition of surface rights, or
- (ii) getting the possession of the leased area, or
- (iii) supply or installation of machinery, or
- (iv) getting financial assistance from banks or any financial institution.

and if the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn-in affidavit that there are sufficient reasons and/or reasons beyond their control for non-commencement of mining operations, the Sanctioning Authority may revoke the declaration/order through which the lease has lapsed.

(11) The lessee shall, at his own expense erect and at all times maintain and keep in good repairs boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the lease.

(12) The lessee shall not carry on, or allowed to be carried on any mining operations—

- (a) at any point within a distance of 75 metre from any railway line, bridge or highway except under and in accordance with the written permission of the railway administration or the administration concerned,
- (b) 50 metres from tank, river banks, reservoir, canal, road (10 metre from grameen kachha road),

(c) 100 metre from abadi, school, hospital and other public places, buildings and habited sites;

(d) 300 metre from sensitive area like radio station, doordarshan kendra, defence establishment etc. of the Central and State Government except under and in accordance with the previous written permission of the State/Central Government;

The Central or the State Government may in granting such permission impose such conditions as it may deem fit.

(13) the lessee shall keep correct accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained from the mine, datewise quantities of despatches/consumptions from the lease hold, the price obtained for such minerals, the name of the purchaser, the receipts for money received, the number of persons employed therein and shall, allow all officers of the Directorate of Geology and Mining and any officer authorised by the Zila/Janpad/Gram Panchayat in this behalf to examine at any time any accounts and record maintained by him and shall furnish to the Collector and respective Zila/Janpad/Gram Panchayat such information and returns as he or it may require.

(14) The lessee shall issue a transit pass in Form IX to accompany every carrier for every trip carrying mineral, or product or products from leased area. The transit pass shall be prepared in duplicate in book form. Original shall be given to the driver of the carrier after making the necessary entries. The Mining Officer shall issue the transit pass book duly stamped and signed by him on an application in Form VIII made by the lessee. The lessee shall surrender all previous duplicates of used transit pass books together with unused transit pass books issued to him before the royalty is paid by him under clause (b) of sub-rule (I) and fresh transit passes are issued. The Mining Officer will keep proper accounts of issued and used duplicate transit pass books and unused transit pass books deposited back by the lessee.

(15) Whosoever transports minerals or their products like bricks, tiles, lime, dressed stone, blocks, Slabs, tiles, chips, stone dust and ballast etc. without a valid pass in Form 'IX' or if the transit pass is found to be incomplete, distorted or tampered with, the Collector, Additional Collector, Chief Executive officer of Zila/Janpad Panchayat and Gram Panchayat/Deputy Director, Mining Officer, Assistant Mining officer or Mining Inspector may seize the mineral or its products together with all tools and equipment and the vehicle used for transport.

(16) The Collector, Additional Collector, Chief Executive Officer of Zila/Janpad Panchayat and Gram Panchayat/Deputy Director, Mining Officer by an order in writing may impose a penalty up to Rs. Ten Thousand which in no case shall be less than rupees one thousand.

(17) The seized mineral or its products tools, equipment and vehicle may be released when the penalty so imposed is deposited by the offender.

(18) If the penalty so imposed is not paid within 15 days from the date of the order, of imposing the penalty, all the minerals or its product, tools equipment and vehicles etc. so seized shall stand forfeited and shall become the property of the State Government.

(19) The lessee shall submit the records and books of accounts for the purpose of assessment of royalty to the Assessing Authority concerned within thirty days from the 30th June/31st December or whenever demanded by the Assessing Authority concerned through a notice in writing. In case if he fails to do so, a penalty of rupees one thousand may be imposed for every month till he produces the said record.

(20) The lessee shall—

(a) Submit by the 10th day of every month to the Collector and Gram Panchayat a return in Form X giving the total quantity of mineral/minerals raised, removed/consumed in previous calendar month;

(b) Submit on or before 15th day of July and January to the Collector half yearly return for half year ending June and December in Form XI;

(c) Submit by the 31st January every year to the Collector a Statement giving information in Form XII regarding

quantity and value of mineral/minerals raised/removed/consumed during last calendar year, average number of labourers employed (men and women separately), number of days worked.

(21) The lessee shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration or the Sanctioning Authority, as the case may be, any part of mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, bridge, national highway, reservoir, tank, canal, or any other public works or buildings.

(22) If the lessee or his transferee or assignee does not allow entry or inspection under sub-rule (23) the Sanctioning Authority may cancel the lease and forfeit in whole or in part the security deposit paid by the lessee under Rule 25.

(23) (i) The lessee shall allow officers authorised by the State or the Central Government and any officer authorised by the Zila/Janpad/Gram Panchayat to enter upon any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting the same.

(ii) Every owner, agent or manager of a quarry shall provide all necessary facilities to the persons deputed by the State Government for the purpose of undertaking research or training in matters relating to mining operations.

(24) The lessee shall immediately give to.—The Director General of Mines Safety, Government of India, Dhanbad, the Controller General, Indian Bureau of Mines of Government of India, Nagpur and the District Magistrate of the District in which the mine is situated, a notice in writing in Form XIII appended to these rules, as soon as—

(a) the working in the mine extends below superjacent ground.

(b) the depth of any open cast excavation measured from its highest to the lowest point exceeds six metres; or

(c) the number of persons employed on any day exceed 50; or

(d) any explosive are used.

(25) The State Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the land in respect of which the lease has been granted:

Provided that a fair market price prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee for all such minerals.

(26) In case of breach by the lessee or his transferee or assignee of any of the conditions specified in sub-rule (1), (3), (4) (11), (12) or (13) of this rule, the Collector/Additional Collector shall give notice in writing to the lessee, or his transferee or his assignee asking him to show cause why he should not be penalised for the breach committed and directing him to remedy the breach within sixty days from the date of the notice and if the lessee or his transferee or assignee fails to shown proper cause or if the breach is not remedied within such period the Sanctioning Authority, without prejudice to any other action, may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit or in the alternative may receive from the lessee such penalty for the breach not exceeding four times the amount of the said half yearly dead rent as the lessor may fix.

(27) In case of breach by the lessee or his transferee or assignee of any other conditions of the lease, the Sanctioning Authority may require the lessee to pay a penalty not exceeding an amount equivalent to twice the amount of annual dead rent.

(28) A quarrying lease may contain such other conditions as the Sanctioning Authority may deem necessary in regard to the following, namely:—

(a) the time limit, mode and place of payment of rents and royalties;

(b) the compensation for damage to the land covered by lease;

(c) the felling of trees;

- (d) the restriction of surface operations in any area prohibited by any authority;
- (e) the notice by lessee for surface occupation;
- (f) the facilities to be given by the lessee for working other minerals in the leased area or adjacent areas;
- (g) the entering and working in a reserved or protected forest;
- (h) the security pits and shafts;
- (i) the reporting of accidents;
- (j) the indemnity to State Government against claims of third parties;
- (k) the maintenance of sanitary conditions in the mining area;
- (l) the delivery of possession over lands and mines on the surrender, expiration or determination of the lease;
- (m) the forfeiture of property left after determination of the lease;
- (n) the power to take possession of plant, machinery, premises, and mines in the event of war or emergency;
- (o) the manner in which rights of third parties may be protected (whether by way of payment of compensation or otherwise) in cases where any such party is prejudicially affected by reason of any mining operation;
- (p) the manner in which rehabilitation of flora and other vegetation such as trees, shrubs and the like destroyed by reason of any quarrying or mining operation shall be made in the same area or in any other areas selected by the State Government, (whether by way of reimbursement of the cost of rehabilitation or otherwise) by the person holding the quarry lease;
- (q) the construction, maintenance and use of roads, power transmission lines, tramways, railways, aerial rope ways, pipelines and making of passage for water for mining purposes on any land comprised in a quarry or to other mineral concessions.

31. **Special Conditions**—A quarry lease may contain any other special conditions as may be specified by the State Government.

32. **Establishment of cutting and polishing units.**—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5) of rule 30 in respect of quarry leases of granite granted for the establishment of a cutting and polishing unit, if the unit is not established within a period of one year from the date of Execution of lease/leases within the State the said lease/leases shall be deemed to be terminated;

(2) The lessee can transport including inter state movement or export the rough blocks within the first year of the quarry lease, the quantity as may be permitted by the State Government.

33. **Rights of Lessee.**—Subject to the conditions specified in rule 30 the lessee for the purposes of mining operations with respect to the land leased to him shall have the right:—

- (i) to work the mines;
- (ii) to sink pits and construct buildings and roads;
- (iii) to erect plant and machinery;
- (iv) to quarry and obtain building and road materials and make bricks, but not for sale;
- (v) to use water;

(vi) to use land for stacking purpose;

(vii) to do any other thing specified in the lease.

34. Right to determine lease.—The lessee may determine the lease at any time by giving not less than six months notice in writing to the Sanctioning Authority after paying all outstanding dues of the Government.

35. Transfer of Quarry lease.—(1) No lessee shall transfer or sub-let his lease to any other person nor make any arrangement with any body, where by even indirectly any right over the leased areas is passed on to any other persons:

Provided that the permission for transfer may be granted to the lessee by the Sanctioning Authority on payment of Rs. 1000/- (Rupees One thousand) and transferee has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of any such quarry lease.

(2) The Sanctioning Authority may by an order in writing determine the lease at any time if in the opinion of the sanctioning authority the lessee has committed a breach of sub-rule (1).

(3) Where on an application for transfer of quarry lease under sub-rule (1), the Sanctioning Authority has given consent for transfer of such lease, a transfer lease deed in Form XIV shall be executed within three months from the date of permission or within such further period as the Sanctioning Authority may allow in this behalf.

CHAPTER VI—GRANT OF QUARRY PERMIT

36. Quarry Permit.—Quarry permit shall be issued by Zila/Janpad and Gram Panchayats as specified in Rule 7 and Rule 8.

37. Application for quarry permit.—An application for grant or renewal of quarry permit shall be made to the Competent Authority in Form XV and shall contain the following particulars:—

- (i) Name, profession, caste, educational qualification, age, residence, financial status and address. In case of Co-operative Societies/Association, bylaws, list of members and their caste, financial status of individual member and their educational qualification;
- (ii) Name of the mineral for which permit is required;
- (iii) Description of the land marked on a village map with khasra panchasala from which the mineral is to be removed;
- (iv) Purpose for which the mineral is to be used;
- (v) Consent of the owner of land, if the land is a private land;
- (vi) Period for which the permit is required;
- (vii) An application fee of rupees Twenty Five (Rs. 25.00) to be deposited in the manner as may be prescribed by the respective authority and the cash receipt thereof shall be enclosed with the application.

38. Disposal of application for quarry permit.—(1) On receipt of an application for the grant or renewal of quarry permit its details shall be first circulated for display on the notice board of the Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat concerned of the district and collectorate of the district concerned. It shall be disposed of by the Sanctioning Authority within thirty days from the date of its receipt. However a Gram Panchayat shall obtain prior approval of its Gram Sabha before final disposal of the application.

(2) The Sanctioning Authority shall grant quarry permit in Form XVI for extraction and removal from any specified quarry, any mineral under any one permit. The agreement shall be executed and registered in Form XVII within 30 days of sanction and if no such agreement is executed within the aforesaid

period, the order of sanction shall be deemed to be revoked. The transit pass in Form IX shall be issued after deposition of royalty for the quantity of mineral intended to be transported every time. The royalty shall be calculated at the rates specified in Schedule III. The applicant shall deposit the amount of security which he may be directed to deposit by the Authority before such execution of agreement.

(3) If any application is rejected, the Sanctioning Authority shall inform the applicant, stating the reasons of such rejection.

(4) **Preferential Rights.**—A Quarry permit shall be granted only to the residents of the Panchayat where the quarry is located in the following order of preference:—

- (a) Co-operative society/association of Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Backward Classes Educated unemployed youths or individuals where more than 50 per cent. of the members belong to the concerned category and the chairman of the society belong to the concerned category and also where the executive committee have representation in the ratio of the members of the concerned category and hail from below poverty line families listed in the District Rural Development Agency or educated unemployed youth belonging to Schedule Tribe/Schedule Caste/Backward Classes in that order;
- (b) An educated unemployed youth belonging to below poverty line families listed in the District Rural Development Agency;
- (c) Any other person belonging to below poverty line families listed in the District Rural Development Agency;
- (d) Any other applicant.

39. **Period of Quarry Permit.**—The period of a quarry permit shall be as specified in rule 22.

40. **Conditions of quarry permit.**—The conditions of quarry permit shall be as follows, namely:—

- (i) The depth of quarry below the surface shall not exceed six metre;
- (ii) The permit is non-transferable;
- (iii) Mineral, other than for which quarry permit is granted, shall not be excavated, removed or transported without approval of the Sanctioning Authority;
- (iv) If any major mineral is found during quarrying operations, the permit holder shall report the matter to the Sanctioning Authority and the Collector of the district, forthwith;
- (v) The quarry permit holder shall maintain complete and correct accounts of the mineral excavated and quantity removed from the area;
- (vi) The quarry permit holder shall immediately report all accidents to the Sanctioning Authority and the Collector of the district;
- (vii) The quarry permit holder shall have no right over the quarried material and other property lying in the permit area after expiry of the permit;
- (viii) the quarry permit holder shall not carry on the quarrying operation within the prohibited distances from any public roads, public building, temples, reservoirs, dams, burial ground and Raliway track, etc. and cause any damage to any public and private properties;
- (ix) The quarry permit holder shall allow the sanctioning Authority or any Officer authorised by any of them to inspect the quarrying operations and to check the accounts and verify the details of dispatches from the registers maintained by him, and
- (x) the quarry permit holder shall surrender on expiry of the permit all duplicates of transit passes issued to him to the Sanctioning Authority and furnish to him a complete statement indicating the quantities of minerals removed and other particulars as may be required by the Sanctioning Authority.

41. Register of quarry permit.—The Sanctioning Authority shall maintain a register of quarry permits in Form XVIII.

CHAPTER VII—QUARRYING OPERATIONS

42. Opencast working.—(1) In opencast workings, the benches formed shall be so arranged that the benches in mineral and overburden are separated so as to avoid mixing of waste with mineral.

(2) (i) In alluvial soil, murrum, gravel, clay or other similar ground, the sides shall be sloped at an angle of safety not exceeding 45 degrees from horizontal or such other angle as the Deputy Director may permit by an order in writing.

(ii) the sides shall be kept benched, and the height of any bench shall not exceed 1.5 metre and the breadth thereof shall not be less than the height.

(iii) the benches in overburden shall be kept sufficiently in advance so that their workings do not interfere with the working of mineral.

(iv) The overburden and waste material obtained during mining operations shall not be allowed to be mixed with non-salable or sub-grade minerals. They shall be dumped and stacked separately.

(v) The mining operations shall be carried out in workmen-like-manner and in accordance with the provisions of the State and Central Acts and rules wherever applicable.

(vi) The Collector of the district concerned or any officer authorised by the State Government if in his opinion the compliance with the provisions thereof not reasonably practicable, may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, exempt from the operation of these rules for any workings in those cases in which special difficulties exist:

Provided that all sand quarries, operated by co-operative societies/associations of scheduled tribe/caste/backward classes and educated unemployed and an individual member of scheduled tribe/caste and backward classes shall be exempted from compliance of these rules subject to the condition that loose stones and debris shall not be allowed to remain within a distance of three metre from the edge of excavation and no undercutting of any face or side is caused to permit any overhanging.

43. Exemptions to be subject to Mines Act, 1952 and rules made thereunder.—Subject to such exemptions granted under the Mines Act, 1952 and rules made thereunder, the lessees shall comply with all provisions of the said Act and rules.

CHAPTER VIII—PROTECTION OF ENVIRONMENT

44. Protection of Environment.—(1) Every holder of quarry lease shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution while conducting quarrying operation in the following manner:—

(a) Wherever top soil exists and is to be excavated for quarrying operation, it shall be removed separately.

(b) The top soil so removed shall be stored for future use;

(c) The dumps shall be properly secured to prevent escape of material therefrom and cause land degradation or damage to agricultural fields, pollution of surface water bodies or cause floods;

(d) The site of dumps shall be selected as far as possible on impervious and barren ground within the leased area;

(e) The top soil dumps shall be suitably terraced and stabilised through vegetation or otherwise.

(2) The top soil so removed shall be utilised for restoration or rehabilitation of the land which is no longer required for quarrying operations.

(3) Removal, Storage and utilisation of overburden, etc.

- (a) Every holder of an quarry lease/quarry permit shall take steps so that the over burden, waste rock, rejects and fines generated during quarrying or during sizing shall be stored in separate dumps;
- (b) The dumps shall be properly secured and shall be suitably terraced and stabilised through vegetation or otherwise;
- (c) Wherever possible, the waste rock, over burden etc. shall be back-filled into the quarry excavations with a view to restoring the land to its original use as far as possible;
- (d) The fines shall be so deposited and disposed that they are not allowed to flow away and cause land degradation or damage to agricultural fields, pollution of surface water bodies or cause floods.

45. Reclamation and rehabilitation of lands.—Every holder of quarry lease shall—

- (i) Undertake the phased restoration, reclamation and rehabilitation of lands affected by quarrying operations and shall complete this work before the conclusion of such operations and the abandonment of quarry.
- (ii) Carry out quarrying operations in such a manner so as to cause least damage to the flora of the area held under quarry lease and the nearby area;
- (iii) Every holder of a quarry lease/quarry permit shall—
 - (a) take immediate measures for planting in the same area or any other area selected by the Collector not less than twice the number of trees destroyed by reason of any quarrying operations;
 - (b) look after them during the subsistence of the lease after which the trees shall be handed over to the Gram Panchayat of the area in which the quarry is situated; and
 - (c) restore, to the extent possible other flora destroyed by quarrying operations.
- (iv) The State Government may prescribe rates at which the cost of rehabilitation and reclamation shall be recoverable from the holder of a quarry lease/quarry permit upon his failure to observe these rules.

46. precautions against damage to public places, air pollution and noise pollution etc.—Every holder of a quarry lease shall,—

- (i) take adequate precautions against damage to public buildings or monuments, roads, religious places either within the lease area or in proximity to the lease area;
- (ii) air pollution due to fines, dust, etc; shall be controlled, and kept within permissible limits specified in the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) and rules made thereunder;
- (iii) noise arising out of quarrying operations shall be abated or controlled at the source so as to keep it within permissible limits.

47. Penalty.—Whosoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both and in the case of continuing contravention, with an additional fine which may extend up to five hundred rupees for every day during which such contravention continue after conviction for the first such contravention.

48. Returns.—(1) Every holder of a quarry lease shall submit to the Collector of the district concerned or any officer authorised by him within a period of 60 days of the execution of the quarry agreement, a scheme of an environment management incorporating proposals for the progressive reclamation and rehabilitation of the land disturbed by the quarrying operations, a scheme for the plantation of trees and a scheme for prevention and control of air and water pollution in Form XIX;

- (2) The scheme under sub-rule (1) shall be prepared in consultation with the Deputy Director;

(3) The collector or the authorised officer may direct such other measures to be taken for minimising the adverse effect of quarrying operations on the environment;

(4) The environmental scheme prepared under sub-rule (1) may be modified at any time on geological considerations by the holder of a quarry lease subject to the approval of Director;

(5) Every holder of a quarry lease shall submit to the Collector a quarterly report in Form XX so as to reach him by 15th April, 15th July, 15th October and 15th January for the quarters ending March, June, September and December respectively. The Collector together with his comments shall send the reports to Panchayats so that they can exercise due control on protection of environment.

49. Relaxation from protection of Environment.—(1) Notwithstanding anything contained in these rules the provisions of rule 44, 45, 46, 47 and 48 shall not apply to sand and bajri quarrying;

(2) Relaxations may be granted by the Director, to a quarry lease holder from all or some of the provisions of environmental protection on special considerations.

50. Scheme to be submitted by the existing lessees.—Where quarrying operations have been undertaken before the commencement of these rules without an approved scheme of an environment management, the holder of all such quarry leases including auction quarries shall submit a scheme within a period of 90 days from the commencement of these rules to the Collector of the district concerned.

51. Approval of Scheme.—(1) The Collector shall within a period of 90 days from the date of receipt of the scheme, under rule 48 and 50 convey his approval or disapproval together with reasons to the lessee or permit holder;

(2) If no decision is conveyed within the stipulated period under sub-rule (1), it shall be deemed to have been provisionally approved subject to the final decision whenever communicated.

CHAPTER IX—ASSESSMENT OF ROYALTY

52. Assessment and determination of royalty.—(1) Assessment and determination of royalty due from an assessee during an assessment year or as required shall be made by the assessing authority after the returns in respect of that year have been filed by the assessee as required under the terms and conditions of the lease deed or the statement of production, dispatches or consumption has been submitted by the lease/permit holder:

Provided that the assessing authority may make a provisional assessment for a particular period during the assessment year after the receipt of returns in respect of that period.

(2) For the purpose of assessment of royalty as mentioned in sub-rule (1) the assessee shall submit monthly returns in Form X by the 10th of the following month and annual return in the Form XII within one month from the expiry of the assessment year.

(3) If the assessee fails to submit returns as required under sub-rule (2) or the returns filed appear to be incorrect, the assessing authority may hold such inquiry as it may deem fit and assess royalty of the assessment year:

Provided that the assessing authority shall give reasonable opportunity of being heard to an assessee before taking any action under this sub-rule.

(4) For the purpose of sub-rule (3) the assessing authority may serve a 15 days' notice upon the assessee requiring in writing on a date and at place specified in the notice and to produce any evidence on which the assessee relies in support of the correctness of the returns, statement and records furnished by him and produce or cause to be produced such accounts pertaining to the assessment year as the assessment authority may require.

(5) On the day specified in the notice given in sub-rule (4) or on any other day thereafter which the assessing authority may fix, the assessing authority after hearing and considering the evidence as may be produced by the assessee in this behalf shall make an order in writing of assessment of royalty payable by the assessee.

(6) notwithstanding any thing contained in these rules or in the agreement of quarry lease/permit if the assessee contravene any of the provisions of sub-rule (2), (4) and (5) or if he has not adopted any method of regular accounting on the basis of which assessment can be made properly, the assessing authority shall assess the royalty to the best of its judgement and may impose for each of the contravention, penalty up to 20% of annual dead rent.

(7) If an assessee fails to submit monthly returns in Form X under sub-rule (2) for any month within the prescribed time limit and if the assessing authority has reason to believe that the assessee has evaded or avoided payment of royalty, the assessing authority may after giving to assessee a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it may consider necessary, assess the royalty for the period to the best of its judgement. The amount so assessed shall be payable forthwith by the assessee.

CHAPTER X—PENALTY FOR UN-AUTHORISED EXTRACTION AND TRANSPORTATION

53. Penalty for un-authorized extraction and transportation.—(1) Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minerals and every such person shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both;

(2) Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules the Collector/Additional Collector/Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer, or any Officer authorised by him or Zila/Janpad/Gram Panchayat may seize the minor minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence;

(3) The officer seizing illegally extracted or transported mineral or its product, tools, equipments and vehicles shall give a receipt of the same to the person from whose possession such things were so seized and shall make report to the Magistrate having jurisdiction to try such offence;

(4) The property so seized under sub-rule (2) may be released by the officer who seized such property on execution of a bond to the satisfaction of the officer by the persons from whose possession such property was seized. It shall be produced at the time and at the place when such production is asked for by such officer:

Provided that where a report has been made to the Magistrate under sub-rule (3) then the seized property shall be released only under the orders of such Magistrate.

(5) the Collector/Additional Collector/Joint Director/Deputy Director/Mining Officer or Officer authorised by Zila/Janpad/Gram Panchayats may either before or after the institution of the prosecution, compound the offence so committed under sub-rule (1) on payment of such fine which may extend to double the market value of mineral so extracted but in no case it will be less than rupees one thousand or ten times of royalty of minerals so extracted whichever is higher:

Provided that in case of continuing contravention Collector/Additional Collector/Deputy Director/Mining Officer in addition to the fine imposed may also recover an amount of Rs. 500/- for each day till such contravention continues;

(6) Any person who trespasses on any land in contravention of these rules, such trespasser may be served with an order of eviction by the Collector/ Additional collector;

(7) All property seized under sub-rule (2) shall be liable to be confiscated by an order of the Magistrate trying the offence if the amount of the fine and other sums imposed are not paid within a period of one month from the date of the order:

Provided that on payment of such sum within one month of the order all property so seized except the mineral or its products shall be released and the mineral or its products so seized under sub-rule (2) shall be confiscated and shall be the property of the State Government.

(8) The authorities empowered to take action under this rule may if deem necessary, request to the police authority in writing for the help of police and the police authorities shall render such assistance as may be necessary to enable the officer to exercise the powers conferred on them by this rule to stop illegal extraction and transportation of minerals;

(9) (i) Subject to such conditions as may be specified, the Collector/Additional Collector may authorise either generally or in respect of particular case or class of cases any officer not below the rank of Assistant Mining Officer to investigate all or any offence punishable under this rule;

(ii) Every officer so authorised shall in conduct of such investigation exercise the powers conferred upon the officer-in-charge of a police station by the Code of Criminal Procedure for the investigation of a cognizable offence.

(iii) The investigation officer for the purposes of this rule shall exercise the powers of the Code of Civil Procedure in respect of the following matters:—

(a) Enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation.

(b) Compelling production of documents.

CHAPTER XI—MINOR MINERAL OFFENCES PREVENTION AWARD

54. Awards.—(1) Any officer of Directorate, Geology and Mining, Madhya Pradesh furnishing information leading to or otherwise contributing to the prosecution of offence in respect of illegal mining and quarrying and transport, or of offences otherwise committed against the Act and the rules may be granted awards;

(2) Awards may be granted only in case when the information furnished is useful to impose penalty under the rules;

(3) Conditions and extent of award.—The awards made under these rules shall be in cash subject to the following conditions—

(i) Where minerals are seized.—The maximum amount of an award shall be 5% of the sale value of the seized mineral after realisation or five hundred rupees, whichever is less;

(ii) Where no mineral is seized.—A maximum amount of an award shall be 5% of the penalty amount realised, may be awarded;

(4) Award not to be claimed as of right—

(i) Awards under these rules can not be claimed as a matter of right.

(ii) No appeal lies to any authority on any award made by the Competent Authority under these rules.

55. Authority and mode of awards.—(1) The power to grant awards shall vest with the Director;

(2) The case or proposal to make an award shall be examined and decision taken to grant the award by a committee consisting of the Director with two other officers of his department nominated by him;

(3) The award shall be drawn on the Form 34 of the Madhya Pradesh Treasury Code Volume II by the Drawing and Disbursing Officer who disburses the pay and allowances of the Government servant concerned.

CHAPTER XII—DISBURSEMENT OF REVENUE FROM MINOR MINERALS BETWEEN JANPAD PANCHAYATS AND GRAM PANCHAYATS

56. Revenue to be deposited in Madhya Pradesh Panchayat Raj Fund/Panchayat Fund.—(1) The revenue from minor minerals under the provisions of these rules except of quarries under the control of Panchayats, like dead rent, royalty, surface rent and any other penalties etc., shall be first deposited in the Consolidated Fund of the State in the manner prescribed in these rules. The State Government at the beginning of the financial year if Legislative Assembly have so provided by an Appropriation shall draw from the Consolidated Fund all such amount which is to be distributed from the revenue of the minor minerals received in the preceding financial year. Such amount shall be deposited in a separate fund which shall be called Madhya Pradesh Panchayat Rajya Fund as provided in the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

(2) Revenue from minor minerals of quarries under control of Panchayats shall be deposited in respective Panchayat Fund.

(3) Every year in accordance with the rules governing the above said fund the State Government shall distribute grant to the respective Janpad Panchayats and Gram Panchayats in the following manner—

(i) Revenue from minor minerals shown at serial number 1 of Schedule 1, 33.33 percent to the respective Gram Panchayat in which the area of the lease is situated:

Provided that if the lease area falls within more than One Gram Panchayat then the disbursement shall made in proportion of the area of lease falling in the respective Gram Panchayats.

(ii) Revenue from minor mineral quarries except as specified in clause (i) of sub-rule (3) of this rule shall be distributed in the proportion of 1:4 to the respective Janpad Panchayat and Gram Panchayat.

CHAPTER XIII—APPEAL, REVIEW AND REVISION

57. Appeal, Review and Revision.—(1) Where any power is exercisable by Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat under these rules in relation to any matter, an appeal shall lie from every order passed under these rules to the authority mentioned in Madhya Pradesh Panchayat (Appeal and Revision) Rules, 1995 and in the same manner as prescribed therein;

(2) Where any power is exercisable by the Collector/Additional Collector under these rules, in relation to any matter an appeal shall lie from every order passed under these rules to the Director;

(3) Where any power is exercisable by the Director under these rules, in relation to any matter an appeal shall lie from every order passed under these rules to the State Government.

(4) Any person aggrieved by an order passed by the State Government in exercise of the powers conferred on it by these rules may within 60 days of the date of communication of the order to him, apply to the State Government for review of the order.

(5) The State Government may at its own motion review any order passed by itself and pass such order in reference thereto as it thinks fit.

58. Revision.—(1) The State Government and Director may at any time, on its own motion for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by or as to the regularity of the proceedings of any officer subordinate to it call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as it thinks fit.

Provided that no order under this rule shall be passed against any person interested unless he has been given an opportunity to represent his case.

(2) Notwithstanding whenever under sub-rule (1), a review on any matter is pending with the State Government, no authority subordinate to it shall take any action in the matter.

59. Limitation of Appeal, Review or Revision.—No appeal revision or review under these rules shall be entertained after sixty days of the date of communication of the order.

Provided that any such appeal, revision or review may be entertained by an appellate or review authority after the said period, if the appellant satisfies him that he has sufficient cause for not making the application within time.

60. Application for Appeal, Revision or Review.—(1) An application shall be made in triplicate in form XXI.

The application for appeal revision or review shall be accompanied by a treasury receipt showing that a fee of one hundred rupees has been paid into Government Treasury under the head of account—

'0853	— Mines and Minerals
102-C	— Mineral Concession fees, rent and royalties
800	— Other receipts
002	— Receipts from minor minerals including fines and forfeitures'

(2) The application for appeal or review or revision shall be affixed with a court fee stamp of the value of Rs. 5.00 (Rupees Five).

(3) In every application under sub-rule (1) against the order refusing to grant a quarry lease, any person to whom a quarry lease was granted in respect of the same area or part thereof, shall be impleaded as party.

(4) Along with the application under sub-rule (1), the applicant shall submit as many copies thereof as there are parties impleaded under sub-rule (3).

61. **Copies of application of appeal, revision or review to be sent to impleaded parties.**—On receipt of the application and the copies thereof the Appellate or Reviewing Authority shall send a copy of the application to each of the parties impleaded under sub-rule (3) of rule 60 specifying the date on or before which he may make his representation if any against the review/revision/appeal application.

62. **Order on appeal, revision or review application.**—Where an application for appeal, revision or review is made under these rules the authority may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as it may deem just and proper.

63. **Grant of stay.**—The appellate or reviewing authority may at any time direct that the execution of the order appealed from or against which a review is pending be stayed for such time as it may deem fit.

Provided that no stay for the recovery of mining dues shall be granted unless the party seeking stay has paid the undisputed amounts of rents, royalties and interest due thereon and has furnished bank guarantee for the disputed amounts of such rent, royalty and interest.

64. **Opportunity for being heard.**—No order under rule 62 shall be passed against any person interested unless he has been given an opportunity to represent his case.

CHAPTER XIV—MISCELLANEOUS

65. **Power to rectify apparent mistakes.**—The Competent Authority may at any time within six months from the date of the order passed by it under these rules on its own motion rectify any mistake or error apparent on the face of the record and shall within the like period rectify any such mistake or error which has been brought to its notice by an applicant for the grant of quarry.

Provided that no such rectification having or purported to have a prejudicial effect on another application for the grant of the quarry lease/quarry permit shall be made unless the Competent Authority have given to such applicant notice of its intention to do so and have allowed him reasonable opportunity of being heard.

66. **Relaxation of rules in special cases.**—In any case or class of cases in which the State Government is of the opinion that the public interest so requires it may grant a quarry lease/quarry permit on the terms and conditions other than those prescribed in these rules.

67. **Handing over possession of quarry.**—(1) Where quarry lease/quarry permit is cancelled or determined or right of pre-emption is exercised or the period for which the lease is granted has expired, the lessee shall hand over possession of quarry to the Collector/Additional Collector or any officer authorised by him or Zila/Janpad/Gram Panchayat within a period of 15 (Fifteen) days of the cancellation of the lease or determination of the lease or exercise of the right of pre-emption or the day immediately following date of expiry of the lease as the case may be.

(2) Where a lessee fails to hand over possession of the quarry in accordance with sub-rule (1), the

Collector/Additional Collector or the Officer authorised by him or Zila/Janpad/Gram Panchayat shall serve or cause to be served a notice on the lessee either by post or by tendering or delivering a copy of it personally to the lessee or one of his family members or servants or by affixing it to a conspicuous part of the place of his residence or publishing it in at least one newspaper having circulation in the locality where the lessee resides.

(3) the notice under sub-rule (2) shall contain a statement that the lessee shall hand over possession of the quarry within a period of 15 (Fifteen) days of the date of service of the notice to an officer authorised by him under sub-rule (1) of rule 67. Where a lessee fails to hand over possession of a quarry within the period specified in the notice under sub-rule (2) to the officer authorised under sub-rule (1) of rule 67, he may take possession of the quarry from the lessee and for that purposes may use such force as he considers necessary.

68. Permission for removal of minor minerals for State Government works.—(1) The concerning Panchayat shall grant permission for extraction, removal and transport from any specified quarry or land any minor mineral which may be required for the works of any Department of the State Government. Such permission shall only be granted to either the concerned Departmental authority or its authorised contractor on furnishing proof of award of contract.

(2) Such permission shall not exceed a duration of 30 days and a quantity of 500 cubic metre at any one time.

(3) Such permission shall only be granted on payment in advance of royalty calculated at the rates specified in Schedule III. The transit pass in Form IX then shall be issued.

(4) The permit shall be governed by the following conditions:—

(i) The permit holder shall maintain complete and correct account of the mineral removed and transported from the area;

(ii) He shall allow any officer authorised by the Zila/Janpad/Gram Panchayat to inspect quarrying operations and verify the accounts;

(iii) No sooner the permitted quantity is transported within the time period of thirty days or earlier, duplicates of all transit pass such unused transit passes together with a complete statement of the quantities duly certified by the authorised officer of the concerned Department shall be furnished to the Sanctioning Authority.

69. Delegation of powers and functions.—The State Government may by notification in the official Gazette, direct that any power or function which may, be exercised or performed by it under these rules, may in relation to such matters subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised or performed also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.

70. Repeal.—All rules or executive instructions corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed;

Provided that anything done or any action taken under the rules or instructions so repealed shall, so far as they are not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. LAKSHMINARAYANAN, Principal Secretary.

SCHEDULE I

(See Rule 6)

SPECIFIED MINERALS

1. Dimensional stone-granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting & polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.
2. Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.
3. Marble stone for other purposes.
4. Limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material.
5. Flagstone-Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc. and used in cutting and polishing industry.
6. Stone for making gitti by mechanical crushing (i. e. use of crusher).
7. Bentonite/Fuller's earth.

SCHEDULE II

(See Rule 6 & 7)

OTHER MINERALS

1. Ordinary Sand, Bajri.
2. Ordinary clay for making bricks, pots, tiles etc.
3. Stone, Boulder, Road Metal, Gitti, Dhoka, Khanda, Dressed Stones, Rubble, Chips.
4. Murrum.
5. Lime Kankar when used in kilns for manufacture of lime used as building material.
6. Gravel.
7. Lime shell when used in kilns for manufacture of lime used as building material.
8. Reh Mitti.
9. Slate when used for building material.
10. Shale when used for building material.
11. Quartzite and quartzitic sand when used for purposes of building or for making road metal or house-hold utensils.
12. Salt petre.

SCHEDULE III

(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S.No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	Rs. 750/- per cu. mt.
	(b) Other colour	Rs. 400/- per cu. mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 150/- per cu. mt.
3.	Marble stone for other purpose	Rs. 50/- per cu. mt.
4.	Flagstone-Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 40/- per cu. mt.
5.	Ordinary Sand, bajri	Rs. 15/- per cu. mt.
6.	Murum	Rs. 10/- per cu. mt.
7.	Stone:—	
	(a) Boulder	Rs. 15/- per cu.mt.
	(b) Gitti, roadmetal	Rs. 16/- per cu. mt.
	(c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	Rs. 25/- per cu. mt.
8.	Other minor minerals—	Rs. 10/- per cu. mt.

SCHEDULE IV

(See rule 29)

RATES OF DEAD RENT IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM

S.No.	Category of Mineral	1st year of the quarry lease	2nd year to 3rd year of the quarry lease	4th year of the quarry lease and onward
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensional stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting & polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Nil	10,000	15,000
2.	Marble which is used for cutting & polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension and marble stone for other purpose.	Nil	5,000	7,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material.	Nil	3,000	5,000
4.	Flagstone-Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Nil	5,000	7,500
5.	Stone for crusher	Nil	5,000	7,500
6.	Ordinary Sand, bajri	Nil	5,000	7,500
7.	Murum	Nil	2,000	3,000
8.	Stone for building purposes and other minor minerals.	Nil	2,000	3,000

FORM 1

(See rule 9)

Application For Grant/Renewal Of Quarry Lease

Received at (place) on the day of 19

Here affix court fee stamp

From

To

The

Through :—The

Dated the 19

1. I/We beg to apply for grant of quarry lease/renewal of quarry lease for a term of years over hectares of land in the area specified in the schedule.

2. A sum of Rs. 5000/- or Rs. 250/- as application fee payable under rules has been deposited vide challan No. dated at place

3. The required particulars are given below :—

(i) Name of applicant

(ii) Nationality of the applicant (partners, Directors, Members)

(iii) Place of registration or incorporation (firm, Company or Society/Association)

(iv) Profession of individual, nature of business of firm or Company or Society/Association and place of business.

(v) Address of the individual firm, Company or Society/Association

- (vi) Caste (individual or members of society/Association)
- (vii) Educational qualification (individual or members of society/Association)
- (viii) Age (individual or members of society/Association)
- (ix) Residence (individual or members of society/Association)
- (x) List of Directors/Partners/Members
- (xi) Registration/in-corporation certificate
- (xii) Financial status
- (xiii) Articles of memorandum/partnership deed/by-laws
- (xiv) Whether the application is for a fresh lease or for a renewal of a lease previously granted. Give details of previous lease held.
- (xv) Mineral/Minerals which the applicant intends to mine.
- (xvi) Period for which the quarry lease/renewal of quarry lease is required.
- (xvii) Approximate quantity of mineral expected to be raised yearwise during the first three years.
- (xviii) Manner in which the mineral raised is to be utilised
 - (a) for manufacture
 - (b) for sale
 - (c) any other purpose

In case of manufacture the industries in connection with which it is required, should be specified. Details of plant (s) owned, proposed to be set up be given.

4. (a) A plan (six copies) showing the situation and boundaries of the area/areas applied for and concession if any, adjoining is/are enclosed. (If this plan/these plans be considered insufficient, I/we request that the necessary plan/plans of the area/areas may be prepared in duplicate in your office at my/our cost.)

(b) Khasra Panchsala.

5. A statement supported by an affidavit showing all the areas mineralwise in each district of the state.

- (i) already held by me/us in my/our name/names (and jointly with others) under quarrying leases specifying the names of minor minerals,
- (ii) already applied for but not yet granted and
- (iii) being applied for simultaneously.

6. an affidavit of obtaining surface rights.

7. no dues certificate in Form II.

8. The plan should indicate important features, viz—

- (i) if a railway, its full details i.e. whether Eastern Railway or Central Railway, whether a branch line or a main line or colliery tramway.

- (ii) if a road, whether village or public works department or cartrack
- (iii) wells,
- (iv) temples or mosques,
- (v) burning ghat or burial ground, etc.
9. In case the renewal applied for is only for part of the lease hold,
- (a) the area applied for renewal
- (b) description of the area applied for renewal
- (c) particulars of the lease hold with area applied for renewal clearly marked on it (attached).
10. Means by which mineral is to be raised i.e. by hand labourers, mechanical or electric power.
11. any other particulars which the applicant wishes to furnish.

Schedule

Description of the area applied for

- (i) Name of village and Panchayat.
- (ii) Khasra number and area of each field or part thereof—

Khasra Number

Area in Hectares

(iii) Full description of the area applied for with regard to natural feature—

(iv) Tehsil and patwari circle number—

(v) District
Place
Date

Your Faithfully,

Name and Designation

N.B.—If the application is signed by an authorised agent of the applicant, power of attorney should be attached.

If all the number cannot be entered on this form they should be continued on a separate sheet attached to it and signed. Where a portion of a khasra number only is required the approximate area of such portion will suffice.

FORM II

[See rule 9(1)]

No Dues certificate

Office of issue

No.

District

Date

This is to certify that the following quarry leases/mining leases are held by Shri/M/s
in district.

Village	Tehsil	Minerals	Areas in hectares	Total Dues Assessed (in rupees)				Period
				Surface rent	Dead rent	Royalty	Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Amount paid during the period in rupees.

Surface Rent (1)	Dead Rent (2)	Royalty (3)	Other (4)	Total (5)
---------------------	------------------	----------------	--------------	--------------

Balance Dues :—

1.

2.

3.

1. In case there has been no assessment in any year, it must be stated clearly with reasons therefor.
2. It must be stated whether any attachment or R.R.C. are pending in respect of this lease.
3. This is valid only for six months from the date of issue.

*Signature and Designation
of authorised officer with seal
of Office.*

FORM III

[See rule 14(2)]

Receipt of application for quarry lease or renewal

S. No.

Date

Received the application with the following enclosures for grant renewal of quarry lease from Shri/Sarvashri.
..... on 19 for about hectares of land located in village
Panchayat Tehsil District for mining minerals.

Enclosures :—

Place :

Date

*Signature
of the receiving officer with
seal of Office.*

FORM IV

[See rule 15(1)]

Register of application for quarry leases

1. Serial No.
2. name of applicant.
3. Residence of applicants.
4. Date on which application was received by receiving officer.
5. Particulars of minerals which the applicant desires to win.
6. Name of village.
7. Name of panchayat.
8. Tehsil.
9. Khasra No.
10. Area in hectares (khasrawise)
11. Period for which applied.
12. Remarks (preferential right sought for)
13. Final disposal of applications together with number and date of the order.
14. Signature of the officer.

FORM V

[See rule 20]

Register of quarry leases

1. Serial No.
2. name of the lessee with complete address.
3. Date of application & S. No. of application register.
4. Mineral for which lease has been granted.
5. (a) Number And date of grant of lease with authority.
(b) Date of execution of quarry lease.
6. period for which granted/renewed.
7. Village, Panchayat & Tehsil where situated.
8. Khasra No. and area.
9. Area in hectares for which lease has been granted
10. Khasra No. with area of each No. taken up for working with date when so taken up.
11. Amount of compensation paid for Area—in col. No. 9 with date of payment and whether through Government or by private negotiations together with No. and order of land acquisition or transfer of lease.
12. amount of surface rent fixed and date of fixation.
13. Date of expiry or relinquishment or cancellation of the lease.
14. Remarks with particulars as to date of renewal, actual expiry or relinquishment.
15. Date from which the area is available for grant (Notification No. & Date of availability).
16. Date of assignment or transfer of lease, if any, and the name and address of the assignee or transferee.

17. date of change together with the details of change that take place, in name nationality or other particulars of the holder of quarrying lease.
18. Signature of the Officer.
19. Remarks.

FORM VI

[See rule 25(2)]

Surety Bond

Stamp duty as specified against
item 57 of Sec. 1. A. of
Indian Stamp Act, 1899.

Know all Men By These Presents, that I, S/o Shri Resident of in the Tehsil of the District (herein after called the surety) am held and firmly bound to the Governor of Madhya Pradesh (hereinafter called the Governor) for the sum of Rs. only, to be paid to the Governor, his successors, or assignees or their attorney or the Officer authorised by the Governor in this behalf, for which payment will and truly to be made, I hereby bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives, firmly by these witnesses;

As witness I have set out my hand, this day of one thousand nine hundred and

Whereas Shri son of Shri resident of in the tehsil or the district (hereinafter called the lessee) has at his own request been granted quarry lease for (mineral) over an area of hectares in village Tehsil district for a period of vide order No. dated

And whereas the lessee has agreed to execute the prescribed agreement with the Government.

And whereas by virtue of the agreement to be executed between the Governor (lessor) and lessee, the said lessee is required to pay regularly and timely the dead rent, royalty, surface rent and any other dues arising out of the lease.

And where as the Governor has asked Shri son of to furnish surety of Rs. (Rupees only), I, stand as surety for him to the above amount and execute this bond, and I declare that I own the following immovable property of which I am the absolute owner and that the property is not mortgaged or gifted and it is free from all encumbrances.

Details of the property Value

And the conditions of the Bond is such that if the lessee shall die or become insolvent or at any time ceases to pay the dead rent, royalty, surface rent or any other dues arising out of the said lease, any such due on this account under this lease shall immediately become due and payable to the Governor and the same will be recovered from my property detailed above as an arrear of land revenue in one instalment by virtue of this Bond.

And I further declare that I will not sell, mortgage, gift or transfer in any other manner and will not act in any way to dispose off the above property till this bond is in force.

In witness whereof the said has signed hereinto on day of One thousand nine hundred and

Signature with full name address
and occupation of the witness.

Signature of the surety

1.
2.

Verified and found correct has signed
this Bond today in my presence.

Date

Magistrate, Executive

FORM VII

[See rule 26]

Quarry lease deed

THIS INDENTURE made this day of between the Governor of Madhya Pradesh acting through the (hereinafter referred to as the "lessor" which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors in office of the one part and Shri S/o (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees)

OR

..... (Name of society/Association with address and occupation) and (Name of person with designation) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assignees).

OR

..... (Names and addresses of partners), son of of son of of all carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the firm) registered under Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at In the town of (hereinafter referred to as "the lessee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assignees).

OR

..... (Name of company) a company registered under the company's Act, 1956 and having its registered office at (address) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignees) of the other part.

WHEREAS THE lessee/lessees has/have applied to the Competent Authority in Accordance with the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996 (hereinafter referred to as the said Rules) for a quarry lease for in respect of the lands described in Part I of the Schedule hereunder written and has/have deposited with the State Government the sum of Rs. as security deposit.

WITNESSETH that in consideration of the rents and royalties, covenants and agreements by and in these presents and the Schedule hereunder written reserved and contained and on the part of the lessee/lessees to be paid observed and performed the Competent Authority hereby grants and demises unto lessees.

All those Quarries (here state the mineral or minerals) lessee hereinafter and in the Schedule referred to as the said minerals) situated lying and being in or under the lands which are referred to in Part I of the said Schedule together with the liberties, powers and privileges to be exercised or enjoyed in connection herewith which are mentioned in part II of the said Schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoyment of such liberties, powers and privileges which are mentioned in Part III of the said Schedule EXCEPT and reserving out of this demise unto the State Government the liberties, powers and privileges mentioned in Part IV of the said Schedule TO HOLD the premises hereby granted and demised unto the lessee/lessees from the day 19 for the term of years thence next ensuing YIELDING AND PAYING therefore unto the State Government the several rents and royalties mentioned in Part V the said Schedule at the respective times there in specified subject to the provisions contained in Part VI of the said Schedule and the lessee/lessees hereby covenants/covenant with the State Government as in Part VII of the said Schedule is expressed AND the State Government hereby covenants with lessee/lessees as in Part VIII of the said Schedule as expressed and it is hereby mutually agreed between the parties hereto as in part IX of the said Schedule is expressed.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written.

The Schedule above referred to

PART I—THE AREA OF THIS LEASE

Location and area of the lease:—All that tract of lands situated at village (Description of area or areas) in Tehsil in Gram Panchayat bearing Khasra survey Nos. containing an area of or thereabouts delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured and bounded as follows :—

On the North by

On the South by

On the East by

and

On the West by

hereinafter referred to as "the said lands"

PART II

Liberties, powers and privileges to be exercised and enjoyed by the lessee/lessees subject to the restrictions and conditions in Part III.

1. **To enter upon land and win, work etc.**—Liberty and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said lands and to win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the said mineral/minerals.

2. **To bring and use machinery equipment etc.**—Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to erect, construct, maintain and use on or under the said lands any engines, machinery, plant, dressing floors, brick-kilns, workshops, store house, godowns, sheds and other buildings and other works and conveniences of the like nature on or under the said lands.

3. **To make roads and ways etc. and use existing roads and ways.**—Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to make any tramways, roads, and other ways in or over the said lands and to use maintain and go, and repass with or without horses cattle, wagons, or other vehicles over the same (or any existing tramways, roads and other ways in or over the said lands) on such conditions as may be agreed to.

4. **To get building and road materials etc.**—Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to quarry and get stone, gravel and other building and road materials and clay and to use and employ the same and to manufacture such clay into bricks or tiles and to use such bricks or tiles but not to sell any such material bricks or tiles.

5. **To use water from streams etc.**—Liberty and power for or in connection with any of the purpose mentioned in this part but subject to the right of any existing or future lessees and with the written permission of Collector to appropriate and use water from any streams, water-courses, springs or other sources in or upon the said lands and to divert, step up or dam any such stream or water course and collect or impound any such water and to make, construct and maintain any water-course culverts, drains or reservoirs but not as so to deprive any cultivated lands, villages, buildings or watering places for livestock or a reasonable supply of water as before accustomed nor in any way to foul or pollute any stream or springs. Provided that the lessee/lessees shall not interfere with the navigation in any navigable stream or shall divert such stream without the previous written permission of the State Government.

6. **To use land for stacking, heaping, depositing purposes.**—Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of stacking, heaping, storing or depositing therein any produce of the quarries or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.

PART III

Restrictions and conditions as to the exercise of the liberties, Powers and Privileges in Part II.

1. No building etc upon certain places.—No building or thing shall be erected set up or placed and no surface operations shall be carried on in or upon any public pleasure ground, burning or burial ground or place held sacred by any class of persons or any house or village site, public road or other place which the State Government may determine as public ground nor in such a manner as to injure or prejudicially effect any buildings, works, property or rights of other persons and no land shall be used for surface operations which is already occupied by persons other than the State Government for works or purposes not included in this lease. The lessee/lessees shall not also interfere with any right of way, well or tank.

2. Permission for surface operations in a land not already in use.—Before using for surface operations any land which has not already been used for such operations, the lessee/lessees shall give to the Collector of the District two calendar months previous notice in writing specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be so used if objection is issued by the Collector within two months after the receipt by him of such notice unless the objection so stated shall on reference to the State Government be annulled or waived.

3. No mining operations within prohibited distances.—The lessee/lessees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any mining operations at or to any point within the prohibited distances specified in rule 30 (12).

4. Facilities for adjoining Government licences and leases.—The lessee/lessees shall allow existing and future holders of Government licenses or leases over any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lessee/lessees reasonable facilities or access there to:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licenses or leases to the operations of the lessee/lessees under these presents and fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessee/lessees for loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason of the exercise of this liberty.

PART IV

Liberties, Powers and Privileges reserved to the State Government.

1. To work other minerals.—Liberty and power for the State Government or to any lessee or persons authorised by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to search for, win, work, dig, get, raise, dress, process, convert and carry away minerals other than the said minerals and any other substances and for those purposes to sink, drive, make, erect, construct, maintain and use such pits, shafts, inclines, drifts, levels and other lines, waterways, airways, water courses, drains, reservoirs, engines, machinery, plant, buildings, canals, tramways, railways, roadways and other works and conveniences as may be deemed necessary or convenient:

Provided that in the exercise of such liberty and power no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, power and privileges of the lessee/lessees under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reasons for all loss or damages sustained by the lessee/lessees by reasons or in consequence of the exercise of such liberty and power.

2. To make railways and roads.—Liberty and power for the State Government or any lessee or person authorised by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to make upon over or through the same any railways, tramways, roadways or pipelines for any purpose other than those mentioned in part II of these presents and to get from the said lands stones, gravel, earth and other materials for making, maintaining and repairing such railways, tramways and roads or any existing railways and roads and to repass at all times with or without horse, cattle or other animals carts, wagons carriages, locomotives or other vehicles over or along any such railways, tramways, road lines and other ways for all purposes and as occasion may require, provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person no substantial hindrance or interference shall be caused to or

with the liberties, powers and privileges of the lessee/lessees under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason or in consequence of the exercise of such liberty and power.

PART V

Rents and royalties reserved by this lease

1. To pay dead rent or royalty whichever is higher.—The lessee shall pay for every year except the first year of the lease, dead rent as specified in clause 2 of this Part:

Provided that, where the holder of such quarry lease becomes liable under rule 30 of the Rules to pay royalty for any mineral removed or consumed by him or by his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee from the leased area he shall be liable to pay either such royalty or the dead rent in respect of that area, whichever is higher.

2. Rate and mode of payment of dead rent.—Subject to the provisions of clause 1 of this Part during the subsistence of the lease, the lessee/lessees shall pay to the State Government annual dead rent for the lands demised and described in Part I of this Schedule at the rate for the time being specified in the Schedule IV of the Rules in such manner as specified in Rule 30 (1), (a).

3. Rate and mode of payment of royalty.—Subject to the provision of clause 1 of this part, the lessee/lessees shall during the subsistence of this lease pay to the State Government as specified in Rule 30 (1) (b) royalty in respect of any mineral/minerals removed by him/them from the leased area at the rate for the time being specified in the Schedule III to the Rules.

4. Payment of surface rent.—The lessee/lessees shall pay rent to the State Government in respect of all parts of the surface of the said lands which shall from time to time be occupied or used by the lessee/lessees under the authority of these presents at the rate of Rs. respectively per annum per hectare or part thereof for area so occupied during the period from the commencement of such occupation or use until the area shall cease to be so occupied or used and shall as far as possible restore the surface land so used to its original condition. Surface rent shall be paid as detailed in Rule 30 (1) (c).

PART VI

Provisions relating to the rents and royalties

1. Rent and royalties to be free from deduction etc.—The rent and royalties mentioned in Part V of this Schedule shall be paid free from any deductions to the State Government as specified in Rule 30 (1).

2. Mode of computation of royalty.—For the purposes of computing the said royalties the lessee/lessees shall keep a correct account of the mineral/minerals produced, consumed and despatched. The accounts as well as the volume of the mineral/minerals in stock or in the process of export may be checked by an officer authorised under Rules.

3. Course of action if rents and royalties are not paid in time.—Should any rent, royalty or other sums due to the State Government under the terms and conditions of these presents be not paid by the lessee/lessees within the prescribed time, the same, together with simple interest due thereon at the rate of twenty four per cent per annum may be recovered on a certificate of Mining Officer/Assistant Mining Officer in the same manner as an arrear of land revenue.

PART VII

The Covenants of the Lessee/Lessees

1. Lessee to pay rents and royalties, taxes etc.—The lessee/lessees shall pay the rent and royalties reserved by this lease at such times and in the manner provided in PARTS V and VI of these presents and shall also pay and discharge all taxes, rates, assessments and impositions whatsoever being in the nature of public demands which shall

from time to time be charged assessed or imposed by the authority of the State Government upon or in respect of the premises and works of the lessee/lessees in common with other premises and works of a like nature except demands for land revenues.

2. To maintain and keep boundary marks in good order.—The lessee/lessees shall at his/their own expense erect and at all times maintain and keep in repair boundary marks and pillars according to the demarcation to be shown in the plan annexed to this lease. Such marks and pillars shall be sufficiently clear of the shrubs and other obstructions as to allow easy identification.

3. To commence operations within a year and work in a workman like manner.—The lessee/lessees shall commence operation within one year from the date of execution of the lease and shall thereafter at all times during the continuance of this lease win, work and develop, the said minerals without voluntary intermission in a skilful and workman like manner and as prescribed under clause 12 hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands or the crops, buildings, structures or other property thereon. For the purposes of this clause operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road in connection with the mine.

4. To indemnify Government against all claims.—The lessee/lessees shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance which may be done by him/them in exercise of the powers granted by this lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

5. To secure and keep in good condition pits, shafts, etc.—the lessee/lessees shall during the subsistence of this lease well and sufficiently secure and keep open with timber or other durable means all pits and workings that may be made or used in the said lands and make and maintain sufficient fences to the satisfaction of the Collector round every such pit or working whether the same is abandoned or not and shall during the same period keep all workings in the said lands except such as may be abandoned accessible free from water and foul air as far as possible.

6. To strengthen and support the mine to necessary extent.—The lessee/lessees shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration concerned or the State Government, as the case may be any part of the mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road and any other public works or structures.

7. To allow inspection of workings.—The lessee/lessees shall allow any officer authorised under these Rules to enter upon the premises including any building excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying, prospecting and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessee/lessees shall with proper person employed by the lessee/lessees and acquainted with the mines and works effectually assist such officer, agents, servants and workman in conducting every such inspection and shall afford them all facilities, information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and regulations which the Central and State Government as the result of such inspection or otherwise may from time to time, see fit to impose.

8. To report accident.—The lessee/lessees shall without delay send to the Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this lease.

9. To report discovery of other minerals.—The lessee/lessees shall report to the Collector the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease without delay along with full particulars of the nature and position of each such find. If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee/lessees shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease or a separate lease is obtained therefor.

10. To keep records and accounts regarding production and employees etc.—The lessee/lessees shall at all time during the said term keep or cause to be kept at an office to be situated upon or near the said lands correct and

intelligible books of accounts which shall contain accurate entries showing from time to time:—

- (1) Quantity and quality of the said mineral/minerals realised from the said lands.
- (2) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals sold and exported separately.
- (3) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals otherwise disposed of and the manner and purpose of such disposal.
- (4) The prices and all other particulars of all sales of said mineral/minerals.
- (5) The number of persons employed in the mines or works or upon the said lands specifying nationality, qualifications and pay of the technical personnel.
- (6) Such other facts, particulars and circumstances as the Central or the State Government may from time to time require and shall also furnish free of charge to such officers and at such times as the Central and State Government may appoint true and correct abstract of all or any such books of accounts and such information and returns to all or any of the matters aforesaid as the State Government may prescribe and shall at all reasonable times allow such officers as the Central Government or State Government shall in that behalf appoint to enter into and have free access to the said offices for the purpose of examining and inspecting the said books of accounts plans and records and to make copies thereof and make extracts therefrom.

11. To maintain plans, etc.—The lessee/ lessees shall at all times during the said term maintain at the mine office correct intelligible up-to-date and complete plans of the mines in the said lands. They shall show all the operations, and workings and all the trenches, pits made by him/them in the course of operations carried on by him/them under the lease and geological data and all such plans shall be amended and filled up by and from actual surveys to be made for that purpose at the end of twelve months or any period specified from time to time and the lessee/lessees shall furnish free of charge to the State Government true and correct copies of such plans whenever required. Accurate records of all trenches, pits shall show—

- (a) The subsoil and strata through which they pass.
- (b) Any mineral encountered.
- (c) Any other matter of interest and all data required by the State Government from time to time.

The lessee/lessees shall allow officer of the State Government authorised in this behalf to inspect the same at all reasonable time. He/they shall also supply when asked for by the State Government a composite plan of the area showing thickness, dip, inclination, etc. as also the quantity of reserves quality wise.

12. To pay compensation for injury of third parties.—The lessee/lessees shall make and pay reasonable and satisfactory compensation for all damage, injury or disturbance to person or property which may be done by or on the part of lessee/lessees in exercise of the liberties and power granted by these presents and shall at all times save harmless and keep indemnified the State Government from and against all suits, claims and demands which may be brought or made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance. In case of Government land the lessee/lessees shall pay compensation equal to 30 and 60 times of land revenue in case of leases up to 10 and 20 years respectively.

13. Not to obstruct working of other minerals.—The lessee/lessees will exercise the liberties and powers hereby granted in such a manner as to offer no unnecessary or reasonably avoidable obstruction or interruption to the development and working within the said lands of any minerals not included in this lease and shall at all times afford to the Central and State Government and to the holders of prospecting licences or quarry leases in respect of any such minerals or any minerals within any land adjacent to the said lands as the case may be reasonable means of access and safe and convenient passage upon and across the said lands to such minerals for the purpose of getting

working, developing and carrying away the same provided that the lessee/lessees shall receive reasonable compensation for any damage or injury which he/they may sustain by reason or in consequence of the use of such passage by such lessees or holders of prospecting licenses.

14. Transfer of lease.—the lessee/lessees shall not, without the previous consent in writing of the Sanctioning Authority—

- (a) Assign, sublet, mortgage, or in any other manner transfer the quarry lease, or any right, title or interest therein, or
- (b) Enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee/lessees will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the lessee's operation's or undertakings will or may be substantially controlled by, any person or body of persons other than the lessee/lessees ;
- (c) The Sanctioning Authority may by an order in writing determine the lease at any time if the lessee/lessees has/have in his opinion committed a breach of any of the above provisions or has/have transferred lease or any right, title or interest therein otherwise than in accordance with rule 35, provided that no such order shall be made without giving the lessee/lessees a reasonable opportunity of stating his/their case.

15. Lessees shall deposit any additional amount necessary.—Whenever the security deposit of Rs. or any part thereof or any further sum hereinafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government pursuant to the power in hereinafter declared in that behalf the lessee/lessees shall deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum of Rs.

16. Delivery of working in good order to State Government after determination of lease.—The lessee/lessees shall at the expiration or sooner determination of the said term or any renewal thereof deliver up to the State Government all mines, pits, water ways, and other works now existing or hereinafter to be sunk or made on or under the said lands except such as have been abandoned with the sanction of the State Government and in any ordinary and fair course of working all engines, machinery, plant, buildings, structures, other works and conveniences which at the commencement of the said term were upon or under the said lands and all such machinery set up by the lessee/lessees which cannot be removed without causing injury to the mines, works under the said lands (except such of the same as may with the sanction of the State Government have become dis-used) and all buildings and structures of bricks or stone erected by the lessee/lessees above ground level in good repair order and condition and fit in all respects for further working of the said mines and the said minerals.

17. Right of pre-emption—

- (A) The State Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by notice in writing to the lessee/lessees) of pre-emption of the said minerals (and all products thereof) lying in or upon the said lands hereby demised or elsewhere under the control of the lessee/lessees and the lessee/lessees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provision in the quantities at the times in manner and at the place specified in the notice exercising the said rights.
- (B) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre-emption. PROVIDED THAT in order to assist in arriving at the said fair market price the lessee/lessees shall if so required furnish to the State Government for the confidential information of the Government, particulars of the quantities, descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight, for carriage of the same and shall produce to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale or freightage of such minerals or products.
- (C) In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence and President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive

proof), the State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessee/lessees) forth with take possession and control of the works, plant, machinery and premises of the lessee/lessees on or in connection with the said lands or operations under this lease and during such possession or control the lessee/lessees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government or State Government regarding the use or employment of such works, plants, premises and minerals; PROVIDED THAT fair compensation which shall be determined in default of agreement by the Government shall be paid to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercise of the powers conferred by this clause and PROVIDED ALSO that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this clause.

18. Recovery of expenses incurred by the State Government.—If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried or performed by the lessee/lessees be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee/lessees shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same and the decision of the State Government as to such expenses shall be final.

19. Other obligations—

- (A) The lessee/lessees shall pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central Government or State Government from time to time under Minimum Wages Act, 1948.
- (B) The lessee/lessees shall comply with provisions of the Mines Act, 1952 and the rules made thereunder;
- (C) The lessee/lessees shall take measures for the protection of environment like planting of trees, reclamation of land, use of pollution control devices and such other measures as may be prescribed by the Collector from time to time, at his own expense;
- (D) The lessee/lessees shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner laid down in the Rules;
- (E) The lessee/lessees shall in the matter of employment give preference to the tribals and to the local persons;
- (F) The lessee/lessees shall not transport any mineral or its product from the leased area without a valid transit pass as provided in the Rules.

PART VIII

The Covenants of the State Government

1. Lessee/lessees may hold and enjoy rights quietly.—The lessee/lessees paying the rents and royalties hereby reserved and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee/lessees to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises hereby demised for and during the term hereby granted without any in lawful interruption from or by the State Government or any person rightfully claiming under it.

2. Acquisition of land of third parties and compensation thereof.—If in accordance with the provision of clause 4 of Part VII of this Schedule the lessee/lessees shall offer to pay to an occupier of the surface of any part of the said lands compensation for any damage or injury which may arise from the proposed operations of the lessee/lessees and the said occupier shall refuse his consent to the exercise of the right and powers reserved to the State Government and demised to the lessee/lessees by these presents and the lessee/lessees shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the State Government are satisfied that the amount of compensation offered is fair and reasonable or if it is not so satisfied and the lessee/lessees shall have deposited with it such further amount as the State Government shall consider fair and reasonable the State Government shall order the occupier to allow the lessee/lessees to enter the land and to carry

out such operations as may be necessary for the purpose of this lease. In assessing the amount of such compensation the State Government shall be guided by the principles of the Land Acquisition Act.

3. To renew.—The quarry lease is renewable in terms of the provisions of the Rules.

4. Liberty to determine the lease.—(1) The lessee/lessees may at any time determine this lease by giving not less than six calendar months notice in writing to the Sanctioning Authority and upon the expiration of such notice provided that the lessee/lessees shall upon such expiration render and pay all rents, royalties, compensation for damages and other moneys which may then be due and payable under these presents to the lessor or any other person or persons and shall deliver these presents to the State Government then this lease and the said term and the liberties, powers and privileges hereby granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the lessor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.

(2) The Sanctioning Authority may on an application made by the lessee permit him to surrender one or more minerals from his lease which is for a group of minerals on the ground that deposits of that minerals have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer possible to work the mineral economically, subject to the condition that the lessee;

(a) Makes an application for such surrender of mineral atleast six months before the intended date of surrender; and,

(b) Gives an undertaking that he will not cause any hindrance in the working of the mineral so surrendered by any other person who is subsequently granted a quarry lease for that mineral

5. Refund of security deposits.—On such date as the Collector may elect after the determination of this lease or of any renewal thereof, the amount of the security deposit paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessee/lessees. No interest shall run on the security deposit.

PART IX

GENERAL PROVISIONS

1. Obstructions to inspection.—In case the lessee/lessees or his/their transferee/assignee does/do not allow entry or inspection by the officers authorised by the Central or State Government under the said Rules, the Collector shall give notice in writing to the lessee/lessees requiring him/them to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be determined and his/their security deposit forfeited; and if the lessee/lessees fails/fail to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the Sanctioning Authority may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.

2. Penalty in case of default in payment of royalty and breach of covenants.—If the lessee/lessees or his/their transferee or assignee makes/make any default in payment of rent or royalty as required by the Rules, Act or commits a breach of any of the conditions and covenants other than those referred to in covenant 1 above, the Collector shall give notice to the lessee/lessees requiring him/them to pay the rent royalty or remedy the breach, as the case may be within sixty days from the date of receipt of the notice and if the rent, and royalty are not paid or the breach is not remedied within such period, the Sanctioning Authority without prejudice to any proceedings that may be taken against him/them, determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit or may impose penalty as provided in Rules.

3. Failure to fulfil the terms of leases due to "Force Majeure".—Failure on the part of the lessee/lessees to fulfil any of the terms and conditions of this lease shall not give the State Government any claim against the Lessee/lessees or be deemed a breach of this lease, in so far as such failure is considered by the said Government to arise from force majeure, and if through force majeure the fulfilment by the lessee/lessees of any of the terms and conditions of this lease be delayed, the period of such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the expression "Force Majeure" means act of God, War, insurrection, riot, civil commotion, strike, earth quake, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire and any other happening which the lessee/lessees could not reasonably prevent or control.

4. Lessee/lessees to remove his/their properties on the expiry of lease.—The lessee/lessees having first paid discharged rents, and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within three calendar months thereafter (unless the lease shall be determined under clauses 1 and 2 of this Part and in that case at any time not less than 15 days nor more than three calendar months after such determination) take down and remove for his/their own benefit all or any engines, machinery, plant, building, structures, tramways and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee/lessees in or upon the said lands and which the lessee/lessees is/are not bound to deliver to the State Government under these rules.

5. Forfeiture of property left more than three months after determination of lease.—If at the end of three calendar months after the expiration or sooner determination of the said term under the provision contained in clause 4 of Part VIII of this Schedule become effective there shall remain in or upon the said land any engines, machinery, plant, building structures, tramways and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee/lessees in connection with operations in any other lands held by him/them under quarry lease the same shall if not removed by the lessee/lessees within one calendar month after notice in writing requiring their removal has been given to lessee/lessees by the Collector be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee/lessees in respect thereof.

6. The lease is executed at and subject to the provision of Article 226 of the Constitution of India, it is hereby agreed upon by the lessee and the lessor that in the event of any dispute in relation to the area under lease, condition of lease, the dues realisable under the lease and in respect of all matters touching the relationship of the lessee and the lessor, the suits (or appeals) shall be filed in the civil courts at (name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall be competent to file a suit or bring any action or file any petition at any place other than the courts named above.

7. For the purpose of stamp duty the anticipated royalty from the demised land is Rs. per year.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

Signed by

for and on behalf of the Governor
(lessor) Dated

Witness

(1)
(2)

Witness

(1)
(2)

Lessee Dated
(Signature and Designation)

FORM VIII

[See Rule 29(6)]

Application for issue of Transit Pass/Transit Pass Book for despatch of minerals

1. Name of lessee
2. Address

3. Source of the Mineral :—
 - (i) Quarry at
 - (ii) Tahsil
 - (iii) Panchayat
 - (iv) District
4. Name of mineral
5. Quantity of mineral in stock and the quantity-proposed to be despatched/transported.
6. Route and mode of transport of the quantity
7. Purpose of despatch (Own consumption/sale). In case of sale, the name and address of the purchaser should be furnished).
8. In case of Rail Transport :—
 - (i) Station of loading
 - (ii) Destination of the consignment with the name and the address of the consignee.
9. Sale value of the mineral
10. Period within which the applicant desires to despatch/transport the quantity.
11. Other particulars which the applicant wishes to state.

I/we hereby certify that the particulars given above are correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place :

Signature of the Applicant

Date :

FORM IX

[See Rule 29 (7)]

TRANSIT PASS

	District
Pass book No.
Transit Pass No.
Name of lessee/Permit holder
Name of Mineral
Name of Quarry and Village
Area of Quarry
Period of Quarry lease/permit
1. Date of despatch from quarry
2. Time of despatch from the Quarry
3. Quantity of mineral being carried in cubic metres

4. Name of purchaser and destination
5. Value of the mineral being carried
6. Truck/Tractor No. or name of the bullock cart owner.

.....
Signature of Driver of the carrier.

Signature of Lessee
Contractor/Munshi/Authorised Agent.

Note—(1) No over writing should be done and should be filled up in legible hand writing.

(2) Original copy should be given to driver of the carrier and carbon copy should be retained in this book for depositing the book back with the authority for issue of next pass book.

(3) Omission to write date and time or over writing attracts penalty.

(4) Only one Transit Pass should be issued to one carrier for each trip.

FORM X

[See Rule 30(20) (a)]

MONTHLY RETURN

(To be submitted by 10th of ensuing month)

To,

for the month of

(1) The Collector,

(1) Name of the lessee

(2) Address

(3) Location of quarry

(a) Village:

(b) Tahsil :

(c) Panchayat :

(2) Gran Panchayat

(4) Details of lease

(a) Khasra No. area

(b) Period of lease

Note :—All figures be given in cubic metres

1. Opening stock
2. Production of Mineral
3. Total (1+2)
4. Consumption of Mineral
5. Despatch of Mineral
6. Total consumption and Despatch (4+5)
7. Closing stock (3—6)
8. Transit passes used Book Nos. and Serial Nos.

148

9. Products from mineral consumed
 - (a) Opening stock
 - (b) Production
 - (c) Total (a+b)
 - (d) Despatch
 - (e) Closing stock (c-d)
10. Balance payable royalty
11. Royalty for this month
12. Total royalty (10+11)
13. Royalty paid vide challan No. and
Date
Place
14. Balance due (12—13)
15. Remarks

Place

Date

Signature of the lessee
or his authorised person

FORM XI

[See Rule 30(20) (b)]

HALF YEARLY RETURN FOR THE PERIOD

1-1-19 to 30-6-19

1-7-19 to 31-12-19

(To be submitted by 15th July/15th January)

To,
(1) The Collector

.....
.....

- (1) Name of the lessee
- (2) Address
- (3) Location of quarry
 - (a) Village:
 - (b) Tahsil :
 - (c) Panchayat :
- (4) Details of lease
 - (a) Khasra No. area
 - (b) Period of lease

Note :—All figures be given in cubic metres and rupees

1. Total production in the Half year
2. Consumption

3. Dispatches
4. Total (2+3)
5. Royalty
6. Dead Rent Paid.
7. Royalty payable (5—6)
8. Royalty paid Ch. No. Date and place

Please give details of :—

- (1) Pits mouth value
- (2) Sale price
- (3) Average number of persons employed per day
- (4) Depth of quarry
- (5) Use of explosives if any

Place

Date

Signature of the lessee
or his authorised person

FORM XII

[See Rule 30 (20) (c)]

ANNUAL RETURN

(To be submitted by 31st January every year)

To,
The Collector,

Part I—General

1. Name and address of lessee
2. Name of Mine/quarry
3. Mineral/Minerals
4. Details of lease area—
 - (i) Total area with Khasra Nos.
 - (ii) Date of Execution
 - (iii) Date of possession
 - (iv) period of lease
 - (v) Village, Panchayat
 - (vi) Thana
 - (vii) Post Office
 - (viii) District
5. Transferor or previous lessee if any and date of transfer

6. Ownership (Please Mark)—

- (i) Schedule Tribe Society
- (ii) Scheduled Caste Society
- (iii) Educated unemployed Society
- (iv) Individual
(Indicate S.C./S. T./O.B.C. etc)
- (v) Any other

Part II—Utilisation of Area

7. Lease area utilisation as at the end of year—

- (i) Area already exploited and abandoned
- (ii) Area covered under current operations
- (iii) Area used for waste disposal
- (iv) Area used for any other purpose (Give details)

Part III—Rents and Royalties

8. Royalty paid during the year—

- (a) Royalty during the year
- (b) Amount of past arrears if any paid during the year

9. Amount of dead rent paid during the year.

10. Surface rent—

- (i) Area for which surface rent is payable
- (ii) Amount paid for the year
- (iii) Amount paid for past arrears if any

Part IV—Production and Despatches.

11. Production and Despatches

- (i) Opening stock
- (ii) Production
- (iii) Despatches
- (iv) Closing stock

Part V—Cost of Production

12. Cost per tonne

- (ii) Over-head cost
- (iii) Interest
- (iv) Depreciation
- (v) Taxes, royalty etc.

13. Explosives and machinery used (Give specific details)

Place :
Date :

Signature of lessee or his
authorised person

FORM XIII

[See Rule 30 (24)]

NOTICE

1. (a) Name of mine
(b) Name of mineral worked
(c) Situation of mine (village, Thana, Sub Division, District, State)
(d) Date when work was first started
2. (a) Name and postal address of present owner(s)
(b) name and postal address of agent, if any
3. (a) Name and postal address of Manager, if any
(b) His age
(c) His qualifications
(d) His experience in mining
4. Whether working are likely to be extended below ground.
5. (a) Maximum depth of open cast excavation measured from its highest to its lowest point.
(b) Date when depth first exceeded 6 metres.
6. (a) Nature, amount and kind of explosives used, if any.
(b) Date when explosives were first used.

Signature of Owner/Agent/Manager

Date

To be sent to:—

1. The Director General, Mines Safety, Govt of India, Dhanbad.
2. The Controller General, Indian Bureau of Mines, Govt. of India, Nagpur.
3. The District Magistrate of the District where the mine situated.
4. The Mining Officer Assistant Mining Officer.

FORM XIV

Model form for transfer of quarry lease

[See Rule 35(3)]

When the transferor is an individual The indenture made this day of 19 between (Name of the person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs executors, administrators, representatives and permitted assignees);

OR

When the transferor is a society/Association (Name of the society/Association with address

152

and occupation) and (Name of person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors administrators, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferor is a registered firm (Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at hereinafter referred to as the "transferor" (which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assignees);

OR

When the transferor is a registered company (Name of Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at (Address) hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignees) of the first part.

AND

And when the transferee is an individual (Name of person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators representatives and permitted assignees.)

OR

When the transferee is a society/Association (Name of the society/association with address and occupation) and (Name of person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferee is a registered firm (Name and address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at hereinafter referred to as the "transferee" (which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assignees).

OR

When the transferee is registered company (Name of the Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at (Address) hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignees) of the second part.

AND

The Governor of Madhya Pradesh hereinafter referred to as the "State Government" (which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assignees) of the third part.

Whereas by virtue of an indenture of lease dated the and registered as No. on (date) in the office of the Sub-Registrar of (place) hereinafter referred to as lease the original whereof is attached hereto and marked 'A' entered into between the State Government (herein called the lessor) and the transferor (therein called the lessee), the transferor is entitled to search for, win and work the mines and minerals in respect of (name of mineral/s) in the lands described in Schedule thereto and also in Schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the lessee's covenant and condition in the said deed of lease reserved and contained including a covenant not to assign the lease or any interest thereunder without the previous sanction of the Competant Authority.

And Whereas the transferor is now desirous of transferring and assigning the lease to the transferee and the Competent Authority has at the request of the transferor, granted permission to the transferor vide order No. dated to such a transfer and assignment of the lease upon the condition of the transferee entering into an agreement in and containing the terms and conditions hereinafter set forth.

Now this Deed Witnesseth as follows :

1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the lease the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said herein before recited lease in the same manner in all respects as if the lease had been granted to the transferee as the lessee thereunder and he had originally executed it as such.

2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that—

- (i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the quarry lease is being transferred vest in the State Government.
- (ii) The transferor hereby declares that he/she has not assigned, sublet; mortgaged or in any other manner transferred the quarry lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest whereunder in the present quarry lease being transferred.
- (iii) The transferor further declares that he/she has not entered into or made any agreements, contract or understanding whereby he had been or is being directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor.
- (iv) The transferee hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such "quarry lease."
- (v) The transferee further declares that he/she is financially capable of and will directly undertake mining operations.
- (vi) The transferor has supplied to the transferee the Original or certified copies of all plans of abandoned workings in the area and in a belt 65 metre wide surrounding it.
- (vii) The transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area which is held by him under quarry leases are not in contravention of the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996.
- (viii) The transferor has paid all the rent, royalties and other dues towards Government till the date, in respect of this lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

SCHEDULE

Location and area of the lease

All that tract of lands situated at village (Description of area or areas) Tahsil District bearing khasra Nos. containing an area of or thereabout delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured and bounded as follows :—

On the North by

On the South by

On the East by

And

On the West by

Signed by

for and on behalf of the State Government
in the presence of—

- 1.
- 2.

Signature of Transferor

in the presence of witnesses—

- 1.
- 2.

Signature of transferee
in the presence of—

- 1.
- 2.

FORM XV

(See Rule 37)

FORM OF APPLICATION FOR QUARRY PERMIT

Received at (Place)
On (Date)
Initial of Receiving Officer

Date

To,

The
.....
.....

Sir,

I/We request that a quarry permit under the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 be granted to me/us.

A sum of Rs. 25/- being the fee in respect of this application is deposited and cash receipt in original is enclosed.

The following particulars are enclosed :—

1. Name of applicant.
2. Address of applicant.
3. Registration certificate and by-laws of the Society/Association.
4. Profession/Nature of business and place of working.
5. Cast (Individual or members of Society/Association).
6. Educational qualification (individual or members of Society/Association.)
7. Age (Individual or members of Society/Association.)
8. Financial status (Individual or members of Society/Association.)
9. Name of minor minerals applied for.

10. Quantity in cu. mts. required.
11. Time within which the entire quantity will be removed and transported.
12. Purpose for which the minor mineral is to be used.
13. Consent of owner/owners in case of private land.
14. Certified copy of village plan with khasra panchsala indicating the land from which the minor mineral is to be removed and transported.

I/We do hereby declare that the particulars furnished are correct and am/are ready to furnish any other details as may be required by you. I/We do hereby further declare that I/We shall adhere to the terms and conditions as indicated in permit and rules in Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996 and any other conditions imposed by the competent authority.

Place :

Yours faithfully,

Date :

Signature of the applicant.

FORM XVI

[See Rule 38(2)]

FORM OF GRANT OF QUARRY PERMIT

Quarry Permit No.

Date

Where as, Shri applied for grant of quarry permit for removal and transport of (Minor Minerals) from Khasra No. of Village, Panchayat Tahsil District under Rule of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 and has paid an application fee of Rs. 25/-.

Permission is hereby granted to quarry, collect, remove and transport (mineral) from the aforesaid area/areas indicated on the plan annexed hereto on the following conditions.

1. The quarry permit shall be valid for from the date of issue.
2. The quarry permit holders shall abide the conditions/provided in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996.

Signature of the Competent Authority
with seal of office.

To,

Shri

Copy to :—

1. Mining Officer/Assistant Mining Officer of the District.
2. Janpad Panchayat/Gram Panchayat.

Signature of the Competent Authority
with seal of office.

FORM XVII

[See Rule 38(2)]

QUARRY PERMIT AGREEMENT

This indenture made this day of 19 between the Zila/Janpad/Gram Panchayat (hereinafter called the 'Lessor' which expression shall where the context so admits, include his successors in office and assignees) of the one part, and (hereinafter called the 'lessee' which expression shall, where the context so admits, include his heirs executors, administrators, representatives and assignees) of the other part.

Where as the lessee has been granted a quarry permit by the lessor on his application in the Gram Panchayat Village Tahsil District for the purpose of quarrying for (Name of the Mineral) in the land comprising of Khasra No. area of hectares and the lessee has deposited the application fees of Rs. 25/- (Rs. Twenty five) and as security Rs. (Rs.) for the due and faithful performance by the lessee of the covenants and conditions on the part of the lessee hereinafter contained.

And whereas the Zila/Janpad/Gram Panchayat in respect of the lands so described and demised for a term of and subject to the covenants and conditions hereinafter contained now this indenture witness as follows :—

The lessor hereby demises to the lessee all those lands being specifically described in the Schedule hereunder and delineated in the plan annexed hereunto and therein coloured

2. there are included in the said demise and for the purposes there of following liberties :—

- (i) Minerals hereinafter authorised to be got from the said lands by the lessee.
- (ii) Generally to do all things which shall be convenient or necessary for getting the mineral and for removing and disposing thereto.
- (iii) The lessee hereby agrees to pay during the said terms royalty as specified in Schedule-III.
- (iv) To bear, pay and discharge all existing and future rates, assessment what so ever imposed or charged upon the demised land or the produce thereof.
- (v) Not to assign, sublet or part with the possession of the demised land.
- (vi) That the lessee shall keep correct accounts, in such form as the Authority shall, from time to time, require and direct showing the quantities and other particulars of the said mineral obtained by the lessee from the said lands.
- (vii) If in the course of quarrying any mineral not specified in this agreement is discovered the lessee shall at once report such discovery to the Authority concerned and shall obtain orders of such competent Authority for working of the same.
- (viii) the lessor or their authorised officers shall be at liberty at all reasonable times to inspect and examine the works carried on by the lessee and may issue such orders and regulations as may be necessary as the result of such inspection to keep the lands in good order and condition or in the interest of public health and safety.
- (ix) The lessee shall not cut or injure any timber or trees.

caused to him or to his property by the lessee. The Authority shall be competent to assess and fix any compensation payable by the lessee on this account.

- (xi) The lessee shall erect and maintain at his own expense boundary pillars of substantial material along the boudary as delineated in the plan annexed hereto.
- (xii) That this lease may be terminated in respect of the whole or any part of the lands by a one month notice in writting on either side provided that the lessee has paid all outstanding dues before such notice is given by him.
- (xiii) That on such determination the lessee shall have no rights to compensation of any kind.
- (xiv) The lessee shall immediately report all accidents to the competent authority and the collector of the district.
- (xv) The lessee shall not transport any mineral without valid transit pass issued by the competent authority in form IX. He/she shall surrender all duplicate of used transit pass and unused transit passes on expiry of permit period.

3. The lessor hereby covenants with the lessee that on observing and performing the several covenants and stipulations herein and provided in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, the lessee shall peacefully hold and enjoy the demised land and the liberties hereby demised and granted during the said term without any interuption by the lessor or any person right fully claiming under him.

4. The said demised land shall be held by the lessee for the term of years from the day of 19 to the day of 19

In witness where of acting for and on behalf of and by an order and direction of the said Zila/Janpad/Gram Panchayats and the said lessee have hereto set their hands the day and year mentioned above.

SCHEDULE

Name of village (1)	Khasra No. (2)	Area in hectares (3)	Boundaries (4)
------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Witness :

1.
2.

Signed & delivered by
the above named.

Witness :

1.
2.

Lessor
Lessee

FORM XVIII

[See Rule 41]

REGISTER OF QUARRY PERMITS

S.No.

1. Name of the permit holder and address.

3. Mineral for which permit has been granted.
4. No. & date of order.
5. Period.
6. Village.
7. Tahsil.
8. Khasra Number & area.
9. Signature of the Officer
10. Remarks.

FORM XIX

[See Rule 48(1)]

Scheme of Environmental Management

1. Name and Address of quarry lease holder.
2. Particulars of the area.
 - (i) Date of execution of agreement.
 - (ii) Period.
 - (iii) Extent of area.
 - (iv) Mineral.
 - (v) Khasra Nos.
 - (vi) Panchayat and tehsil
 - (vii) District.
3. Particulars of the machines to be used
4. The plan of the area showing number of pits already made showing all areas within 500 metres of the lease boundary with details thereof.
5. Details of quarrying operations to be undertaken.
6. Scheme for plantation of trees.
7. Scheme for progressive reclamation and rehabilitation of the land disturbed.
8. Scheme for prevention and control of air and water pollution.
9. Any other matter which the lessee desires to state.

Place :

Signature

Date :

Name in full

FORM XX

[See Rule 48(5)]

Quarterly report of Environment

To,

The Collector,

Pin

1. Name and Address of lease holder.
2. Particulars of lease.